وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ)
किताबुल हज
लेखक:
हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही बुलन्द शहरी
(मदीना मुनव्वरा)

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (سورہ بقرہ)

हज और उमरे

को खालिस अल्लाह तआला के लिए पूरा किया करो

किताबुल हज

हज और उमरे के अहकाम व मसाइल और मुख़्तसर तरीक़ा

लेखक

हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही बुलन्द शहरी (मदीना मुनव्वरा)

अनुवादक

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी, एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा0) लिमिटेड

४२२, मटिया महल, उर्दू मार्किट,

जामा मस्जिद, दिल्ली-११०००६

विषय सूची

क्या......? कहां............?

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हाजी साहिबान से ज़रूरी बातें

इस्लाम के पांच अरकान जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उन में से एक "बैतुल्लाह का हज" भी है। क़ुरआन पाक में इर्शाद है :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

तर्जुमा- अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना लाज़िम है जिसे वहां तक पहुंचने की क़ुदरत हो।

जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ होता है उनमें से लाखों आदमी हज करते हैं, और लाखों आदमी ऐसे हैं जिन पर हज फ़र्ज़ हैं लेकिन हज नहीं करते। कुछ लोग तो आज कल पर टालते रहते हैं और कुछ लोग हज का इरादा ही नहीं करते। जो आदमी हज फ़र्ज़ हो जाने के बाद हज न करे और बिना हज किए मर जाए उस के लिए हदीसों में सख़्त वअ़ीद (डांट डपट) आयी है।

हज़रत अबू अमामा रज़ि० से रिवायत है कि हुज़ूरे पाक

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस को सख़्त मजबूरी या ज़ालिम बादशाह या रोकने वाला मर्ज़ (बीमारी) हज करने से न रोके और वह बिना हज किए मर जाए तो चाहे तो वह यहूदी होकर मर जाए और चाहे तो ईसाई होकर मर जाये। (दारमी)

ख़ुदा की पनाह किस क़दर सख़्त डांट डपट है, जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ हो चुका और वे सुस्ती या दुनिया की मश्ग़ूलियतों की वजह से हज को नहीं जाते और ऐसी कोई मजबूरी उन को हज से रोकने वाली नहीं है जो शरीअत में मोतबर हो तो ऐसे लोगों के लिए बुरे ख़ात्मे का डर है। बहुत से लोग औलाद की शादी को उज़्र (बहाना) बनाकर और मकान की तामीर को ज़रूरी समझ कर हज को नहीं जाते, और कुछ लोगों को तिजारत रोकती है, हालांकि ये चीज़ें शरई तौर पर उज़्र बनने के क़ाबिल नहीं हैं।

हज की फ़ज़ीलत भी बहुत ज़्यादा है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि :

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ

(بخاری شریف)

तर्जुमा - जिस ने सिर्फ़ अल्लाह के लिए हज किया और उसने ऐसी बातें न कीं जो औरतों के साथ होती हैं और गुनाह न किए तो वह (गुनाहों से पाक होकर) ऐसा वापस होगा जैसा

उस दिन बेगुनाह था जिस दिन उसकी मां ने उसे जना था।

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَآءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ (بخاری شریف)

तर्जुमा - हज्जे मब्रूर का बदला जन्नत ही है।

हज्जे मब्रूर वो है जिसमें कोई गुनाह न हो, और कुछ आलिमों ने फ़रमाया है कि जिसमें दिखावा और नाम व शोहरत न हो वो हज्जे मबरूर है, और कुछ आलिमों का कहना है कि हज्जे मक़बूल (जो क़ुबूल हो जाए) को मबरूर फ़रमाया है।

हज की तरह उमरा भी एक इबादत है वो भी मक्का शरीफ़ में होता है और कुछ आमाल करने पड़ते हैं। हुज़ूरे अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया कि हज और उमरे को जाने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं (उन का इतना बड़ा मक़ाम है कि) अगर अल्लाह तआला से दुआ करें तो वह क़ुबूल करे और उससे मग़्फ़िरत (बख़्शिश) तलब करें तो उनको बख़्श दे, और यह भी इरशाद फ़रमाया कि हज और उमरा तंगदस्ती (ग़रीबी) और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जैसे आग की भट्टी लोहे की और सोने चांदी की ख़राबी को दूर कर देती है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

बहुत से लोग हज को जाना चाहते हैं मगर इस साल और

अगले साल के फेर में बरसों लगा देते हैं ये लोग भी बहुत बुरा करते हैं। हजरत रसूले मक़बूल सल्ल0 ने फ़रमाया है कि "जिसे हज करना हो जल्दी करे" (अबू दाऊद शरीफ़)

मौत की क्या ख़बर है कि कब सर पर आ खड़ी हो। हज फ़र्ज़ होते ही उसी साल हज को रवाना हो जाएं। जो लोग हज को नहीं जाते वे तो तंबीह के क़ाबिल हैं ही, जो लोग हज के लिए रवाना होते हैं वे भी तंबीह के क़ाबिल हैं क्योंकि ये लोग हज सीखे बग़ैर और उसके आदाब जाने बिना हज के लिए चल देते हैं फिर चूंकि अपने ख़ालिस दुनियावी माहौल से निकल कर जाते हैं और गुनाहों की आदतें पड़ी होती हैं इस लिए हज के सफ़र में बल्कि ख़ास हज के दिनों में भी गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, उनकी यह हालत सख़्त अफ़सोस नाक होती है।

सब जानते हैं कि सीखे बिना कोई चीज़ हासिल नहीं होती, लेकिन यह किस क़दर नादानी है कि जिस फ़र्ज़ इबादत को ज़िन्दगी में पहली बार अदा करने के लिए निकले हैं उसके सीखने का और दिल में अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत बसाने का और इश्क़ व मुहब्बत के जज़्बात (भावनाएं) पैदा होने का कुछ भी एहतमाम नहीं करते। हां यह तो मालूम करते हैं कि बिस्तर किस तरह बांधा जाए और बाक्स की हिफ़ाज़त के लिए क्या किया जाए और सफ़र की ज़रूरियात क्या क्या हैं। फ़िर अपनी ज़रूरतों के लिए ख़ूब सामान की बोरियां

भरते हैं यहां तक कि हुक़्क़ा पीने के लिए कोयले तक ले जाते हैं लेकिन इस का बिल्कुल ख़्याल नहीं होता कि बिना सीखे हज कैसे करेंगे? बहुत से लोग इस धोखे में होते हैं कि हम को मुअल्लिम सब सिखा देगा, हालांकि मुअल्लिम कुछ नहीं सिखाता, उस का काम इंतज़ाम करना, खे़मे लगाना, बस तैयार करना वग़ैरह रह गया है। फिर एक एक मुअल्लिम के पास भारी तायदाद में हाजी होते हैं उन सब को सिखला भी नहीं सकता, इस सूरत में हज की सुन्नतें और आदाब तो क्या वाजिबात तक की अदाएगी नहीं होती। इतना लंबा सफ़र बड़ी रक़म का ख़र्च, वतन और बच्चों व घर वालों से जुदाई और फिर भी शरीअत के मुताबिक़ हज न हो कितनी बड़ी मेहरूमी है।

हर हाजी पर लाज़िम है कि हज को रवाना होने से पहले किसी ऐसे आलिम से हज का तरीक़ा सीख ले जिसने पहले हज किया हो और हज की कोई मोतब्रर किताब समझ कर पढ़ ले, फिर वो किताब हज के सफ़र में साथ रख ले। अगर किसी बा अमल आलिम के साथ हज सीखने के लिए कुछ ज़्यादा सा वक़्त गुज़ार ले तो बहुत ही मुफ़ीद होगा। इससे इंशाअल्लाह हज के अहकाम और मसाइल और फ़ज़ीलतें जानने के साथ साथ सफ़र के आदाब का एहतमाम भी होगा, दिल और ज़बान से कसरत (ज़्यादती) के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने की आदत भी पड़ेगी, मसनून दुआएं भी याद होंगी और हज की अहमियत (महत्व) दिल में बैठे गी। फ़िर जब हज करेंगे तो इंशाअल्लाह हज का

मज़ा और लुत्फ़ महसूस होगा। और इश्क़ व मुहब्बत की मिठास अपने दिल में महसूस करेंगे।

हज के सफ़र को गुनाहों से पाक रखना

हज का सफ़र पूरा का पूरा इश्क़ है, महबूब की राह का सफ़र है, इसमें महबूबे हक़ीक़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जह रहना ज़रूरी है। लेकिन होता यह है कि हाजी साहिबान न सिर्फ़ यह कि गफ़लत के साथ दो तीन महीने का वक़्त गुज़ारते हैं बल्कि पिछली ज़िन्दगी की तरह इन दिनों में भी गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, बल्कि कुछ लोगों के तो गुनाहों में बढ़ोतरी हो जाती है। जो गुनाह पहले न करते थे वो हज के सफ़र में शुरू कर देते हैं, जैसे जद्दा या मक्का पहुंचकर पहले रेडियो या टेप रिकार्डर ख़रीदने का इरादा करते हैं, टेप रिकार्डर के साथ गानों से भरी हुई रीलें भी ख़रीद लेते हैं फिर मक्के और मदीने में और पूरे सफ़र में घर आकर ज़िन्दगी भर गाना सुनने और सुनवाने के गुनाह में मश्ग़ूल रहते हैं। गये थे हज करने और मुस्तक़िल एक गुनाह का हार गले में डाल लाए।

गुनाह से तो हमेशा ही बचना ज़रूरी है मगर हज के सफ़र में ख़ूब ख़्याल करके हर गुनाह से बचने का ख़ास तौर पर एहतमाम करना ज़रूरी है। ख़ासकर बद-नज़री (बुरी निगाह से देखने) से बचने का ध्यान रखे, क्योंकि इस सफ़र में इसके मौक़े

ज़्यादा होते हैं।

हज का सफ़र शुरू करने से पहले पिछले तमाम गुनाहों से तौबा करे और हज के सफ़र को तमाम गुनाहों से महफ़ूज़ रखे। फिर हज से वापस होकर बराबर अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे ताकि हाजी की ज़िन्दगी एक मिसाली ज़िन्दगी हो जाए और बस्ती, मौहल्ले और शहर के लोगों पर भी उसकी नेकी और बुज़ुर्गी का असर पड़े।

हज के सफ़र में जहां तक हो सके फ़िज़ूल बातों और कामों और खेल तमाशों से परहेज़ करे, बाज़ारों में न घूमे बल्कि ह-र-मैन शरीफ़ैन (बैतुल्लाह और मस्जिदे नबवी) में ज़्यादा वक़्त गुज़ारे। ख़ास कर मस्जिदे हराम में क़ुरआन मजीद दो चार बार ख़त्म कर ले। तवाफ़ बहुत ज़्यादा करे। मदीना मुनव्वरा में भी क़ुरआन पाक ख़त्म करे और दुरूद शरीफ़ बहुत ज़्यादा पढ़े और अल्लाह का ज़िक्र हर जगह और हर हाल में कस्रत से करता रहे।

आज कल हाजियों ने यह तरीक़ा बना लिया है कि थोड़ी बहुत देर को हरम शरीफ़ में हाज़िर हो जाते हैं वरना बाज़ारों में घूमते हैं और चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं। और एक दूसरे को दिखलाते रहते हैं। देखने वाले पूछते हैं कि कहां से ख़रीदा? फ़िर वे भी ज़रूरत बिना ज़रूरत ख़रीद कर लाते हैं। ठहरने की जगहों पर ख़रीद व बेच के मश्विरे चलते हैं, गाने सुनने में मशग़ूल

रहते हैं, ग़ीबतों में मुब्तला रहते हैं, ग़रज़ यह है कि सारा सफ़र ख़राब कर देते हैं, तथा इस फ़िक्र में रहते हैं कि हम अपने वतन पहुंचें तो हमारा ख़ूब स्वागत हो लोगों को पहले से ख़त और तार के ज़रिए आने की तारीख़ से बा ख़बर करते हैं, और जो आदमी स्टेशन या एयर पोर्ट पर स्वागत के लिए न आए उसकी तरफ़ से बुरा मानते हैं और कहते हैं कि हम उनको तबर्रूकात (बरकत की चीज़ें जैसे ज़मज़म-और वहां से लाई हुई खजूरें) न देंगे जिन्होंने हमारा इस्तिक़बाल (स्वागत) नहीं किया। ज़ाहिर है कि दिखावा और शौहरत हर इबादत को खो देती है। और हज को क़ुबूल नहीं होने देती। घर पहुंचकर दावतों और मेहमान नवाज़ियों का सिलसिला शुरू होता है, इसमें भी वही दिखावा और शोहरत है।

पहले ज़माने में मक्के का तोहफ़ा ज़म्ज़म का पानी और मदीने पाक का तोहफ़ा खजूरों को समझा जाता था, लोग यही चीज़ें ले जाते थे और जिसको एक क़तरा ज़म्ज़म और आधी खजूर मिल जाती थी वह खुशी में फूला नहीं समाता था, आज कल लोगों के दिलों में इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं रही बल्कि चीन, जापान और यूरोप व अमरीका की चीज़ों को सब से बड़ा तोहफ़ा समझने लगे हैं। हाजी लोग अपने बेटों, दामादों, लड़कियों, बहुओं और मिलने जुलने वालों को इन्हीं चीज़ों का तोहफ़ा देने की फ़िक्र करते हैं। और मक्के मदीने के बाज़ारों में ख़ासकर नामों की घड़ियों और ख़ास कंपनियों के रेडियो और टेप रिकार्डर

तलाश करते हैं, और एक निहायत बुरी सूरतेहाल यह सामने आ गयी है कि ह-र-मैन शरीफ़ैन से टीवी और वी सी आर ख़रीद कर लाते हैं। और उन घरों को जो बाप दादों के ज़माने से इल्म व अमल का गहवारा बने हुए थे बुरी फ़िल्मों और ड्रामों से गंदा कर देते हैं और मौजूदा व आने वाली नस्लों को बिगाड़ने का सामान उपलब्ध करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

जो हज कभी नेकी व परहेज़गारी, खुदा की मुहब्बत और नेकियां बढ़ाने का ज़रिया था आज उसको गुनाह और बुराईयों से गंदा कर लिया है, अल्लाह तआला समझ दे और नेकी की हिदायत दे। तौफ़ीक़ देना उसी के हाथ में है।

मैंने इस रिसाले (किताब) में मुख़्तसर तरीक़े पर हज व उमरे के अहकाम व मसाइल ब्यान कर दिये हैं और कोशिश की है कि आसान ज़बान में ज़रूरी चीज़ें खुले तौर पर ब्यान हो जायें। जो साहिबान इस से फ़ायदा उठाएं मुझ को और मेरे बड़ों और मां-बाप को दुआओं में याद फ़रमायें। ख़ास तौर पर अरफ़ात व मुज़्दलिफ़ा की दुआओं में याद रखें, अल्लाह ही है तौफ़ीक़ देने वाला और वही है मददगार।

अल्लाह की रहमत का मोहताज बंदा
मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलन्द शहरी,
अफ़ल्लाहु अन्हु व अफ़ाहु
मदीना मुनव्वरा, 15-6-1403 हिज्री

हज किस पर फ़र्ज़ है?

जिसके पास ज़रूरियात से ज़्यादा इतना ख़र्च हो कि सवारी पर दरमियाना गुज़ारे के साथ खाते पीते मक्का शरीफ़ तक जा कर और हज करके आ जाए और अपने बच्चों का ख़र्च पीछे छोड़ जाने के लिए हो, उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो जाता है।

मस्अला - अगर किसी के पास सिर्फ़ इतना ख़र्च है कि मक्का शरीफ़ तक सवारी पर आना जाना हो सकता है, मगर मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने का ख़र्च नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है।

मस्अला - हज उमर भर में एक बार फ़र्ज़ है अगर कई हज किए तो एक फ़र्ज़ और बाक़ी नफ़्ल होंगे, नफ़्ल हज का भी बड़ा सवाब है।

मस्अला - लड़कपन में मां बाप के साथ अगर किसी ने हज कर लिया हो तो वो नफ़्ली हज है अगर जवान होने के बाद इसे गुन्जाइश हो जाए तो फिर हज करना फ़र्ज़ होगा।

मस्अला - अगर किसी ऐसे आदमी ने क़र्ज़ लेकर या मांग तांग कर हज कर लिया जो गुन्जाइश दार न था, फिर उसके बाद अगर माल दार हो जाए तो दोबारा हज करना फ़र्ज़ न

होगा।

औरत के लिए मेहरम या शौहर के बिना 48 मील या इस से ज़्यादा का सफ़र करना शरई तौर पर मना है। यह सफ़र चाहे रेल का हो या मोटर कार से, या हवाई जहाज़ से, और चाहे दुनिया के लिए हो चाहे किसी दीनी काम के लिए हो।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि-

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ اِمْرَاَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُكْتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَاَتِىْ حَاجَّةً، قَالَ اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ اِمْرَاَتِكَ (بخاری و مسلم)

तर्जुमा- हर गिज़ कोई मर्द किसी (ना मेहरम) औरत के साथ अकेले में न रहे और हर गिज़ कोई औरत सफ़र न करे मगर यह कि उस के साथ मेहरम हो। यह सुन कर एक आदमी ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मेरा नाम फ़लां फ़लां जिहाद में शिर्कत के लिए लिख दिया गया है और मेरी बीवी हज करने के लिए निकली है, आप ने इर्शाद फ़रमाया कि जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो

(बुख़ारी व मुस्लिम)

यह मनाही जवान और बूढ़ी हर औरत के लिए है। कई औरतें समझती हैं कि कुछ औरतों के साथ बिना मेहरम के औरत

सफ़र में चली जाये तो यह जायज़ है, उन का यह ख़्याल ग़लत है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बिना किसी को ख़ास किए हर औरत के लिए ताकीद के साथ मनाही फ़रमायी है।

हज या उमरे का सफ़र भी मेहरम या शौहर के बग़ैर सख़्त मना है और गुनाह है। बहुत सी औरतें हज या उमरे के लिए बिना मेहरम और बिना शौहर के चल देती हैं, जो शरीअत का उलघंन करने की वजह से गुनाहगार होती हैं और अपना हज या उमरा ख़राब करती हैं। मोमिन बन्दों पर लाज़िम है कि शरीअ़त की पाबन्दी करें, अपनी तबीअ़त की ख़्वाहिश पर न चलें। दुनियावी सफ़र में और भी एहतियात ज़रूरी है, इसके लिए 15-20 मील का सफ़र भी बिना मेहरम के न करें, इस में इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त है।

मेहरम कौन है?

जिस व्यक्ति से कभी भी निकाह जायज़ न हो (जैसे बाप, बेटा, पोता, नवासा, दामाद, ससुर, सगा चचा, सगा मामूं) उसको मेहरम कहते हैं। ख़ाला और मामूं, चचा और फूफी के लड़के मेहरम नहीं हैं, क्योंकि उन से निकाह दरुस्त है। इसी तरह बहनोई भी मेहरम नहीं है, क्योंकि अगर वह बहन को तलाक़ दे दे या बहन का इन्तिक़ाल हो जाए तो बहनोई से निकाह जायज़ हो जाता है।

हां अगर इन में से कोई दूध शरीक भाई हो जिस ने दो साल की मुद्दत के अन्दर किसी ऐसी औरत का दूध पिया है जिस का दूध इस औरत ने भी पिया हो जो उस के साथ हज या उमरे को जाना चाहती हो तो यह व्यक्ति भी मेहरम है और उस के साथ सफ़र करना जायज़ है, याद रहे कि मेहरम ऐसा हो जिस से बे इतमीनानी न हो, अगर कोई ऐसा आदमी है कि मेहरम तो है लेकिन उसकी पाकदामनी दाग़दार है या उसकी तरफ़ से इतमीनान नहीं है तो उसके साथ सफ़र करना जायज़ नहीं चाहे कैसा ही क़रीबी मेहरम हो। कुछ औरतें वैसे ही किसी को बाप या बेटा या भाई बना कर सफ़र में साथ हो लेती हैं, शरीअ़त में इस का कोई ऐतिबार नहीं। मुंह बोला बेटा या भाई भी मेहरम नहीं है, उन के भी वही अहकाम हैं जो पराये मर्दों के हैं।

मस्अला - जिस औरत के पास इतनी मालियत हो कि मक्का शरीफ़ तक अपने ख़रचे से आ जा सकती हो और मेहरम या शौहर भी साथ जाने को तैयार हो तो उस पर हज के लिए जाना फ़र्ज़ है, अगर बिना मेहरम या बिना पति के चली जाएगी तो गुनाहगार होगी। जब ख़र्चा भी हो और मेहरम भी मिल जाये तो "फ़र्ज़ हज" के लिए रवाना हो जाए। पति (शौहर) इजाज़त न भी दे तब भी चली जाए।

मस्अला - अगर मेहरम साथ न हो या हज नफ़ली हो

तो शौहर (पति) को हज का सफ़र करने से रोकना जायज़ है।

मस्अला - अगर औरत के पास ख़र्चा है और मेहरम भी मौजूद है लेकिन इद्दत में है तो उस को हज के लिए जाना जायज़ नहीं, चाहे इद्दत निकाह टूटने की हो या तलाक़ की या पति की मौत की, अगर इद्दत में हज या उमरा के लिए चली जाएगी तो गुनाहगार होगी।

मस्अला - अगर औरत के पास हज का ख़र्चा है लेकिन मेहरम या पति नहीं है और उमर भर न निकाह हुआ न मेहरम मिला तो मरने से पहले वसिय्यत कर जाना वाजिब है कि मेरी तरफ़ से हज कर दिया जाए और यह वसिय्यत उसके तिहाई (1/3) माल में लागू होगी।

हज के फ़र्ज़, वाजिबात और सुन्नतों का बयान

जिस तरह नमाज़ में फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नतें हैं इसी प्रकार हज में भी हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं। इन को ज़ेहन में बैठा लें।

हज के फ़र्ज़

हज में तीन फ़र्ज़ हैं,

1. दिल से हज की नियत करके तलिबय: यानी "लब्बेक अल्लाहुम्-म" आख़िर तक पढ़ना, इसको एहराम कहते हैं (बिना

सिले कपड़े जो एहराम में पहने जाते हैं उन को भी एहराम कहा जाता है)

2. ज़िलहिज्जा (हज के महीने की चान्द की) नवीं तारीख़ को सूरज ढ़लने (ज़वाल) के बाद से लेकर दस्वीं ज़िलहिज्जा की सुब्हे सादिक़ (यानी फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त) तक अरफ़ात में ठहरना अगरचे ज़रा सी देर के लिए हो।

3. "तवाफ़े ज़ियारत" जो "वुक़ूफ़े अरफ़ात (अरफ़ात में ठहरने) के बाद किया जाता है (इस से पहले जो तवाफ़ हो वो फ़र्ज़ में न गिना जाएगा।

इन तीनों फ़र्ज़ों में से अगर कोई चीज़ छूट जाये तो हज न होगा। और उस की तलाफ़ी (भर पाई) दम देने से भी न होगी।

हज के वाजिबात

हज के छः वाजिबात हैं। 1. मुज़्दलिफ़ा में वुक़ूफ़ के वक़्त ठहरना 2. सफ़ा और मर्वा के बीच सई करना। 3. कंकरियां मारना। 4. क़ारिन और मुतमत्तेअ़ (हाजियों की क़िस्में हैं) को क़ुर्बानी करना। 5. सर के बाल मुंडाना या कम कराना। 6. मीक़ात से बाहर रहने वाले को विदाअ़ी (बिदाई) तवाफ़ करना।

हज के वाजिबात का हुक्म यह है कि अगर इन में से कोई छूट जाए तो हज हो जाएगा, चाहे जान बूझ कर छोड़ दिया

हो या भूल कर, लेकिन उस की जज़ा (बदला) लाज़िम होगी, जिस की तफ़सील इन्शाअल्लाह जिनायत के बयान में आएगी।

हज की सुन्नतें,

1. मुफ़रिदे आफ़ाक़ी और क़ारिन (हाजियों की क़िसमें हैं जिन का बयान आगे आयेगा) को "तवाफ़े क़ुदूम" करना।

2. तवाफ़े क़ुदूम में रमल और इज़्तिबाअ् करना (अगर उसके बाद सई करना हो, अगर तवाफ़े क़ुदूम के बाद सई न की तो तवाफ़े ज़ियारत के बाद सई करना होगी, और उस वक़्त तवाफ़े ज़ियारत में रमल करना होगा।

3. आठवीं ज़िलहिज्जा की सुबह को "मिना" के लिए रवाना होना और वहां पांचों नमाज़ें पढ़ना।

4. सूरज निकलने क बाद नवीं ज़िलहिज्जा को "मिना" से "अरफ़ात" के लिये रवाना होना।

5. अरफ़ात से सूरज छिपने के बाद "अय्यामे हज" से पहले रवाना होना।

6. अरफ़ात से वापस होकर रात को "मुज़्दलिफ़ा" में ठहरना

7. अरफ़ात में ग़ुस्ल करना (नहाना)

8. "अय्यामे मिना" में रात को मिना में ठहरना। सुन्नत का हुक्म यह है कि उन को जान बूझ कर छोड़ना बुरा है, और

उन के अदा करने से सवाब मिलता है और उन के छोड़ने से "जज़ा" लाज़िम नहीं आती।

मीक़ात का बयान

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर तरफ़ से आने वालों के लिए जो मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल होना चाहें कुछ जगहें मुक़र्रर फ़रमा दी हैं कि बिना एहराम के उन से आगे न बढ़ें, उन ही को "मवाक़ीत" कहते हैं, जो मीक़ात की जमा है।

मदीना मुनव्वरा से आने वाले "बीरे अली" से एहराम बांधें। इसका पुराना नाम "ज़ुल हुलैफ़ा" है। अगर "मस्जिदे नबवी" से बांधलें तो यह भी जायज़ है।

शाम (सीरिया) से आने वालों के लिए "जुह्फ़ा" को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया था, यह बस्ती नुबुव्वत के ज़माने में आबाद थी, अब आबाद नहीं है। आज कल शाम की तरफ़ से आने वाले भी आम तौर पर "बीरे अली" ही से एहराम बांधते हैं।

नज्द और ताईफ़ से आने वालों के लिए "क़र्न" मीक़ात है लेकिन आजकल इसका यह नाम मशहूर नहीं है, ताइफ़ से आने वाले "वादि-ए-महरम" से एहराम बांध लेते हैं, यहां मस्जिद भी बनी हुई है।

इराक़ से आने वालों के लिए हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "ज़ाते इराक़" को और यमन से आने वालों के लिए "यलमूलम" को मीक़ात क़रार दिया था। हिन्दुस्तानी, पाकिस्तानी और बंगला देशी जहाज़ चूंकि ऐसे रास्ते से गुज़रते हैं जिस में किसी जगह "यलमूलम" का सामना और मुक़ाबला बताया जाता है इसलिये आम तौर पर वहां से एहराम बांध लेते हैं। वहां से अहराम बांध लेना अफ़ज़ल (बेहतर) है। लेकिन अगर इन मुल्कों से आने वाले समुद्री जहाज़ के मुसाफ़िर "जद्दा" आकर एहराम बांध लें तो कुछ आलिमों के यहां इसकी भी गुन्जाइश है। लेकिन जो हज़रात मुम्बई या कराची से हवाई जहाज़ से आयें वे मुम्बई या कराची से एहराम बांध लें या जहाज़ उड़ने के एक दो घंटे के बाद एहराम बांध लें। बिना एहराम के जद्दा न पहुंचें क्योंकि रास्ते में हवाई जहाज़ मीक़ात से गुज़रता है, बिना एहराम के अगर कोई मीक़ात से गुज़र कर मक्का शरीफ़ पहुंच जाये तो गुनाह होता है और "दम" वाजिब हो जाता है।

एहराम का बयान

जब कोई व्यक्ति मक्का मुकर्रमा के लिए चले तो उस पर लाज़िम है कि रास्ते में जो भी "मीक़ात" पड़े उस पर या उस से पहले हज या उमरे का एहराम बांधे। हज के तो ख़ास दिन मुक़र्रर हैं, लेकिन उमरा हमेशा हो सकता है, मगर हज के पांच दिनों, यानी 9, 10, 11, 12, 13, ज़िलहिज्जा को उमरा करना

मक्रूह है। जब मीक़ात पर पहुंचे तो हर तरह की सफ़ाई करके नहाये, वरना कम से कम वुज़ू करले। उस के बाद एक चादर तहबन्द (लूंगी) की तरह बांध ले और एक चादर ऊपर ओढ़ ले फिर ऊपर की चादर से सर ढ़क कर दो रक्अतें "नमाज़े एहराम" की नियत से पढ़े, अगर मक्रूह वक़्त न हो, वरना बिना नमाज़ पढ़े ही एहराम बांध ले। हज या उमरे की नियत कर के "तल्बियह्" पढ़ने को एहराम कहते हैं। नमाज़ पढ़ कर हज या उमरे की नियत करे, अगर सिर्फ़ हज की नियत करना हो तो

इस तरह कहे -

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

तर्जुमा - ए अल्लाह! मैं हज का इरादा करता हूं, आप उसे मेरे लिए आसान फ़रमाईये और कुबूल फ़रमाईये।

और अगर सिर्फ़ उमरे की नियत करना हो तो इस तरह नियत करे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ فَیَسِّرْهَالِیْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ

तर्जुमा - ए अल्लाह! मैं उमरे का इरादा करता हूं आप उस को मेरे लिए आसान फ़रमाईये और क़ुबूल फ़रमाईये।

कई बार हज और उमरा दोनों की एक साथ नियत की

जाती है, इसको “क़िरान” कहते हैं। उस की नियत इस तरह करे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

तर्जुमा - ए अल्लाह! मैं हज और उमरे का इरादा करता हूं, तो इन दोनों को मेरे लिए आसान फ़रमाईये और क़ुबूल फ़रमाईये।

अगर अरबी के बजाए किसी दूसरी भाषा में नियत कर ले तो यह भी दुरूस्त है, बल्कि अगर ज़बान से कुछ न कहे सिर्फ़ दिल से नियत कर ले तब भी नियत हो जाएगी। नियत के बाद “तल्बियह्” के मस्नून अल्फ़ाज़ ये हैं। इनको अच्छी तरह से याद कर लिया जाये, इन में से कोई लफ्ज़ (शब्द) कम करना मक्रूह है।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَا شَرِيْكَ لَكَ ط

लब्बै-क अल्लाहुम्-म लब्बै-क, लब्बै-क ला शरी-क ल-क लब्बैक्, इन्नल् हम्-द वन्निअ्-म-त, ल-क वल् मुल-क, ला शरी-क ल-क

तर्जुमा - मैं हाज़िर हूं ए अल्लाह मैं हाज़िर हूं, आप का

कोई शरीक (साझी) नहीं मैं हाज़िर हूं, बेशक सब तारीफ़ (प्रशंसा) और नेमत आप ही के लिए है। और सारा जहान (संसार) ही आप का है आप का कोई शरीक नहीं।

सिर्फ़ नियत करने से एहराम शुरू नहीं होता, बल्कि नियत करने और "तल्बियह्" के अल्फ़ाज़ पढ़ने से एहराम में दाख़िल होते हैं। तल्बियह् पढ़ने से पहले चादर से सर को खोल दे, और सफ़र के दौरान भारी मात्रा में तल्बियह् के (ज़िक्र किए हुए) अल्फ़ाज़ ऊंची आवाज़ से पढ़ा करे, ख़ास कर हालात की तब्दीली के वक़्त, जैसे सुबह व शाम, उठते बैठते, बाहर जाते वक़्त, अन्दर आते वक़्त, लोगों से मुलाक़ात के वक़्त, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, रुख़्सत होते वक़्त, सवार होते वक़्त, सवारी से उतरते हुए और जब सोकर उठे। इन हालात में तल्बियह् पढ़ना ज़्यादा अच्छा (मुस्तहब) है और ताकीद आई है। जब भी तल्बियह् पढ़े तो तीन बार पढ़े, उस के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़े, फिर यह दुआ मांगे

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ

अल्लाहुम्-म इन्नी असअलु-क रिज़ा-क वल् जन्न-त व अऊज़ु बिरह्मति-क मिनन्नारि

तर्जुमा - ऐ अल्लाह मैं आप की ख़ुश्नूदी और जन्नत का

सवाल करता हूं और आपकी रहमत के वास्ते से दोज़ख़ के अज़ाब से पनाह चाहता हूं।

मस्अला- औरत ज़ोर से तल्बियह न पढ़े बस इतनी आवाज़ निकाले कि अपनी अवाज़ ख़ुद सुन ले।

मस्अला- औरतों में जो सर के लिए एक ख़ास कपड़ा मशहूर है जिसके बारे में समझती हैं कि इस के बिना एहराम नहीं बंधता यह ग़लत है, शरीअ़त में इस कपड़े की कोई हैसियत नहीं, यूं बालों की हिफ़ाज़त के लिए कोई कपड़ा बांध लिया जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन उस को एहराम का हिस्सा (भाग) समझना और यह अक़ीदा रखना कि इस के बिना एहराम में दाख़िल नहीं हो सकती, ग़लत है। अगर सर पर कपड़ा बांधे तो वुज़ू करते समय उसको हटा कर मसह् करे।

एहराम में जिन चीज़ों की मनाही है

हज या उमरे की नियत और तल्बियह् के बाद एह्राम में दाख़िल हो गए अब एहराम में जिन चीज़ों की मनाही है उन से बचने का एहतिमाम करना लाज़मी है, जो चीज़ें एहराम में मना हैं वे ये हैं-

1. मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना जो पूरे बदन या किसी एक हिस्से की शक्ल और बनावट पर तैयार किया गया हो। अगर सिलने के बजाए बुन कर या चिपका कर इस तरह का

कपड़ा तैयार कर लिया गया हो तो वो भी मना है।

2. सर और चेहरे का ढांकना (और औरत को सिर्फ़ चेहरा ढांकना)

3. ख़ुश्बू इस्तेमाल करना।

4. जिस्म के बाल दूर करना (जिस प्रकार से भी दूर करे)

5. नाख़ून काटना।

6. ख़ुश्की का शिकार करना (यानी वो शिकार जो पानी में न रहता हो)

7. पति पत्नी वाले ख़ास संबन्ध और शहवत के काम करना।

एहराम के मसाइल

मस्अला- हज या उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ लेने से एहराम बंध जाता है, नियत और तल्बियह् से पहले स्नान करना और दो रक्अत नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, अगर स्नान या नमाज़ का मौक़ा न हो तो इन के बिना भी एहराम बांधा जा सकता है, और बिना उज़्र स्नान और नमाज़ के बिना एहराम बांध लेना मकरूह है।

मस्अला- एहराम के लिए जो ग़ुस्ल (स्नान) सुन्नत है ये सफ़ाई सुथराई के लिए है, इसलिए "हैज़" (माहवारी) और

निफ़ास वाली (ज़च्चा) औरत और नाबालिग़ बच्चे को भी स्नान कर लेना चाहिए।

मस्अला - अगर किसी ने एहराम के समय स्नान न किया और वुज़ू करके दो रक्अत नमाज़ पढ़ ली तो यह भी जायज़ है।

मस्अला - अगर पानी न हो या और कोई उज़्र हो तो एहराम के लिए स्नान की जगह "तयम्मुम" करना दुरुस्त नहीं है। हां एहराम की नमाज़ के लिये तयम्मुम करना दुरुस्त है शर्त यह है कि शरीअ़त के उसूल के मुताबिक़ उस समय तयम्मुम करना जायज़ हो।

मस्अला - अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज़ के बाद हज या उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़लिया और एहराम के लिए मुस्तक़िल तरीक़े पर दो रक्अतें न पढ़ीं तो यह भी दुरुस्त है।

मस्अला - एहराम के लिए दो रक्अत नफ़िल नमाज़ ऐसे समय पढ़ना सुन्नत है जब कि मक्रूह वक़्त न हो, अगर मक्रूह वक़्त हो और मीक़ात से गुज़र रहा हो तो बिना नमाज़ पढ़े हज या उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ ले।

मस्अला - अगर किसी ने मौक़ा होते हुए भी सुस्ती से काम लिया और स्नान, वुज़ू और नमाज़ के बिना ही उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ लिया तब भी एहराम में दाख़िल हो

जायेगा, लेकिन ऐसा करना मक्रूह है।

मस्अला - अगर एहराम की हालत में एहतिलाम (स्वपन दोष) हो जाए तो इस से एहराम में कोई फ़र्क़ नहीं आता, कपड़ा और जिस्म धोकर स्नान कर लें। अगर चादर बदलने की ज़रूरत हो तो दूसरी चादर इस्तेमाल कर लें।

मस्अला - अगर एहराम की हालत में किसी जगह ज़ख़्म आ जाये तो उस से भी एहराम में कोई फ़र्क़ नहीं आता और न कोई जज़ा (बदला) वाजिब होती है।

मस्अला - एहराम में इंजक्शन और टीका लगवाना जायज़ है।

मस्अला - एहराम में फ़र्ज़ ग़ुस्ल, फ़र्ज़ है और सुन्नत ग़ुस्ल, सुन्नत है, अरौर ठंडक हासिल करने के लिए ग़ुस्ल (स्नान) करना भी दुरुस्त है, लेकिन मेल दूर न करे और साबुन न लगाए।

मस्अला - एहराम की हालत में सर या दाढ़ी में कंघी करना या सर या दाढ़ी को इस प्रकार खुजलाना कि बाल गिरने का डर हो मक्रूह है। ऐसे धीरे से खुजलाए कि बाल न गिरें।

मस्अला - दाढ़ी में इस तरह ख़िलाल करे (उंगिलयां फेरे) कि बाल न गिरें।

मस्अला - एहराम में शीशा देखना, दांत उखडवाना जायज़ है, और मिस्वाक बदस्तूर मस्नून है।

मस्अला - एहराम में तकलीफ़ देने वाले जानवर को मारना जायज़ है, जैसे सांप, बिच्छू, खटमल, पिस्सू, मच्छर, भिड, ततय्या आदि।

मस्अला - एहराम का कपड़ा सफ़ेद होना अफ़ज़ल है। लेकिन अगर रंगीन तहबन्द बांध लिया या रंगीन चादर ओढ़ ली तो यह भी जायज़ है।

मस्अला - कम्बल, लिहाफ़ ओढ़ना भी एहराम में जायज़ है, अगर नीचे ऊपर दो चादरें ओढ़ लीं, या चादर पर कम्बल ओढ़ लिया या नीचे दो चादरें बांध लीं तो यह भी जायज़ है।

मस्अला - अगर रुपया और माल वग़ैरह (आदि) रखने की ज़रूरत से नीचे की चादर पर पेटी या हमयानी बांध ले तो यह भी जायज़ है।

मस्अला - जिन चादरों में एहराम बांधा था अगर उन को हटा कर दूसरी चादरें पहन ले तो इस में कोई हरज नहीं। अगर चादर नापाक हो जाए और उस को धोने के लिये जिस्म से हटा ले तो कोई हरज नहीं।

मस्अला - एहराम में घड़ी बांधना, चश्मा लगाना दुरुस्त है।

मस्अला - एहराम में मर्द को जूता, बूट, मौज़े पहनना मना है। मर्द एहराम में हवाई चप्पल पहने, क़दम (पैर) के बीच

की हड्डी खुली रहे।

मस्अला - एहराम में हर गुनाह से सख़्ती के साथ परहेज़ करे। यूं तो गुनाह से हमेशा ही बचना लाज़िम है लेकिन एहराम में इसका और ज़्यादा एहतिमाम करे।

मस्अला - एहराम में ऐसी बातें करना भी मना हैं जो पति पत्नी के बीच होती हैं।

मस्अला - एहराम में लड़ाई झगडे से बहुत ज़्यादा परहेज़ करे। लड़ाई झगड़ा यूं भी मना है लेकिन एहराम की हालत में इसकी मनाही में और सख़्ती आ जाता है।

मस्अला - एहराम वाले मर्द व औरत को खुश्की का शिकार करना मना है इससे जज़ा वाजिब होती है, लेकिन वह मुर्ग़ी या बकरी या गाये या ऊंट एहराम की हालत में ज़िबह कर सकता है और उन का गोश्त (मीट) भी खा सकता है।

तल्बियह् के मसाइल

मस्अला - एहराम के वक़्त तल्बियह् यानी "लब्बैक" का ज़बान से कहना शर्त है, अगर दिल से कह लिया तो एहराम में दाख़िल न होगा।

मस्अला - अहराम बांध लेने के बाद तल्बियह् ख़ूब ज़्यादा पढ़ना मुस्तहब है। ख़ासकर हालात के बदलने के वक़्त जैसे सुबह व शाम, उठते बैठते, बाहर जाते वक़्त अन्दर आने

के वक़्त, लोगों से मुलाकात के वक़्त, रुख़सत के वक़्त, सोकर उठते वक़्त, सवार होते वक़्त, सवारी से उतरते वक़्त, ऊंचाई पर चढ़ते वक़्त, नीचे उतरते हुए इन हालात में ज़्यादा मुस्तहब (पसंदीदा) है और ताकीद की गयी है।

मस्अला - तल्बियह के बीच बात चीत न की जाये, जो व्यक्ति तल्बियह पढ़ रहा हो उसको सलाम करना मक्रूह है।

मस्अला - अगर किसी आदमी ने तल्बियह पढ़ने के वक़्त सलाम किया तो सलाम का जवाब तल्बियह के बीच में देना जायज़ है, मगर ख़त्म करके जवाब देना बेहतर है, शर्त यह है कि सलाम करने वाला चला न जाये।

मस्अला - फ़र्ज़ और नफ़िल नमाज़ों के बाद तल्बियह पढ़ना चाहिए और "अय्यामे तश्रीक़" (9-13 ज़िल्हिज्जा) में पहले तक्बीरे तश्रीक़ कहनी चाहिए उसके बाद तल्बियह, अगर पहले तल्बियह पढ़ली तो तकबीरे तश्रीक़ साक़ित हो गई (यानी अब उसको न पढ़े)

मस्अला - अगर मस्बूक़ (जिस की एक या ज़्यादा रकअतें जमाअत से निकल गयी हों) इमाम के साथ तल्बियह कह लेगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

मस्अला - अगर कई आदमी साथ हों तो एक साथ मिल कर तल्बियह न कहें बल्कि हर आदमी अलग अलग तल्बियह

पढ़े।

मस्अला - तल्बियह के अल्फ़ाज़ में कमी करना मक्रूह है।

मस्अला - जब कोई अजीब चीज़ नज़र आये तो यह कहे :

لَبَّيْكَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ ط

लब्बै-क इन्नल् अै-श अैशुल् आख़ि-रति

मस्अला - मर्द तल्बियह ऊंची आवाज़ से पढ़े, मगर अवाज़ ज़्यादा ऊंची न हो।

मस्अला - औरत को तल्बियह ज़ोर से पढ़ना मना है।

मस्अला - तल्बियह हज में दस्वीं तारीख़ की रमी (कंकरी मारना) शुरू करने के वक़्त तक पढ़ा जाता है। जब "जमर-ए-अक़बा" की रमी शुरू करे तो तल्बियह बन्द कर दे, उस के बाद न पढ़े और उमरे का तवाफ़ शुरू करे तो तल्बियह पढ़ना बन्द कर दे।

औरत का एहराम

औरत का एहराम मर्द के एहराम की तरह से है यानी गुस्ल कर ले और दो रकअत नमाज़ पढ़ कर हज या उमरे की नियत कर के तल्बियह पढ़ ले, अगर ग़ुस्ल (स्नान) या नमाज़

या दोनों चीज़ों का मौक़ा न हो तो नियत और तल्बियह् पर बस कर ले यानी हज या उमरे की नियत कर के लब्बैक अल्लाहुम्-म (आख़िर तक) पढ़ ले। इस तरह से एहराम में दाख़िल हो जाएगी। अगर कोई औरत माहवारी या ज़च्चा होने की हालत में हो और उसे मक्का मुअज़्ज़मा जाने या हरम शरीफ़ में दाख़िल होने के लिए मीक़ात से गुज़रना है तो इसी हालत में एहराम बांध ले, यानी हज या उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ ले, फिर अगर मक्का शरीफ़ पहुंचने तक पाक न हो तो पाक होने का इन्तिज़ार करे, जब तक पाक न हो मस्जिद में न जाए और जब पाक हो जाए ग़ुस्ल कर के तवाफ़ व सई कर ले।

मस्अला - औरत एहराम की हालत में पहले की तरह सिले हुए कपड़े पहने रहे और सर और तमाम आज़ा (बदन के हिस्से) ढ़ांके रहे लेकिन चेहरे को कपड़ा न लगाए।

मस्अला - औरतों पर एहराम की हालत में भी ना-मेहरमों से पर्दा करना लाज़िम है, यह जो मशहूर है कि हज या उमरे में पर्दा नहीं ये ग़लत है और जाहिलाना बात है, चेहरे पर कपड़ा न लगाना और बात है और ना-मेहरमों के सामने चेहरा खोलना और बात है। हुक्म यह है कि औरत एहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा न लगने दे इस से यह कैसे साबित हुआ कि ना-मेहरमों के सामने चेहरा खोले रहे?

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फ़रमाया कि हम

एहराम की हालत में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे, गुज़रने वाले अपनी सवारी पर हमारे पास से गुज़रते थे तो हम अपनी चादर को अपने सर से आगे बढ़ा कर चेहरे के सामने लटका लेते थे, जब वे लोग आगे बढ़ जाते तो हम चेहरा खोल लेते थे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 236)

इस से साफ़ मालूम हुआ कि ना-मेहरमों को चेहरा दिखाना एहराम में भी मना है, अगर कोई गत्ता वग़ैरह काट कर माथे के ऊपर लगालिया जाए और उसके ऊपर से नक़ाब डाल लें जिस से कपड़ा चेहरे को न लगे और पर्दा भी हो जाये तो बेहतरीन सूरत है और इस में कोई तक्लीफ़ भी नहीं।

फिर यह पाबन्दी कि चेहरे पर कपड़ा न लगे सिर्फ़ एहराम ही की हालत में तो है, हवाई जहाज़ से या मोटर कार से या बस से आजकल सफ़र होता है। उमरे में बहुत से बहुत एक दो दिन और हज में बहुत से बहुत तीन चार दिन एहराम बांधना होता है, एहराम के दिनों के अलावा जो औरतों मुंह खोले फिरती हैं इसके लिए तो एहराम का बहाना भी नहीं है फिर क्यों गुनाहगार होती हैं? तथा मदीना मुनव्वरा के सफ़र में तो एहराम होता ही नहीं, उस सफ़र में और मदीना मुनव्वरा के क़याम में मुंह खोले फिरना और तमाम ना-मेहरमों को अपना मेहरम ख्याल कर लेना बहुत बड़ी जहालत है और बिना वजह की गुनाहगारी है।

ना-बालिग़ का एहराम

मस्अला - अगर ना-बालिग़ बच्चा होशियार और समझदार है तो वह खुद एहराम बांधे और बालिग़ ही की तरह सब काम पूरे करे और अफ़आल अदा करे, अगर ना समझ और छोटा बच्चा है तो उसका वली (सरपरस्त) उसकी तरफ़ से एहराम बांधे।

मस्अला - छोटा बच्चा ना समझ अगर खुद अफ़आल (मुक़र्ररा काम) अदा करे या खुद एहराम बांधे तो ये अफ़आल और एहराम सही न होंगे, लेकिन समझदार बच्चा अगर खुद एहराम बांधे और अफ़आल खुद अदा करे तो सही हो जाएंगे।

मस्अला - समझदार बच्चे की तरफ़ से वली एहराम नहीं बांध सकता।

मस्अला - बच्चा समझदार जो अफ़आल खुद अदा कर सकता हो वह खुद अदा करे और जो खुद अफ़आल अदा न कर सके उस की तरफ़ से उसका वली अदा कर दे, लेकिन नमाज़े तवाफ़ बच्चे से पढ़वाये।

मस्अला - समझदार बच्चा खुद तवाफ़ करे और ना समझ को वली गोद में लेकर तवाफ़ कराये, यही हुक्म वुक़ूफ़े अरफ़ात, सई और रमी का है।

मस्अला - वली को चाहिए कि बच्चे को उन चीज़ों से

बचाए जो एहराम में मना हैं, लेकिन अगर बच्चा कोई मना किया गया काम करेगा तो उस की जज़ा वाजिब न होगी, न बच्चे पर और न वली पर।

मस्अला - जब बच्चे की तरफ़ से एहराम बांधा जाए तो अगर लड़का है तो उस के बदन से सिले हुए कपड़े निकाल दिये जायें और चादर व लुंगी उस को पहना दी जाये।

मस्अला - बच्चे का एहराम लाज़िम नहीं होता अगर तमाम (समस्त) अफ़्आल छोड़ दे या कुछ छोड़ दे तो उस पर कोई जज़ा और क़ज़ा वाजिब न होगी।

मस्अला - जो क़रीबी वली साथ हो वह बच्चे की तरफ़ से एहराम बांधे, जैसे बाप और भाई दोनों साथ हैं तो बाप को एहराम बांधना ज़्यादा मुनासिब है, अगर भाई वग़ैरह बांध लेगा तो यह भी जायज़ है।

मस्अला - ना समझ छोटे बच्चे का वली अपने तवाफ़ की नियत के साथ बच्चे की तरफ़ से भी नियत कर ले, फिर बच्चे को साथ उठा कर तवाफ़ कर ले तो इस तरह एक ही तवाफ़ से दोनों का तवाफ़ हो जायेगा।

मक्का मुअ़ज़्ज़मा और मस्जिदे हराम का दाख़िला

अच्छा यह है कि मक्के के क़ब्रिस्तान (यानी अलमुअल्ला) की तरफ़ से मक्का शरीफ़ में दाख़िल हो, अगर आसानी से हो

सके तो ऐसा करे वरना जिस तरफ़ से मौक़ा हो दाख़िल हो जाए
मक्का मुकर्रमा में दाख़िले (प्रवेश) के वक़्त ग़ुस्ल करना
सुन्नत है, अगर चे सवारियों की पाबन्दी और भीड की वजह
आज कल मुश्किल है, अगर आसानी से कर सके तो ग़ुस्
(स्नान) करे और जब मक्का शरीफ़ नज़र आये तो यह दुआ
पढ़े।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَآ اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَ مَآ اَقْلَلْنَ وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَآ اَضْلَلْنَ وَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَاذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ·

दुआ - अल्लाहुम्-म रब्बस् स-मावातिस् सब्इ़ वम
अज़्लल्-न व रब्बल् अर्ज़ी-नस्सब्इ़ व मा अक़लल्-न व रब्बश्
श्याती-नि व मा अज़्लल्-न व रब्बर्-रिया-हि वमा ज़रै-न
फ़इन्ना नस्अलु-क ख़ै-र हाज़िहिल् क़र्यति व ख़ै-र अह्लिहा
व नऊ़ज़ु बि-क मिन् शर्रिहा व शर्रि अह्लिहा व शर्रि मा
फ़ीहा-

तर्जुमा - ऐ अल्लाह जो सातों आसमानों और उन सब
चीज़ों का रब है जो आसमानों के नीचे हैं, और सातों ज़मीनों
का और उन सब चीज़ों का रब है जो उन के ऊपर हैं और
जो शैतानों का और उन सब का रब है जिनको शैतानों ने गुमराह
किया है और जो हवाओं का और उन चीज़ों का रब है जिन्हें

हवाओं ने उडाया है। सो हम तुझ से इस आबादी की और इस के रहने वालों की भलाई का सवाल करते हैं और इसकी बुराई से और इसकी आबादी की बुराई से तेरी पनाह चाहते हैं जो इसके अन्दर हैं।

कुछ बुज़ुर्गों से यह दुआ भी नक़ल की गयी है।

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْبَلَدَ بَلَدُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ جِئْتُكَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيْدَةٍ بِذُنُوْبٍ كَثِيْرَةٍ وَاَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ اَسْئَلُكَ مَسْاَلَةَ الْمُضْطَرِّ وَالْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِىْ بِمَحْضِ عَفْوِكَ وَاَنْ تُدْخِلَنِىْ فِىْ فَسِيْحِ جَنَّتِكَ جَنَّةِ النَّعِيْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَ عَظْمِىْ عَلَى النَّارِ۔ اَللّٰهُمَّ آمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ۔

दुआ - अल्लाहुम्-म इन्न हाज़ल ह-र-म ह-र-मु-क वल् ब-ल-द ब-ल-दु-क वल् अम्-न अम्नु-क वल् अब्-द अब्दु-क जिअ्तु-क मिम् बिलादिम् बअ़ीदतिम् बि-ज़ुनूबिन् कसी-रतिन् व अअ्मालिन् सय्यिअतिन् अस्अलु-क मस्अ-ल-तल् मुज़्तर्रि वल- मुश्फ़िक़ि मिन् अज़ाबि-क अन् तस्तक़्बिलनी बिमह्ज़ि अफ़्वि-क व अन् तुद्ख़ि-लनी फ़ी फ़सीहि जन्नति-क जन्नतिन् नईम। अल्लाहुम्-म इन्-न हाज़ा ह-र-मु-क फ़हर्रिम लह्मी व दमी व अज़्मी अलन् नारि, अल्लाहुम्-म आमिन्नी मिन् अज़ाबि-क यौ-म तब्-असु इबा-दक।

तर्जुमा - ऐ अल्लाह बेशक यह हरम आप का हरम है और यह शहर आपका शहर है और आपका अम्न वाक़ई अम्न है और बन्दा आप का बन्दा है, मैं दूर के शहरों से हाज़िर हुआ हूं बहुत से गुनाहों और बुरे आमाल के साथ, मैं आप से सवाल करता हूं उस व्यक्ति का सा सवाल जो बहुत मजबूर है और आपके अज़ाब से डरने वाला है, इस बात का सवाल है कि आप मुझे सिर्फ़ अपनी माफ़ी से अपने हरम में रखें और मुझे अपनी नेमतों की जन्नत में दाख़िल फ़रमा दें जो बहुत लम्बी चौड़ी जन्नत है। ऐ अल्लाह बेशक यह आप का हरम है तो आप मेरे गोशत और ख़ून और हड्डी को दोज़ख़ पर हराम फ़रमा दीजिये। ऐ अल्लाह मुझे अपने अज़ाब से अमन में रखिए जिस दिन आप अपने बन्दों को क़ब्रों से उठायेंगे। और जब मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने लगे तो तीन बार यह पढ़े।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا

अल्लाहुम्-म बारिक् लना फ़ीहा

तर्जुमा - ऐ अल्लाह हमें इस शहर में बरकत दे।

उसके बाद यह दुआ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَ حَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِیْ اَهْلِهَآ اِلَيْنَا

अल्लाहुम् मर् ज़ुक़्ना जनाहा व हब्बिब्ना इला अहलिहा व हब्बिब् सालिही अहलिहा इलैना-*1*

तर्जुमा - ऐ अल्लाह हमें इस के मेवे नसीब फ़रमा और हमें इसके रहने वालों के नज़दीक महबूब कर दे और इसके नेक लोगों को हमारा महबूब बना दे।

मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होते वक़्त बुज़ुर्गों से ये दुआ भी नक़ल की गयी है।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّیْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِیْ فِیْهَا رِزْقًا حَلَالًا۔

अल्लाहुम्-मज्अल्ली बिहा क़रारव् वर्ज़ुक़्नी फ़ीहा रिज़्क़न् हलाला

तर्जुमा - ऐ अल्लाह मेरे लिए मक्का मुकर्रमा में ठिकाना बना दे और मुझे इस में पाक रोज़ी नसीब फ़रमा।

उसके बाद बहुत ही आजज़ी के साथ पूरे अदब व एहतराम व इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हो और किसी इत्मीनान की जगह सामान रख कर (जिस से दिल मुतमईन हो जाए) और वुज़ू करके जल्द मस्जिदे हराम

----

1. यह दुआ और इस से पहली दुआ सफ़र में हर शहर और हर बस्ती में दाख़िल होते वक़्त पढ़ी जाये।

में आये। मस्जिदे हराम उस मस्जिद का नाम है जिस के अन्दर "काबा शरीफ़" है लफ़्ज़ "हराम" मुहतरम (सम्मानित) के मायने में है।

मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद शरीफ़ पढ़े।

और यह दुआ पढ़े ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَافْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ١*

अल्लाहुम् मग़्फ़िर ली ज़ूनूबी वफ़्तह्ली अब्वा-ब रह्-मति-क*1*

तर्जुमा - ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़ें खोल दे।

जब काबे शरीफ़ पर नज़र पड़े तो तीन बार-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

अल्लाहु अक्बर् ला इला-ह इल्लल्लाहु

---

1. यह दुआ हर मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त पढ़ी जाये।

चूमे और यह दुआ पढ़े

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ اَوِ اعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ط

अल्लाहुम्-म ज़िद् हाज़ल् बै-त तश्रीफ़व् व-तअ़्ज़ीमंव्-व तक्रीमंव्-व महा-बतंव्-व ज़िद् मन् शर्-र-फ़-हू व कर्-र-महू मेम्मन् हज्-जहू अविअ़्-त-म-रहू तश्रीफ़व्-व तअ़्ज़ीमंव् व बेर्रन्, अल्लाहुम्-म अन्तस्स-लामु व मिन्कस्स-लामु फ़ हय्यिना रब्ब-ना बिस्स-लामि

तर्जुमा - ऐ अल्लाह इस घर की शराफ़त व अज़मत व बुज़ुर्गी और हैबत बढ़ा तथा जो इसकी ज़ियारत करने वाला हो इसकी इज़्ज़त व एहतिराम करने वाला हो चाहे हज करने वाला हो या उमरा करने वाला उसकी भी शराफ़त और बुज़ुर्गी और भलाई ज़्यादा फ़रमा दे।

ऐ अल्लाह आपका नाम सलाम है और आप ही की तरफ़ से सलामती मिल सकती है, तो हमको सलामती के साथ ज़िन्दा रखिए।

इसके बाद दुरूद शरीफ़ पढ़े और खडे खडे जो चाहे दुआ

मांगे, उस वक़्त दुआ क़ुबूल होती है। कुछ आलिमों ने फ़रमाया कि इस मौक़े पर बिना हिसाब के जन्नत नसीब होने का अल्लाह तआला से सवाल करे। कुछ बड़ों ने इस मौक़े के लिए यह दुआ बताई है।

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

अऊज़ु बिरब्बिल् बैति मिनद्-दैनि वल् फ़क़्रि व मिन् ज़ीक़िस्सद्रि व अज़ाबिल् क़ब्रि

तुर्जमा - इस बैत (घर) के रब की पनाह लेता हूं क़र्ज़ से और तंगदस्ती से और सीने की तंगी से और क़ब्र के अज़ाब से।

मस्जिदे हराम में दाख़िल होकर सब से पहले तवाफ़ करे। जो आदमी उमरे का एहराम बांध कर आया था यह उसका उमरे का तवाफ़ होगा जो फ़र्ज़ है और जो आदमी सिर्फ़ हज का एहराम बांध कर आया था यह उसका "तवाफ़े क़ुदूम" होगा, जो सुन्नत है। अगर ऐसे वक़्त में मस्जिदे हराम में पहुंचा हो कि जमाअत खड़ी हो तो पहले इमाम के साथ नमाज़ पढ़ ले, बाद में तवाफ़ करे।

तवाफ़ का बयान

बैतुल्लाह यानी काबे शरीफ़ के गिर्द सात बार मुक़र्ररा तरीक़े पर चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं। काबा शरीफ़ के

4 उस गोशे (कोने, हिस्से) में जो पूरब (मशरिक़) की तरफ़ है, "हज्रे अस्वद" (काला पत्थर) लगा हुआ है, वहीं से तवाफ़ शुरू होता है और उसी पर ख़त्म होता है।

तवाफ़ में काबा शरीफ़ तवाफ़ करने वाले के बायीं तरफ़ रहता है, काबे का कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर छत नहीं है उसको "हतीम" कहते हैं। उसमें काबे शरीफ़ का प्रनाला गिरता है जिसे "मीज़ाबे रहमत" कहते हैं इस बे छत वाले हिस्से को भी तवाफ़ के अन्दर लेना ज़रूरी है। तवाफ़ के हर चक्कर में "रुक्ने यमानी" को दोनों हाथ या दायां हाथ लगाए इसको "इस्तिलाम" कहते हैं। रुक्ने यमानी काबे शरीफ़ का वह कोना है जो जुनूब (दक्षिण) की तरफ़ है और "हज्रे अस्वद" वाले कोने के मुक़ाबिल है, यह यमन की ओर पड़ता है इसलिए इस को "रुक्ने यमानी" कहते हैं। जो आदमी मीक़ात से हज का एहराम बांध कर आया हो वह मस्जिदे हराम में दाख़िल होकर "तवाफ़े क़ुदूम" करेगा जो सुन्नत है, और जो आदमी उमरे का एहराम बांध कर आया हो वह उमरे का तवाफ़ करेगा जो फ़र्ज़ है।

जिस तवाफ़ के बाद "सफ़ा मर्वा" की "सई" करना भी हो (जैसे उमरे का तवाफ़ करने वाला तवाफ़ के बाद उमरे की सई करता है, या जैसे बहुत से हाजी लोग तवाफ़े क़ुदूम के बाद सफ़ा मर्वा की सई करते हैं) इस तवाफ़ में "रमल" और "इज़्तिबाअ़" भी मस्नून है।

रमल सिर्फ़ शुरू के तीन चक्करों में होता है और इज़्तिबाअ़ पूरे सात चक्करों में होता है। कांधे हिलाते हुए और क़रीब क़रीब क़दम रखते हुए अकड कर चलने को "रमल" कहते हैं, और चादर को दायीं बग़ल के नीचे से निकाल कर उस का सिरा बायें कंधे पर डालने को इज़्तिबाअ़ कहते हैं, इस में दायां कंधा खुला रहता है। रमल और इज़्तिबाअ़ सिर्फ़ मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है।

तवाफ़ की नियत और अदा करने का तरीक़ा

तवाफ़ बिना नियत के अदा नहीं होता, तवाफ़ की नियत दिल से होना काफ़ी है और ज़बान से कह लेना भी दुरुस्त है।

जब तवाफ़ करने का इरादा करे तो "ख़ाना-ए-काबा" के उस गोशे के क़रीब आजाये जिस में "हज्रे अस्वद" लगा हुआ है, और वहां इस तरह खड़ा हो जाये कि दायां कंधा हज्रे अस्वद के बायें किनारे के मुक़ाबिल हो, इस तरह कि पूरा "हज्रे अस्वद" तवाफ़ करने वाले की दायीं तरफ़ रहे। इस तरह खड़े होकर दिल में तवाफ़ की नियत करे और ज़बान से ये अल्फ़ाज़ कह ले तो अच्छा है -

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

अल्लाहुम्-म इन्नी उरीदु तवा-फ़ बैति-क फ़यस्सिर्हु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी

तर्जुमा - ऐ अल्लाह मैं तेरे घर का तवाफ़ करने का इरादा कर रहा हूं इसको मेरे लिए आसान फ़रमा और इसको मेरी तरफ़ से क़ुबूल फ़रमा।

नियत करके ज़रा दायीं तरफ़ को खिसके ताकि हज्रे असवद के बिल्कुल सामने आजाए। फिर नमाज़ की नियत के वक़्त जिस तरह हाथ उठाते हैं इसी तरह कानों तक हाथ उठाकर यह दुआ पढ़े।

بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ اَكْبَرُ ط لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ط اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًام بِكَ وَوَفَآءً م بِعَهْدِكَ وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बरु, ला इला-ह इल्लल्लाहु व लिल्लाहिल् हम्दु, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, अल्लाहुम्-म ईमानम् बि-क व तस्दीक़म् बिकिताबि-क व वफ़ाअम् बिअह्दि-क व इत्तिबाअन् लिसुन्नति नबिय्यि-क मुहम्मदिन् सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल-म

तर्जुमा - अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक़ नहीं और सारी तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है, और दुरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के रसूल पर, ऐ अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखते हुए और तेरी किताब की तस्दीक़ करते हुए और तेरे अहद

(वायदे) को पूरा करते हुए और तेरे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी करते हुए (तवाफ़ करता हूं)

पूरी इबारत (यानी इस दुआ के अल्फ़ाज़) न पढ़े तो कम से कम "बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर्, व ल्लिाहिल हम्दु" ही कह ले। इसको कह कर हाथ छोड़ दे, फिर अदब और आजज़ी के साथ "हज्रे असवद" पर आये और उसको बोसा दे (यानी चूमे), भीड़ की वजह से चूम न सके तो दोनों हाथ ......या सिर्फ़ दायां हाथ हज्रे अस्वद पर रख कर चूम ले, और अगर इस का भी मौक़ा न हो तो किसी लकड़ी या और किसी चीज़ से हज्रे अस्वद को छू कर उस चीज़ को चूम ले, अगर यह भी न हो सके तो दोनों हाथ इस तरह उठाये कि हथेलियां हज्रे अस्वद की तरफ़ और पुश्त (पिछला हिस्सा) चेहरे की तरफ़ हो, इसके बाद हाथों को बोसा दे दे। यह हाथ उठाना दूसरी बार है और यह उस सूरत में है कि जब उक्त पहले तरीक़ा से हज्रे अस्वद को न चूम सके। हज्रे अस्वद को चूमने के लिए धक्का मुक्की करना, दूसरों को तकलीफ़ देना हराम है। यह भी ख़्याल रहे कि हज्रे अस्वद को चूमते वक़्त चांदी के हल्के को हाथ न लगाये जो उसके चारों तरफ़ लगा है। जो आदमी ऐहराम में हो वह यह भी ख़्याल रखे कि हज्रे अस्वद को कई लोग खुश्बू लगा देते हैं, अगर खुश्बू लगी हुई हो तो जो आदमी एहराम में हो वह मुंह या हाथ न लगाये ताकि खुश्बू के इस्तेमाल से बचा

रहे।

हज्रे अस्वद को बोसा देने (चूमने) को "इस्तिलाम" करना कहते हैं। इस्तिलाम करने के बाद दायें हाथ की तरफ़ बढ़े और काबा शरीफ़ को अपनी बायीं तरफ़ रखते हुए चलता रहे "हतीम" को घेरे में ले ले, काबे की पुश्त से गुज़र कर जब "रुक्ने यमानी" पर आये जो हज्रे अस्वद के बराबर वाला गोशा है तो उस को दोनों हाथ या दायां हाथ लगाए। उस से आगे बढ़ कर रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दर्मियान (बीच) यह दुआ पढ़ता रहे·

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव् व फ़िल् आख़ि-रति ह-स-न- तंव् व क़िना अज़ाबन्नारि (अबू दाऊद शरीफ़)

जब हज्रे अस्वद पर पहुंचे तो अल्लाहु अक्बर कहे और उसी तरीक़े पर "इस्तिलाम" करे जिस का तफ़सील से बयान हो चुका है।

यह एक चक्कर हो गया, इसी तरह सात चक्कर पूरे करे, एक चक्कर को "शौत" और सब चक्करों को "अश्वात" कहते हैं

तवाफ़ के बीच काब-ए-शरीफ़ को न देखे और उस की तरफ़ न सीना करे न पुश्त (पीठ) करे, तवाफ़ ख़त्म करने के

बाद "मक़ामे इब्राहीम" पर पहुंचे और उस के पीछे दो रक्अत नमाज़ पढ़े जिसे "दोगाना तवाफ़" कहते हैं। मक़ामे इब्राहीम के पीछे जगह न मिले तो हरम में जिस जगह चाहे पढ़ ले, अगर मकरूह वक़्त हो तो ठहर जाये और जब मकरूह वक़्त निकल जाये उस वक़्त "दो गाना तवाफ़" पढ़ ले।

तवाफ़ के लिए कोई ऐसी दुआ मुक़र्रर नहीं है जिस का पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब हो और उस के बिना तवाफ़ न होता हो, बल्कि तवाफ़ के दरम्यान कुछ न पढ़े तब भी तवाफ़ हो जाता है, लेकिन तवाफ़ में ज़िक्र और दुआ करना अफ़ज़ल है, जिस दुआ में जी लगे और जिस की अपने लिए ज़रूरत समझे आजज़ी और तवज्जोह व खुलूस के साथ दुआ करता रहे, अगर किसी किताब से दुआ पढ़ ले तो यह भी जायज़ है। आम तौर पर किताबों में सातों चक्करों की अलग अलग दुआ लिखी हुई मिलती है वे दुआयें भी अच्छी हैं, अगर उन को कोई आदमी पढ़े तो तवाफ़ की सुन्नत समझ कर न पढ़े, क्योंकि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तवाफ़ में उन दुआओं का पढ़ना साबित नहीं है। हम वे हदीसें लिख देते हैं जिन में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तवाफ़ के दर्मियान कुछ दुआओं का पढ़ना या पढ़ने का शौक़ व तवज्जोह दिलाना साबित है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस आदमी

ने बैतुल्लाह (काबे शरीफ़) का सात चक्करों से तवाफ़ किया और سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ط

"सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर् वला हौ-ल वला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" के अलावा कोई बात न की तो उस के दस गुनाह आमाल नामे से मिटा दिये जायेंगे, और उसके लिए दस नेकियां लिखी जायेंगी, और उस के दस दर्जे बुलन्द कर दिये जायेंगे, और जिस ने तवाफ़ किया (और तवाफ़ के बीच दुनिया की) बातें करता रहा तो वह ऐसा है जैसे वह रहमत में अपने पांवों से घुस गया जैसे कोई आदमी अपने पैरों से पानी में घुस जाये। (इब्ने माजः)

मतलब यह है कि अगर यह आदमी अल्लाह का ज़िक्र करते हुए तवाफ़ करता तो सर से पांव तक रहमत में रहता और अब उसे दुनियां की बातें करने की वजह से रहमत का कुछ हिस्सा नसीब नहीं हुआ।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से यह भी रिवायत है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि "रुक्ने यमानी" पर सत्तर (70) फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। जिस आदमी ने रुक्ने यमानी पर पहुंच कर यह दुआ पढ़ी तो वे सब फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। (इब्ने माजः)

दुआ -

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-कल् अफ़्-व वल् आफ़िय-त फ़िद्दुन्या वल् आख़ि-रति रब्बना आतिना फिद्दुन्या ह-स-न-तंव् व फ़िल् आख़ि-रति ह-स-न-तंव् वक़िना अज़ाबन्ना-रि

हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब रज़ि० ने बयान फ़रमाया कि मैं ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दोनों रुक्नों (यानी रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद) के दर्मियान यह पढ़ते हुए सुना

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिनाफ़िद् दुन्या ह-स-न-तंव् व फ़िल आख़ि-रति ह-स-न-तंव् वक़िना अज़ाबन्ना-रि

(अबू दाऊद शरीफ़)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० "रुक्ने यमानी" और "हज्रे अस्वद" के बीच यह दुआ पढ़ते थे और फ़रमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह दुआ पढ़ी है:

رَبِّ قَنِّعْنِیْ بِمَارَزَقْتَنِیْ وَبَارِكْ فِیْهِ وَاخْلُفْ عَلٰی كُلِّ غَآئِبَةٍ لِّیْ بِخَیْرٍ ؕ

रब्बि क़न्निअ्नी बिमा रज़क़्-तनी व बारिक ली फ़ीहि वख़्लुफ़ अला कुल्लि ग़ाइ-बतिल्ली बिख़ैरिन्

तर्जुमा - ऐ मेरे रब जो कुछ आपने मुझे दिया है उस में मुझे क़नाअत और बरकत दीजिए और मेरी जो चीज़ें मेरे सामने नहीं हैं मेरी ग़ैर मौजूदगी में उन की हिफ़ाज़त फ़रमाईए।

(मुस्तद्रक, हाकिम)

तवाफ़ की दो रक्अतें

तवाफ़ से फ़ारिग़ होने के बाद दो रक्अत नमाज़ पढ़े, इन दो रक्अतों का पढ़ना वाजिब है चाहे नफ़ली तवाफ़ किया हो, और इनका "मक़ामे इब्राहीम" के पीछे अदा करना सुन्नत है और पीछे होने का मतलब यह है कि मक़ामे इब्राहीम नमाज़ी और बैतुल्लाह शरीफ़ के दर्मियान में आ जाये। तवाफ़ के आख़री चक्कर को हज्रे अस्वद के इस्तिलाम (चूमने) पर ख़तम कर के मक़ामे इब्राहीम की तरफ़ बढ़ते हुए

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِیْمَ مُصَلًّی ؕ

"वत्तख़िज़ू मिम्म-क़ामि इब्राही-म मुसल्ला" पढ़े, फिर दो

रक्अतें अदा करे जिन में सूरः काफ़िरून (क़ुल या अय्युहल् काफ़िरून) और सूरः इख़्लास (क़ुल् हुवल्लाहु अहद्) पढ़ना सुन्नत है। अगर मक़ामे इब्राहीम के पीछे न पढ़ सके तो हरम में जहां चाहे पढ़ ले। इन के पढ़ने के लिए सब से अफ़ज़ल जगह मक़ामे इब्राहीम है फिर "हतीम" के अन्दर फिर बैतुल्लाह के क़रीब जहां मौक़ा मिल जाये, इसके बाद मस्जिदे हराम में जहां जगह मिल जाये, उसके बाद हरम की हद में, अगर हरम में न पढ़ी और जद्दा पहुंच गया या वतन चला गया तो जहां याद आ जाये वहीं अदा कर ले, अदा किये बिना सर से न उतरेंगी।

नमाज़े तवाफ़ के बाद मक़ामे इब्राहीम के क़रीब जो चाहे दुआ मांगे कुछ आलिमों से इस मौक़े पर नीचे लिखी गयी दुआ नक़ल की गयी है, "ग़ुन्यतुन्नासिक" में लिखा है कि यह दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस मौक़े पर की थी-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَافِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَايُصِيْبُنِىْ اِلَّامَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضًا مِّنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ.

अल्लाहुम्-म इन्न-क तअ्-लमु सिर्री व अलानि-यती फ़क्-बल मअ्ज़ि-रती व तअ्-लमु हा-जती फ़-अअ्तिनी सुअ्ली व तअ्-लमु मा फ़ी नफ़्सी फ़ग़्फ़िर ली ज़ुनूबी,

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क ईमानयं युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन् सादिक़न् हत्ता अअ्-ल-म अन्-नहू ला युसीबुनी इल्ला मा क-त ब्-त ली व रिज़म् मिन-क बिमा क़सम्-त ली

तर्जुमा - ऐ अल्लाह आप मेरी छिपी और खुली सब हालतों से वाक़िफ़ (जानकार) हैं, मैं उज़्र पेश करता हूं आप मेरे उज़्र को क़ुबूल फ़रमाईए, और आप मेरी हाजत को और जो कुछ मेरे दिल में है जानते हैं, तो मेरी हाजत (ज़रूरत) को पूरा फ़रमाईए और मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा दीजिए, ऐ अल्लाह मैं आप से ऐसे ईमान का सवाल करता हूं जो मेरे दिल में रच जाये और सच्चे यक़ीन का सवाल करता हूं ताकि मैं यह जान लूं कि जो कुछ तूने मेरे लिए लिख दिया है मुझे सिर्फ़ वही पहुंच सकता है और जो कुछ तू ने मेरे लिए तक़्सीम फ़रमा दिया है उस पर राज़ी हूं, उस का सवाल भी करता हूं।

तवाफ़ की क़िस्में

तवाफ़ की कई क़िसमें हैं

1. **तवाफ़े क़ुदूम** - यानी आने के वक़्त का तवाफ़, इस को तवाफ़ुल्-लिक़ा भी कहते हैं। यह उस बाहर से आने वाले के लिए सुन्नत है जो "हज्जे इफ़राद" या "हज्जे क़िरान" करे, और "तमत्तोअ़" और उमरा करने वालों के लिए सुन्नत नहीं चाहे बाहर से आया हो। इसी तरह मक्का मुकर्रमा के रहने वालों के लिए भी नहीं है। हां अगर कोई मक्के का रहने वाला

"मीक़ात" के बाहर से आते हुए "इफ़राद" या "क़िरान" (हज की क़िस्में हैं) का एहराम बांध कर हज करे तो उस के लिए सुन्नत है, एहराम के बाद जब मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हो तो तवाफ़े क़ुदूम कर ले, इसका आख़री वक़्त वुक़ूफ़े अरफ़ात से पहले पहले है।

2- **तवाफ़े ज़ियारत** - इस को तवाफ़े रुक्न और तवाफ़े फ़र्ज़ भी कहते हैं। यह हज का रुक्न है इसके बिना हज नहीं होता, और इसका वक़्त दस्वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक़ से शुरू होता है और क़ुरबानी के दिनों (यानी दस्वीं से बारहवीं) तक करना वाजिब है, इसके बाद किया तो देरी की वजह से "दम" वाजिब होगा।

3- **तवाफ़े सद्र** - यानी वापसी का तवाफ़, इस को "तवाफ़े विदा" भी कहते हैं, यह बाहर से आने वाले पर वाजिब है, मक्की पर और जो बाहर से आने वाला हज के बाद मक्का मुकर्रमा को हमेशा के लिए वतन बना ले उस पर वाजिब नहीं, ये तीनों तवाफ़ हज के साथ ख़ास हैं।

4- **तवाफ़े उमरा** - यह उमरे में रुक्न और फ़र्ज़ है इसमें इज़्तिबाअ़ और रमल करे और तवाफ़ के बाद सई करे।

5- **तवाफ़े नज़ूर** - यह नज़्र (मन्नत) मानने वाले पर

वाजिब होता है।

6- तवाफ़े तहिय्यह् - यह मस्जिदे हराम में दाख़िल होने वाले के लिए मुस्तहब है, जैसा की दूसरी मस्जिदों में दाख़िल हो कर "तहिय्यतुल् मस्जिद" की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, मस्जिदे हराम में दाख़िल हो कर जो भी तवाफ़ कर लिया जाए वो इस की जगह माना जायेगा।

7- तवाफ़े नफ़िल - जिस वक़्त मुनासिब जाने इसे अदा कर सकता है इसका भी बहुत सवाब है।

तवाफ़ के मसाइल

मस्अला - तवाफ़ के लिए नियत शर्त है, तवाफ़ की नियत के बिना काबा शरीफ़ के चारों तरफ़ चक्कर लगाये तो तवाफ़ न होगा।

मस्अला - जिस तवाफ़ के बाद सई करना हो उसमें "इज़्तिबाअ्" मस्नून है, हज का तवाफ़ हो या उमरे का दोनों का एक ही हुक्म है, इज़्तिबाअ् यह है कि ऊपर की चादर के दायें पल्ले को दायीं बग़ल के नीचे से निकाल कर बायें कंधे पर डाल दे, दायां कंधा खुला रहे और दोनों पल्ले बायें कंधे पर पडे रहें। यह इज़्तिबाअ् तवाफ़ के सातों चक्करों में रहेगा, लेकिन जब तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर "दोगाना तवाफ़" यानी तवाफ़ की दो रक्अतें पढ़ने लगे तो मोंढे ढांक कर पढ़े।

अगर इज़्तिबाअ़ के साथ नमाज़ पढ़ेगा तो मकरूह होगा।

इज़्तिबाअ़ सिर्फ़ तवाफ़ की हालत में सुन्नत है। लोगों को देखा गया है कि सई की हालत में भी इज़्तिबाअ़ करते हैं, हालांकि तवाफ़ के अलावा और किसी हालात में सुन्नत नहीं है। और हर तवाफ़ में भी सुन्नत नहीं है, बल्कि उस तवाफ़ में सुन्नत है जिस के बाद सई करना हो।

मस्अला - जिस तवाफ़ के बाद सई करना हो उस के शुरू के तीन चक्करों में रमल करना भी सुन्नत है। इस का मतलब यह है कि अकड कर मोंढे हिलाते हुए कुछ तेज़ी के साथ क़रीब क़रीब क़दम रखते हुए चले।

मस्अला - तवाफ़ के लिए ज़रूरी यानी वाजिब है कि वुज़ू के साथ किया जाए, अगर बे वुज़ू तवाफ़ कर लिया तो वुज़ू करके दोबारा कर लें, अगर दोबारा न किया तो जज़ा वाजिब होगी। (जिसकी तफ़सील इन्शाअल्लाह जिनायात के बयान में आयेगी)।

मस्अला - काबे शरीफ़ से जितना ज़्यादा क़रीब होकर तवाफ़ किया जाये उतना ज़्यादा सवाब है, लेकिन इसका ख़्याल रहे कि दूसरे तवाफ़ करने वालों को तक्लीफ़ न हो।

मस्अला - तवाफ़ में तीसरा कलिमा पढ़ता रहे, और रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के बीच -

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

"रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव् व फ़िल आख़ि-रति ह-स-न-तंव् वक़िना अज़ाबन्ना-रि" पढ़े।

मस्अला - अगर तवाफ़ करते हुए जमाअत खड़ी हो जाये या जनाज़े की नमाज़ शुरू हो जाये या वुज़ू टूट जाने की वजह से वुज़ू करने चला जाए तो जितने चक्कर बाक़ी रह गये हों उन को नमाज़ या वुज़ू से फ़ारिग़ होकर पूरा कर ले, लेकिन अगर तवाफ़ का ज़्यादा हिस्सा अदा करने से पहले उक्त सूरतें पेश आ गयी हों तो नये सिरे से पूरा तवाफ़ करना अफ़ज़ल है।

मस्अला - अगर किसी चक्कर के दर्मियान फ़र्ज़ नमाज़ की तक्बीर शुरू हो जाये तो बेहतर है कि चक्कर पूरा करके शरीक हो जाये, हां अगर चक्कर पूरा करने में रक्अत निकल जाने का ख़तरा हो तो फिर जहां है वहीं छोड़ दे और फिर जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे।

मस्अला - जो आदमी ऐसा बीमार हो या माज़ूर (जैसे विकलांग वग़ैरह) हो जो तवाफ़ करने की ताक़त न रखता हो उसे पीठ पर या चारपाई पर उठा कर तवाफ़ कराना जायज़ है, और उठाने की उजरत (मज़दूरी) लेना भी जायज़ है।

मस्अला - जिसे उठा कर तवाफ़ कराया जा रहा है वह

अगर होश में हो तो तवाफ़ की नियत खुद करे, अगर एहराम के बाद बेहोश हो गया था और उस की तरफ़ से उठाने वाले ने नियत करली तब भी तवाफ़ हो जायेगा।

मस्अला - अगर बेहोश को किसी ने उठा कर तवाफ़ कराया और तवाफ़ की नियत अपनी तरफ़ से भी कर ली तो दोनों की तरफ़ से तवाफ़ अदा हो जायेगा यानी तवाफ़ करने वाले को उस के बाद अपनी तरफ़ से अलग से तवाफ़ करने की ज़रूरत न होगी।

मस्अला - तवाफ़ की जगह बैतुल्लाह के चारों तरफ़ मस्जिद के अन्दर अन्दर है, चाहे बैतुल्लाह से क़रीब हो या दूर हो, और चाहे सतूनों को और ज़म्ज़म वग़ैरह को बीच में लेकर हो, मस्जिद की हदों के अन्दर तवाफ़ करने से तवाफ़ हो जायेगा।

मस्अला - अगर कोई आदमी मस्जिद की छत पर चढ़ कर तवाफ़ करे चाहे बैतुल्लाह शरीफ़ से ऊंचा हो जाये तब भी तवाफ़ हो जायेगा।

मस्अला - मस्जिदे हराम से बाहर निकल कर अगर तवाफ़ करेगा तो तवाफ़ न होगा।

मस्अला - तवाफ़ में फ़ुज़ूल बात चीत करना या ख़रीद

व बेच करना मक्रूह है, लेकिन दीनी मस्अला बताना और पूछना या ज़रूरी बात करना मक्रूह नहीं है।

मस्अला - तवाफ़ के दौरान ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करना या दुआ करना जिस से तवाफ़ करने वालों को या नमाज़ियों को तक्लीफ़ हो यह भी मक्रूह है।

मस्अला - पेशाब पायख़ाने (शोच) का तक़ाज़ा होते हुए तक़ाज़े को दबा कर तवाफ़ करना मक्रूह है।

मस्अला - हज्रे अस्वद के इस्तिलाम (चूमने) में दूसरे तवाफ़ करने वालों को धक्के देना हराम है बहुत से लोग इसका बिल्कुल ख़्याल नहीं करते दूसरों को तक्लीफ़ देकर "गुनाहे कबीरा" में मुब्तला होते हैं। भीड़ की वजह से अगर मुंह से बोसा न दे सके तो दोनों हाथ हज्रे अस्वद पर लगाये और हाथों को चूम ले, अगर एक ही हाथ लगा सके तो दायां हाथ लगाए और उसे चूम ले अगर यह भी न हो सके तो किसी लकडी से हज्रे अस्वद को छू ले और उस लकड़ी को चूम ले (वैसे बहुत ज़्यादा भीड में यह भी नहीं हो पाता)

ऊपर ज़िक्र की गयी सूरतों में से कोई भी सूरत न हो सके तो दोनों हाथ कानों तक उठा कर दोनों हथेलियों को हज्रे अस्वद की तरफ़ इस तरह करे कि हथेलियों की पुश्त (पिछला हिस्सा) चेहरे की तरफ़ रहे उस के बाद हथेलियों को चूम ले।

मस्अला - कुछ लोग हज्रे अस्वद पर खुश्बू लगा देते हैं, जो आदमी एहराम में हो खुश्बू लगी होने की सूरत में मुंह या हाथ से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम न करे बल्कि सिर्फ़ आख़री सूरत अपनाये जो ऊपर बयान हुई।

मस्अला - तवाफ़ करते हुए काबे शरीफ़ की तरफ़ मुंह करना मना है।

मस्अला - हज्रे अस्वद और काबे शरीफ़ की चौखट के अलावा काबे शरीफ़ के किसी हिस्से या दीवार को बोसा देना (चूमना) मना है, मगर सिर्फ़ रुक्ने यमानी को हाथ लगाये बोसा न दे।

मस्अला - जिस तवाफ़ के तीन चक्करों में रमल करना सुन्नत है उसके शुरू करने के लिए मौक़े का इन्तज़ार करे अगर भीड़ ज़्यादा हो जिसमें रमल करने का मौक़ा न मिले तो रमल छोड़ दे और तवाफ़ पूरा कर ले।

मस्अला - अगर कमज़ोरी या बुढ़ापे की वजह से रमल करना छोड़ दे तो इस में कोई हरज नहीं।

मस्अला - रमल करना भूल गया और एक या दो चक्कर करने के बाद याद आया तो तीन चक्करों में से जितने चक्कर बाक़ी हों उन में रमल कर ले, अगर शुरू के तीन चक्करों के बाद रमल याद आया तो अब रमल न करे।

मस्अला - तवाफ़ करने वाले को अगर चक्करों की गिनती में शक हो जाए तो फ़र्ज़ तवाफ़ या वाजिब तवाफ़ के जिस फेरे में शक हो तो उस को लौटा ले, जैसे यह शक हो कि छः फेरे हुए हैं या सात तो एक चक्कर और कर ले ताकि यक़ीन हो जाये कि सात चक्कर पूरे हो गये, और नफ़िल तवाफ़ के फेरों में शक हो जाये तो जिस तायदाद पर दिल ज़्यादा ठुके उस पर अमल करे।

मस्अला - तवाफ़ करत हुए धक्कम धक्का करना सख़्त मना है, ख़ास कर औरतें सख़्ती के साथ इस से बचें और जहां तक हो सके मर्दों से अलग हो कर तवाफ़ करें। अगर किसी औरत को माहवारी आने का ख़तरा हो तो जल्दी से तवाफ़ कर ले, लेकिन भीड़ में मर्दों से अलग रह कर चले।

मस्अला - ना समझ बच्चे की तरफ़ से अगर एहराम बांधा हो तो उसे गोद में लेकर तवाफ़ करने की सूरत में बच्चे की तरफ़ से भी तवाफ़ की नियत कर ले, इस तरह से दोनों का तवाफ़ अदा हो जाएगा। और अगर इसी तरह सफ़ा मर्वा के दर्मियान सई कर ली तो दोनों की सई अदा हो जायेगी।

नफ़ूली तवाफ़

मस्अला - उमरे का तवाफ़ और सई और हल्क़ या क़स्र (बाल मुंडाना या कम कराना) के बाद और हज से पहले और बाद में जिस क़दर हो सके नफ़ूली तवाफ़ करता रहे और मक्का मुकर्रमा के क़याम (ठहरने) को ग़नीमत जाने, बाज़ारों

में न घूमे। नफ़्ली तवाफ़ की भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और तवाफ़ वो इबादत है जो मक्का मुकर्रमा के अलावा और कहीं नहीं हो कसती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करता रहे, हज और उमरे से फ़ारिग़ हो कर बहुत से लोग कसरत से उमरे करते हैं और अधिकता के साथ उमरे करना भी अगरचे सवाब का काम है, लेकिन ज़्यादा उमरे करने के मुक़ाबले में ज़्यादा तवाफ़ करना अफ़ज़ल है। कोई आदमी "तनईम" जाये और वहां उमरे का एहराम बांधे फिर वहां से वापस आये और तवाफ़ व सई करे और "हल्क़ या क़स्र" करे तो इतने वक़्त में वह एक ही तवाफ़ कर सकेगा यानी उमरे का तवाफ़, लेकिन अगर उमरा न करता तो इतने वक़्त में दस बीस तवाफ़ कर लेता। इसलिए तवाफ़ ज़्यादा करने की तरफ़ तवज्जोह देनी चाहिए।

दो गाना तवाफ़ के मसाइल

हर तवाफ़ के बाद (फ़र्ज़ हो या वाजिब या नफ़िल) दो रक्अत नमाज़ पढ़ना वाजिब है और इन दो रक्अतों का मक़ामे इब्राहीम के पीछे पढ़ना अफ़ज़ल है, लेकिन वहां जगह न मिले तो हरम में किसी भी जगह पढ़ ले। अगर मस्जिदे हराम या मक्का मुकर्रमा में यह नमाज़ न पढ़ी तो सर से न उतरेगी, सारी उमर में और सारे संसार में कहीं भी यह नमाज़ अदा की जाकती है।

मस्अला - तवाफ़ करने के बाद ही बिना देर किये तवाफ़ की दो रक्अतें पढ़ना मस्नून है और देर करना मक्रूह है। लेकिन **अगर** वक़्त मक्रूह हो तो उस के गुज़र जाने के बाद पढ़े।

मस्अला - अगर किसी ने असर के बाद तवाफ़ किया तो सूरज छिपने का इन्तिज़ार करे और मग़रिब के फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतों से पहले तवाफ़ की रक्अतें पढ़ ले, इसी तरह अगर फ़जर के बाद तवाफ़ कर लिया तो जब "इशराक़" का वक़्त हो जाए उन को अदा कर ले।

मस्अला - अगर किसी ने फ़जर की नमाज़ के बाद या असर की नमाज़ के बाद सूरज में ज़रदी (पीलापन) आने से पहले पहले नमाज़ "दोगाना तवाफ़" पढ़ ली तो अगर चे मक्रूह है मगर अदा हो जायेगी, बेहतर यह है कि इस को दोबारा पढ़ ले, और अगर बिल्कुल (सूरज के) "ज़वाल" या "तुलूअ़" या "ग़ुरूब" के वक़्त तवाफ़ की रक्अतें पढ़ लीं तो उन का दोबारा पढ़ना वाजिब होगा।

ज़म-ज़म का पानी

मस्जिदे हराम में ज़म्ज़म का पानी ख़ूब पीने को मिलता है, बार बार ख़ूब और जी भर कर ज़म-ज़म पिये। शुरू में बिस्मिल्लाह कहे और आख़िर में अल्हम्दु लिल्लाह कहे और तीन सांस से कम में न पिये, और फिर यह दुआ मांगे

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ ط

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क इल्मन् नाफ़िअ़ंव्-व रिज़्क़ंव्-वासिअ़ंव् व शिफ़ाअम् मिन कुल्लि दा-इन्

तर्जुमा - ऐ अल्लाह में आप से नफ़ा देने वाले इल्म का

और कुशादा रिज़्क़ का और हर मर्ज़ से शिफ़ा पाने का सवाल करता हूं।

मक़ामे मुल्तज़म पर पढ़ने की दुआ़

हज्रे अस्वद और बैतुल्लाह के दर्मियान जो हिस्सा है उस को मुल्तज़म कहते हैं। इस जगह से चिमट कर ख़ूब दिल से दुआ करे, अपने दोनों हाथ सर के ऊपर सीधे बिछा दे और सीना दीवार से मिला दे और गाल को दीवार पर रख दे, यह दुआ के क़ुबूल होने की ख़ास जगह है, तर्जुबा है कि यहां जो दुआ़ की जाती है ज़रूर क़ुबूल होती है। इस मौक़े के लिए कोई ख़ास दुआ़ मन्क़ूल नहीं जो सुन्नत हो, लेकिन उन लोगों के लिए हम एक दुआ़ लिख देते हैं जिन का इस मौक़े पर किसी दुआ़ की तरफ़ ज़ेहन न जाये यह दुआ़ मांग लें।

اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَآئِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَ اِخْوَا
نِنَاوَاَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ ط يَاذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَآءِ وَ
الْاِحْسَانِ ط اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْیِ
الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ
بَابِكَ مُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ اَخْشٰی
عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَاقَدِيْمَ الْاِحْسَانِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ

ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَ تُصْلِحَ اَمْـرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُنَـوِّرَ لِىْ فِىْ قَبْرِىْ وَتَغْفِرَلِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْـجَنَّةِ اٰمِيْنَ ط

अल्लाहुम्-म या रब्बल् बैतिल् अतीक़ि अअ्तिक़ रिक़ा-बना व रिक़ा-ब आबा-इना व उम्म-हातिना व इख़्वानिना व औलादिना मिनन्नारि, या ज़ल् जूदि वल् क-र-मि वल् फ़ज़्लि वल् मन्नि वल् अता-इ वल इह्सानि, अल्लाहुम्-म अह्सिन् आक़ि-ब-त-ना फ़िल् उमूरि कुल्लिहा व अजिर्ना मिन ख़िज़्यिद् दुन्या व अज़ाबिल् आख़ि-रति, अल्लाहुम्-म इन्नी अ़ब्दु-क वब्नु अ़ब्दि-क वाक़िफ़ुन् तह्-त बाबि-क मुल्त-ज़ि-मुन् बिअअ्ताबि-क मु-त-ज़ल्लिलुन् बै-न यदै-क अर्जू रह्-म-त-क व अख़्शा अ़ज़ा-ब-क मिनन्नारि या क़दीमल् इह्सानि, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क अन् तर्-फ़-अ़ ज़िक्री व त-ज़-अ़ विज़्री व तुस्लि-ह अम्री व तुतह्हि-र क़ल्बी व तुनव्वि-र ली फ़ी क़ब्री व तग़्फ़ि-र ली ज़म्बी व अस्अलुकद्-द-र-जातिल् उ़ला मिनल् जन्न-ति आमीन,

तर्जुमा - ऐ अल्लाह इस पुराने घर के मालिक, हमारी गर्दनों को और हमारे बाप दादाओं और माताओं और भाईयों और औलाद की गर्दनों को दोज़ख़ से आज़ाद कर दे, ऐ बख़्शिश वाले और करम वाले, फ़ज़्ल वाले एहसान वाले, अ़ता वाले, ख़ूबी का बर्ताव करने वाले, ऐ अल्लाह तमाम मामलात में हमारा अन्जाम बख़ैर फ़रमा और हमें दुनिया की रुस्वाई और आख़िरत के अज़ाब

से महफ़ूज़ रख, ऐ अल्लाह मैं तेरा बन्दा हूं और तेरे बन्दे का बेटा हूं, तेरे (पाक) घर के नीचे खड़ा हूं तेरे दरवाज़े की चोखटों से चिमटा हुआ हूं, तेरे सामने आजज़ी के साथ हूं, तेरी रहमत का तालिब हूं और तेरे दोज़ख के अज़ाब से डर रहा हूं, ऐ हमेशा के एहसान करने वाले, ऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूं कि मेरे ज़िक्र को ऊंचा कर, और मेरे गुनाहों को ख़त्म फ़रमा और मेरे कामों को दुरुस्त फ़रमा और मेरे दिल को पाक फ़रमा और मेरे लिए क़ब्र में रोशनी फ़रमा मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा और मैं तुझ से जन्नत के ऊंचे दरजों की भीख मांगता हूं। आमीन

सई का बयान

सफ़ा और मर्वा के दर्मियान सात बार आने जाने को सई कहते हैं यह हज और उमरा दोनों में वाजिब है, हज में तवाफ़े क़ुदूम के बाद हो सकती है और तवाफ़े ज़ियारत के बाद भी। तवाफ़ के बाद दोगाना नमाज़ से फ़ारिग़ होकर पहले हज्रे अस्वद पर जाए और उस का इस्तिलाम करे, फिर सफ़ा की तरफ़ चले, जब सफ़ा से कुछ दूर रह जाये तो इस तरह सई की नियत करे:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِّوَجْهِكَ الْكَرِیْمِ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ.

अल्लाहुम्-म इन्नी उरीदुस्-सअ्-य बैनस्-सफ़ा वल् मर्-व-त सब्-अ-त अश्वातिल्-लिवज्हिकल् करीमि फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी-

तर्जुमा - ऐ अल्लाह मैं आप की खुश्नूदी के लिए सफ़ा व मर्वा के बीच सई के सात चक्कर करने का इरादा कर रहा हूं, आप इसे मेरे लिए आसान फ़रमा दीजिए और क़ुबूल फ़रमाईए।

ज़बान से दुआ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, दिल से नियत काफ़ी है जो उसी वक़्त हो चुकी है जब हज्रे अस्वद का इस्तिलाम कर के सफ़ा की तरफ़ चला था। जब सफ़ा के क़रीब (निकट) पहुंच जाए तो यह पढ़े:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ط اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ

इन्नस्-सफ़ा वल् मर्-व-त मिन् शआ-इरिल्लाहि, अब्-दअु बिमा ब-द-अल्लाहु बिही

तर्जुमा- बेशक सफ़ा और मर्वा अल्लाह की निशानियों में से हैं, मैं उसी से शुरू करता हूं जिसका ज़िक्र अल्लाह ने शुरू में फ़रमाया है।

मतलब यह है कि सफ़ा से शुरू करता हूं जिसका ज़िक्र क़ुरआन पाक में मर्वा से पहले है।

सफ़ा पर इतना चढ़े कि काबा शरीफ़ नज़र आने लगे (आजकल थोड़ा सा चढ़ने के बाद मस्जिदे हराम के कई दरवाज़ों से काबे शरीफ़ का कुछ हिस्सा नज़र आ जाता है) उस के बाद काबे शरीफ़ की तरफ़ रुख़ करके इस तरह हाथ उठाए जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं फिर तीन बार "अल्लाहु अकबर्"

कहे और अल्लाह की तौहीद ब्यान करे और यह पढे :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ أَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ ۔

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू लहुल् मुल्-कु व लहुल् हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर, ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू अन्-ज-ज़ वअ्-दहू व न-स-र अब्-दहू व ह-ज़मल् अह्ज़ा-ब वह्-दहू,

तर्जुमा - अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह तन्हा है उसका कोई साझी नहीं, उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा वह तन्हा है उसने अपना वायदा पूरा फ़रमाया और अपने बन्दे की मदद फ़रमाई और दुश्मनों की जमाअतों को उस ने तन्हा हराया।

इसके बाद दुरूद शरीफ़ पढ़कर जो चाहे दुआ मांगे और तीन बार यह पूरा अमल करे, फिर सफ़ा से उतरे और मर्वा की तरफ़ ज़िक्र करता हुआ चले यहां तक कि जब हरे रंग का सतून छः हाथ के फ़ासले पर रह जाये तो दौड़ना शुरू कर दे और दोनों सतूनों के बीच दौड़ता हुआ गुज़र जाये (यह दौड़ना मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं हैं) और सतूनों के बीच दौडते हुए यह दुआ पढ़ना नक़ल किया गया है-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ط

अल्लाहुम्-मग़् फ़िर वर्हम् अन्तल् अअज़्ज़ुल् अक्-रमु

तर्जुमा- ऐ अल्लाह मग़्फ़िरत फ़रमा और रहम फ़रमा तू बहुत बड़ा इज्ज़त वाला है और बहुत बड़ा करीम है।

दूसरे हरे सतून पर पहुंच कर दौड़ना बन्द कर दे और अपनी आम (साधारण) रफ़्तार पर चले और कोई ज़िक्र करता रहे। जब मर्वा पर पहुंच जाए तो वहां भी इसी तरह हाथ उठा कर तीन बार "अल्लाहु अक्बर" कहे और चौथा कलिमा तीन बार पढ़े जैसे सफ़ा पर अमल किया था और उस के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ कर जो चाहे दुआ करे मर्वा पर पहुंच कर एक चक्कर पूरा हो गया।

मर्वा पर ज़िक्र व दुआ कर के सफ़ा की तरफ़ को चले और जब हरा सतून आ जाये तो दौडना शुरू कर दे और अगले हरे सतून से आगे जब छः हाथ के फ़ासले पर पहुंच जाये तो दौड़ना बन्द कर दे और अपनी आदत के अनुसार चले और जब सफ़ा पर पहुंच जाए तो थोड़ा सा ऊपर चढ़े और उसी तरह ज़िक्र और दुआ करे जिस तरह शुरू में की थी। अब दो चक्कर हो गये, इसी तरह सात चक्कर करके "सई" ख़तम कर दे, जो सफ़ा से शुरू होकर मर्वा पर ख़तम होगी, उमरे और हज की सई एक ही तरह है, दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं है।

सई के मसाइल

सई करते हुए आते जाते हर चक्कर में खूब पाबन्दी से ज़िक्र करे, हदीस शरीफ़ में है कि "जमरात" पर कंकरी मारना और बैतुल्लाह का तवाफ़ करना और सफ़ा व मर्वा की सई अल्लाह के ज़िक्र ही के लिए है न किसी दूसरी वजह से।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, हाकिम)

सफ़ा, मर्वा के बीच पढ़ने के लिए कोई दुआ या कोई ज़िक्र ऐसा मुक़र्रर नहीं है जिस के बिना सई अदा न हो, कुछ आलिमों ने हर चक्कर के लिए अच्छी दुआएं लिख दी हैं ताकि जो आदमी अपनी समझ से दुआ न कर सके वह उन ही को पढ़ ले।

सई से फ़ारिग़ हो कर मताफ़ (यानी तवाफ़ करने की जगह) के किनारे पर दो रक्अत नफ़िल पढ़ना मुस्तहब है।

जिस आदमी ने "हज्जे क़िरान" का एहराम बांधा वह मक्का मुकर्रमा आकर पहले उमरे का तवाफ़ रमल और इज़्तिबाअ़ के साथ करे, उस के बाद उमरे की सई करे, फिर हज का तवाफ़े क़ुदूम करे फिर हज की सई करे, "क़िरान" में तवाफ़े क़ुदूम के बाद सई करना अफ़ज़ल है, और अगर उस वक़्त हज की सई न की तो तवाफ़े ज़ियारत के बाद सई कर ले।

अगर "क़ारिन" तवाफ़े क़ुदूम के बाद सई करे तो तवाफ़े क़ुदूम वाले तवाफ़ में भी रमल और इज़्तिबाअ़ करे वरना इन

को बग़ैर तवाफ़े क़ुदूम कर ले।

"हज्जे इफ़राद" और "हज्जे क़िरान" वाला आदमी तवाफ़ और सई के बाद मक्का मुकर्रमा में एहराम के साथ ठहरा रहे, और जो आदमी केवल उमरे का एहराम बांध कर आया था वह सई के बाद सर मुंडा कर या बाल कटवा कर हलाल हो जाये (यानी एहराम से निकल जाये) सर मुंडाने या बाल कटवाने का तरीक़ा आगे आ रहा है, उसी के अनुसार अमल करें।

अगर उस को इस साल हज भी करना है तो आठ ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा से हज का एहराम बांध कर हाजियों के साथ मिना चला जाए और हज के सब काम दूसरे हाजियों की तरह पूरे करे। अगर उसने उमरा शव्वाल का चांद नज़र आने के बाद किया था तो उस का "हज्जे तमत्तोअ़" हो जाएगा।

मस्अला - सफ़ा और मर्वा के बीच हज व उमरे में सई करना वाजिब है लेकिन इस से पहले तवाफ़ होना ज़रूरी है तवाफ़ के बिना सई का ऐतबार न होगा।

मस्अला - सई के चक्कर लगातार करना ज़रूरी नहीं है अगर तवाफ़ करने के बाद अलग अलग तौर पर सई के चक्कर अदा करे, जैसे एक चक्कर सुबह किया और एक दोपहर को और एक शाम को, और इसी तरह चक्कर पूरे कर लिये, अगर चे इस में कई दिन लग गये हों, तो इस तरह भी सई

अदा हो जायगी और इस से कोई "दम" लाज़िम न होगा।

मस्अला - अगर कोई आदमी बे वुज़ू सई कर ले तो सई हो जाती है इस से कोई दम या सद्क़ा वाजिब नहीं होता।

मस्अला - अगर किसी औरत ने हज या उमरे का तवाफ़ वुज़ू के साथ सही हालत में कर लिया और उस के बाद माहवारी शुरू हो गयी और इसी हालत में सई कर ली तो अदा हो जायेगी।

मस्अला - बिना उज़्र गाड़ी पर सई करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया और फिर दोबारा सई को पैदल चल कर न लौटाया तो दम वाजिब होगा।

हल्क़ और क़स्र के मसाइल

एहराम से निकलने के लिए हरम की हदों में हल्क़ या क़स्र वाजिब है अगर किसी ने हरम की हदों से बाहर (जैसे जद्दा या मदीना शरीफ़) जा कर हल्क़ या क़स्र किया तो दम वाजिब होगा। हां अगर हरम की हदों से बाहर निकल गया और वहां हल्क़ या क़स्र न कराया फिर हरम में वापस आकर हल्क़ या क़स्र कराया तो दम वाजिब न होगा।

मस्अला - एहराम से निकलने के लिए क़ायदे के अनुसार सर के बाल मुंडवाए या कटाए और इससे पहले न नाख़ून काटे, न मूंछे तराशे, न बग़ल के बाल साफ़ करे। अगर सर मुडवाने

या बाल कटाने से पहले इनमें से कोई काम कर लिया (जिन का ऊपर ब्यान हुआ) तो जज़ा वाजिब होगी।

मसअला – एहराम से निकलने के लिए अफ़ज़ल यह है कि पूरे सर के बाल मुंडा दे (इसको हल्क़ कहते हैं) या पूरे सर के बाल एक पोरे (क़रीब एक इंच) के बराबर कटवा दे, (इसको क़स्र कहते हैं) और औरत को सर मुडंना हराम है, इसलिए वह पूरे सर के बाल एक पोरे के बराबर काट ले, यानी अपनी चोटी से इतने बाल काट दे कि यक़ीन हो जाए कि पूरे सर के बाल एक पोरे के बराबर कट गए, पूरे सर के बाल काटना अफ़ज़ल है। लेकिन एहराम से निकलने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम चौथाई सर के बाल मूंडे जायें या काटे जायें, और काटने की सूरत में लाज़िम है कि चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर कट जायें, मगर चौथाई सर पर बस करना (रुक जाना) मक्रूह है, मर्द के बाल इस क़दर छोटे हों कि एक पोरे के बराबर न कट सकें तो मूंडना ही लाज़िम है, कुछ (थोड़े से) बाल काटने या मूंडने से 'या सर के अलावा और किसी जगह के बाल काटने या मूंडने से एहराम से नहीं निकलता, अगर किसी ने चौथाई सर के बाल न मूंडे, न काटे या चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर न काटे तो वह एहराम से न निकलेगा और एहराम की जिनायात जो उस से होती रहेंगी, उन की जज़ा वाजिब होती रहेगी, खूब समझ लें।

मसअला – जब एहराम से निकलने का वक़्त हो जाए

तो फ़ौरन ही हल्क़ या क़स्र वाजिब नहीं, अगर किसी वजह से हल्क़ या क़स्र में देर लग जाये तो इससे कुछ वाजिब नहीं होता, लेकिन जब तक हल्क़ या क़स्र न करा ले जो चीज़ें एहराम में मना हैं उनसे बचता रहे, अगर उनमें से कोई काम कर लिया तो क़ायदे के मुताबिक़ जज़ा वाजिब होगी।

मसअ्ला - उमरे में सई से फ़ारिग़ होकर और हज में दस्वीं तारीख़ को "जमर-ए-कुबरा" की रमी के बाद "मुफ़रिद" (हाजी) को एहराम से निकलने के लिए हल्क़ या क़स्र जायज़ हो जाता है।

मस्जिदे हराम में नमाज़ों का सवाब

काबे शरीफ़ के चारों तरफ़ जो मस्जिद है उसका नाम मस्जिदे हराम है इसमें नमाज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है, हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि मेरी मस्जिद में एक नमाज़ दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबले में हज़ार नमाज़ों से अफ़ज़ल है मगर मस्जिदे हराम इससे अलग है (क्योंकि उस का सवाब इससे भी ज़्यादा है) और मस्जिदे हराम में एक नमाज़ दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबले में एक लाख नमाज़ों से अफ़ज़ल है।

(इब्ने माजः)

इसलिए मक्का मुकर्रमा में जितने दिन भी क़्याम (ठहरना)

नसीब हो जाए मस्जिदे हराम में हर फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त हाज़िर हो कर जमाअत की पाबंदी करे। इतना बड़ा सवाब पूरी दुनिया की किसी भी मस्जिद में नहीं मिल सकता। बहुत से लोगों को देखा गया है कि बाज़ारों में घूमते रहते हैं और हरम शरीफ़ में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की पाबंदी नहीं करते, और बहुत से लोग गर्मी, सर्दी या सुस्ती की वजह से इतने बड़े सवाब से महरूम रह जाते हैं, यह बड़ी महरूमी की बात है।

हज की तीन क़िस्में

1- अव्वल यह कि सिर्फ़ हज की नियत करे और उसी का एहराम बांधे, उमरे को हज के साथ जमा न करे, इस क़िस्म के हज को "इफ़्राद" कहा जाता है और ऐसा हज करने वाले को "मुफ़्रिद" कहते हैं।

2- दूसरी सूरत यह कि हज के साथ उमरा भी करे और एहराम भी दोनों का साथ बांधे। इस का नाम "क़िरान" है, और ऐसा हज करने वाले को "क़ारिन" कहते हैं।

3- तीसरी सूरत यह कि हज के साथ उमरे को इस तरह जमा करे कि मीक़ात से सिर्फ़ उमरे का एहराम बांधे, उस एहराम में हज को शरीक न करे, फिर मक्का मुकर्रमा पहुंच कर शव्वाल या ज़ीकअ़्दा या ज़िलहिज्जा की किसी तारीख़ में हज से हपले उमरे के कामों से फ़ारिग़ होकर बाल कटवाने या मुंडवाने के बाद एहराम ख़त्म कर दे, फिर ज़िलहिज्जा की आठवीं को मक्का

मुकर्रमा से हज का एहराम बांधे, इस का नाम "तमत्तोअ़" है, और ऐसा हज करने वाले को "मुतमत्तेअ़" कहते हैं।

हज करने वाले को इख़्तियार है कि इन तीनों क़िस्मों में से जिसे चाहे इख़्तियार करे मगर "क़िरान" अफ़ज़ल है, फिर "तमत्तोअ़" फिर "इफ़राद"।

एहराम के ब्यान में सिर्फ़ हज का और उमरे का और हज व उमरे दोनों का इकठ्ठा एहराम बांधने की तफ़सील और तरकीब हम लिख चुके हैं, वहां देख लें। जो लोग मक्का में रहते हैं या जो लोग उमरा कर के और सर मुंडा कर या बाल कटा कर हलाल होकर बिना एहराम के मक्के में ठहरे हुए हैं, ये लोग आठवीं ज़िलहिज्जा को मक्का से एहराम बाधेंगे। और यह सिर्फ़ हज का एहराम होगा। अगर किसी ने शव्वाल या ज़ीकअ़दा या ज़िलहिज्जा में कोई उमरा कर लिया है और उसके बाद अपने घर नहीं गया तो उसका वो उमरा और यह हज मिलकर "हज्जे तमत्तोअ़" हो जाएगा, अगरचे इस वक़्त सिर्फ़ हज की नियत करेगा।

हज के पांच दिन

अब हम हज के पांच दिनों के अहकाम और आमाल लिखते हैं।

पहला दिन आठ ज़िलहिज्जा

आज सूरज निकलने के बाद एहराम की हालत में सब हाजियों को मिना जाना है।

मुफ़्रिद जिस का एहराम हज का है और क़ारिन जिस का एहराम हज और उमरा दोनों का है, इनके एहराम तो हपले से बंधे हुए हैं। मुतमत्तेअ़ जिसने उमरा कर के एहराम खोल दिया था और इसी तरह हरम वाले आज हज का एहराम बाधें।

सुन्नत के मुताबिक़ ग़ुसल कर के एहराम की चादरें पहन लें। एहराम के लिए दो रक्अ़त पढ़ें और हज की नियत कर के तल्बियह् पढ़ें।

तल्बियह् पढ़ते ही एहराम शुरू हो गया अब एहराम की तमाम पहले ज़िक्र हुई पाबन्दियां लाज़िम हो गयीं, उसके बाद मिना को रवाना हो जायें।

मिना मक्का मुकर्रमा से तीन मील के फ़ासले पर दो तरफ़ा पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा मैदान है। आठवीं तारीख़ की ज़ोहर से नवीं तारीख़ की सुबह तक मिना में पांच नमाज़ें पढ़ना और रात को मिना में क़याम करना सुन्नत है अगर उस रात को मक्का मुकर्रमा में रहा या अरफ़ात में पहुंच गया तो मक्रूह है।

दूसरा दिन नौ ज़िलहिज्जा

आज हज का सबसे बड़ा रुक्न यानी "वुक़ूफ़े अरफ़ा" अदा करना है जिस के बिना हज नहीं होता। सूरज निकलने के बाद जब कुछ धूप फैल जाए, मिना से अरफ़ात के लिए रवाना हो जाए जो मिना से क़रीब छः मील है। मिना से अरफ़ात के लिए रवाना होते वक़्त नीचे लिखी गयी दुआ कई बुज़ुर्गों से नक़ल की गयी है।

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ وَجْهَكَ الْكَرِيْمَ اَرَدْتُّ فَاجْعَلْ
ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَّحَجِّيْ مَبْرُوْرًا وَّارْحَمْنِيْ وَلَا تُخَيِّبْنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ
سَفَرِيْ وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِيْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا
اَقْرَبَ غَدْوَةٍ غَدَوْتُهَا مِنْ رِضْوَانِكَ وَ اَبْعَدَهَا مِنْ سَخَطِكَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ
غَدَوْتُ وَعَلَيْكَ اِعْتَمَدْتُّ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُّ فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تُبَاهِيْ بِهِ الْيَوْمَ
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ وَاَفْضَلُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ
الدَّائِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۔

अल्लाहुम्-म इलै-क तवज्जहतु व अलै-क तवक्कल्तु व-वज्-हकल करी-म अरत्तु फ़ज्अल ज़म्बी मग़्फ़ूरंव्-व हज्जी मब्रूरंव् वर्हम नी वला तुख़य्यिब्नी व बारिक ली फ़ी

स-फ़-री वक्ज़ि बिअफ़्आलिन हा-जती इन्न-क अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्-मज्अल्हा अक़्-र-ब ग़दोतुहा ग़द्व तुहा मिन रिज़्वानि-क व अब्-अ-दहा मिन स-ख़-ति-क, अल्लाहुम्-म इलै-क ग़दौतु व अलै-क इअ्-त-मत्तु व वज्-हक अरत्तु फ़ज् अलनी मिम्मन तुबाही बिहिल यौ-म मन् हु-व ख़ैरुम मिन्नी व अफ़्-ज़लु अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-कल अफ़्-व वल आफ़ि-य-त वल मुआफ़ातद दाइ-म-त फ़िद् दुन्या वल आख़ि-रति, व सल्लल्लाहु अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिंव्-व आलिही व स-हबिही अज्-मईन्0

तर्जुमा- ऐ अल्लाह में आप ही की तरफ़ मुतवज्जह हुआ हूं और आप ही पर भरोसा करता हूं और मैं ने आप ही को राज़ी करने का इरादा किया है, तो आप मेरे गुनाह माफ़ फ़रमायें, और मेरा हज मब्रूर (मक़्बूल) बना दें, और मुझ पर रहम फ़रमायें और मुझे महरूम न फ़रमायें, और मेरे सफ़र में बरकत दें और अरफ़ात में मेरी हाजत पूरी फ़रमायें, बेशक आप हर चीज़ पर क़ादिर हैं। ऐ अल्लाह! मेरा इस सुबह का चलना अपनी रज़ामंदी हासिल करने के ज़्यादा क़रीब कर दीजिए और अपनी नाराज़गी दूर करने का बहुत बड़ा ज़रिया बना दीजिए, ऐ अल्लाह! मैं आप ही की तरफ़ चला और आप ही पर मैंने भरोसा किया और आप की रज़ामंदी का मैंने इरादा किया, बस आप मुझे उन लोगों में से कर दीजिए जिन के ज़रिए आप फ़ख़्र फ़रमायेंगे उन लोगों के सामने जो मुझ से बेहतर और अफ़्ज़ल हैं। ऐ अल्लाह मैं आप

से माफ़ी का और हमेशा की आफ़ियत का दुनिया और आख़िरत में सवाल करता हूं। और दुरूद नाज़िल हो, अल्लाह का उस की सबसे बेहतर मख़्लूक़ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ल० और उनकी आल व सहाबा सब पर।

फिर जब "जबले रहमत" पर नज़र पड़े (जो अरफ़ात के मैदान में एक पहाड़ है) तो तस्बीह व तह्लील और तक्बीर कहे और जो चाहे दुआ मांगे चाहे यह दुआ मांग ले।

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ وَجْهَكَ اَرَدْتُّ، اَللّٰهُـمَّ اغْفِرْلِـىْ وَتُبْ عَلَىَّ وَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَوَجِّهْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ،سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ

अल्लाहुम्-म इलै-क तवज्जह्तु व अलै-क तवक्कल्तु व-वज्-ह-क अरत्तु, अल्लाहुम्-मग़्फ़िर ली व तुब अलैय्-य व अअ्तिनी सुअ्ली व वज्जिह लियल ख़ै-र हैसु तवज्जह्तु सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु०

तर्जुमा – ऐ अल्लाह मैंने आप ही की तरफ़ तवज्जोह की और आप ही पर भरोसा किया और आप ही की रज़ामंदी का इरादा किया, ऐ अल्लाह! मेरी मग़्फ़िरत फ़रमा और मेरी तौबा क़ुबूल फ़रमा और मेरा सवाल पूरा फ़रमा और ख़ैर को मेरे लिए उधर मुतवज्जह फ़रमा दे जिधर मेरी तवज्जोह हो, मैं अल्लाह

की पाकी ब्यान करता हूं और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है अल्लाह के सिवा कोई माबूद (जिसकी इबादत की जाए) नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है।

नवीं ज़िलहिज्जा को ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद से सुबह सादिक़ तक के बीच के हिस्से में हज के एहराम की हलात में थोड़ी देर भी अरफ़ात में ठहर जाए या वहां से गुज़र जाए तो हज हो जायेगा, अगर इस वक़्त (के किसी हिस्से) में ज़रा सी देर को भी अरफ़ात में न पहुंचा तो हज न होगा और ज़वाल के बाद सूरज छिपने तक अरफ़ात में ठहरना वाजिब है, जो आदमी इस वक़्त में न पहुंच सके वह आने वाली रात में किसी वक़्त भी पहुंच जाए तो उसका हज हो जाएगा।

मुस्तहब यह है कि सूरज ढलने के बाद नहा ले और इस का मौक़ा न मिले तो वुज़ू ही कर ले और अव्वल वक़्त नमाज़ अदा करके वुक़ूफ़ शुरू कर दे।

सुन्नत तरीक़ा यही है कि ज़ोहर और असर की नमाज़ इकठ्ठी अमीरे हज के पीछे पढ़ी जाये, यानी असर को ज़ोहर ही के वक़्त में पढ़ ले। वहां जो बड़ी मस्जिद है जिसको "मस्जिदे नम्रा" कहते हैं उसमें इमाम दोनों नमाज़ें इकठ्ठी पढ़ाता है, लेकिन चूंकि हर आदमी वहां नहीं पहुंच सकता और सब हाजी उसमें समा भी नहीं सकते और बिना अमीरे हज के दोनों नमाज़ों को जमा करना साबित भी नहीं हैं, और इमाम के मुक़ीम या

मुसाफ़िर होने का यक़ीनी तौर पर इल्म भी नहीं होता, इसलिए हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़ग़ानिस्तान वग़ैरह के हनफ़ी आलिम हाजियों को यही फ़तवा देते हैं कि वे अपने अपने ख़ेमों में ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के वक़्त में और अस्र की नमाज़ अस्र के वक़्त में जमाअत से पढ़ें, और नमाज़ों के अलावा जो वक़्त है उसे ज़िक्र और दुआ व तल्बियह में ख़र्च करें।

वुक़ूफ़े अरफ़ात का सुन्नत तरीक़ा

सूरज ढलने के बाद से सूरज छिपने तक पूरे मैदाने अरफ़ात में जहां चाहे वुक़ूफ़ कर सकता है मगर अफ़ज़ल यह है कि जबले रहमत (जो अरफ़ात का मशहूर पहाड़ है) के क़रीब जिस जगह रसूलुल्लाह सल्ल0 का मौक़फ़ (ठहरने की जगह) है उस जगह वुक़ूफ़ करे, बिल्कुल उस जगह न हो तो जिस क़दर उस के क़रीब हो सके बेहतर है। लेकिन जबले रहमत के पास जाने में दिक़्क़त हो या वापसी के वक़्त अपना ख़ेमा तलाश करना मुश्किल हो जैसा कि आज कल आम तौर पर पेश आता है, तो अपने ख़ेमे में वुक़ूफ़ करे।

बेहतर और अच्छा यह है कि क़िबला रुख़ खड़ा होकर मग़रिब तक वुक़ूफ़ करे और हाथ उठा कर दुआएं करता रहे। अगर पूरे वक़्त में खड़ा न हो सके तो जिस क़दर खड़ा हो सकता हो खड़ा रहे, फिर बैठ जाए फिर जब क़ुव्वत हो खड़ा हो जाए, और पूरे वक़्त में आजज़ी व तवज्जोह से और रो रोकर अल्लाह

का ज़िक्र, तिलावत, दुरूद शरीफ़ और इस्तिग़फ़ार में मशग़ूल रहे और थोड़ी थोड़ी देर में तल्बियह पढ़ता रहे और दीनी व दुनियावी ज़रूरतों व मक़ासिद के लिए, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, मिलने वालों और रिश्तेदारों, ख़ास कर उन लोगों के लिए जिन्होंने दुआ की दरख़्वास्त की है और तमाम मुसलमानों के लिए दुआयें मांगता रहे। यह दुआ के क़ुबूल होने का ख़ास वक़्त है जो हमेशा नहीं होता, इस दिन बिना ज़रूरत आपस की जायज़ गुफ़्तगू से भी परहेज़ करे, पूरे वक़्त को दुआओं और अल्लाह के ज़िक्र में ख़र्च करे।

अरफ़ात की दुआएं

तिर्मिज़ी शरीफ़ में है कि हुज़ूरे पाक सल्ल0 ने फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा बेहतर दुआ "अरफ़ा" के दिन की दुआ है और सबसे बेहतर जो मैंने और मुझ से पहले नबियों ने कहा वो यह है।

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू लहुल् मुल्कु व लहुल् हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर-

तर्जुमा- अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है और उसी के

लिए तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।

मनासिके मुल्ला अली क़ारी में तब्रानी से नक़ल है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अरफ़ात की दुआओं में यह दुआ भी थी-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرٰى مَكَانِيْ وَتَسْمَعُ كَلَامِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ وَلَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ اَمْرِيْ اَنَا الْبَآئِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِيْ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمَسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَآءَ الْخَآئِفِ الضَّرِيْرِ وَمَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنُهٗ وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُهٗ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهٗ، اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ بِدُعَآئِكَ رَبِّيْ شَقِيًّا وَّكُنْ بِيْ رَءُوْفًا وَّ رَحِيْمًا يَّاخَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَيَاخَيْرَ الْمُعْطِيْنَ.

अल्लाहुम्-म इन्न-क तरा मकानी व तस्-मअु कलामी व तअ्-लमु सिर्री व अ़लानियती वला यख़्फ़ा अ़लै-क शैउम् मिन् अम्री अनल् बा-इसुल् फ़क़ीरुल् मुस्तग़ीसुल् मुस्तजीरुल् वजिलुल् मुश्फ़िक़ुल् मुक़िर्रु, अलमुअ्तरिफु बिज़म्बी अस्अलु-क मस्अ-ल-तल् मिस्कीनि वब्तहिलु इलैकब्तिहालल् मुज़्निबिज़्-ज़लीलि व अद्अू-क दुआ-अल् ख़ा-इफ़िज़् ज़रीरि व मन् ख़-ज़-अ-त ल-क र-क़-बतुहू व फ़ाज़त् ल-क अ़ैनुहू व न-ह-ल ल-क ज-सदुहू व रग़ि-म अन्फ़ुहू अल्लाहुम्-म ला तजअ़ल

बिदुआइ-क रब्बी शक़िय्यंव्-व कुन् बी रऊफ़व्-व रहीमय्-या ख़ैरल् मस्ऊली-न व या ख़ैरल् मुअ़्ती-न

तर्जुमा - ऐ अल्लाह बेशक आप मेरी जगह को देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरा ज़ाहिर व बातिन सब जानते हैं और मेरे उमूर में से आप पर कोई चीज़ छिपी नहीं है और मैं सख़्ती में मुब्तला हूं मोहताज हूं फ़र्यादी हूं पनाह का तलबगार हूं ख़ौफ़ ज़दा हूं गुनाहों का इक़रारी हूं और एतिराफ़ करता हूं, मैं आप से सवाल करता हूं मिस्कीन की तरह और आप के सामने गिड गिडाता हूं गुनाहगार ज़लील की तरह और मैं आप को पुकारता हूं जैसा कि ख़ौफ़-ज़दा मुसीबत-ज़दा पुकारता है और जैसा कि वह व्यक्ति पुकारता है जिस की गर्दन आपके सामने झुक गयी और जिस के आंसू जारी हो गए और जिस का जिस्म आप के लिए दुब्ला हुआ और जिसकी नाक आप के लिए मिट्टी में भर गयी, ऐ मेरे रब मुझे मेहरूम न फ़रमा और मेरे लिए बड़ा मेहरबान और बड़ा रहीम हो जा और ऐ वह पाक ज़ात जो उन में सब से बेहतर है जिन से सवाल किया गया और ऐ वह ज़ाते पाक जो देने वालों में सब से बड़ा दाता है।

इमाम बैहक़ी ने "शु-अबुल ईमान" में हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत किया है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो कोई मुसलमान अरफ़े के दिन ज़वाल के बाद अरफ़ात में क़िब्ला रुख़ हो कर सौ बार :

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

"ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू लहुल् मुल्कु व लहुल् हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर" पढ़े, फिर सौ बार "क़ुल् हुवल्लाहु" (पूरी सूरत) पढ़े, फिर सौ बार यह दुरूद शरीफ़ पढ़े :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ .

अल्लाहुम्-म सल्लि अला मुहम्मदिंव् व अ़ला आलि मुहम्म-दिन् कमा सल्लै-त अ़ला इब्राही-म व अ़ला आलि इब्राही-म इन्न-क ह़मीदुम् मजीदन् व अलैना म-अ-हुम्। तो अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि ऐ मेरे फ़रिश्तो! मेरे इस बन्दे की क्या जज़ा है, इस ने मेरी तस्बीह व तह्लील की और मेरी बड़ाई व अज़्मत बयान की और मेरी मारफ़त् हासिल की और मेरी शान बयान की और मेरे नबी पर दुरूद भेजा, ऐ मेरे फ़रिश्तो! तुम गवाह रहो मैंने इस को बख़्श दिया और इस की जान के बारे में इसकी सिफ़ारिश क़ुबूल की, और अगर मेरा बन्दा मुझ से तमाम अरफ़ात वालों के लिए सिफ़ारिश करे तो इसकी सिफ़ारिश उन सब के हक़ में क़ुबूल करूं।

हज़रत अली मुरतज़ा रज़ि0 से रिवायत है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अरफ़ात में मेरी और मुझ से पहले नबियों की अक्सर यह दुआ है :

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَـايَلِجُ فِـى الَّيْـلِ وَشَرِّ مَايَلِجُ فِى النَّهَارِ وَشَرِّ مَاتَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَشَرِّ بَوَآئِقِ الدَّهْرِ ٠

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल् हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीरुन्, अल्लाहुम्-मज्अल् फ़ी क़ल्बी नूरवं व फ़ी सम्अ़ी नूरंव् व फ़ी ब-स-री नूरन्, अल्लाहुम्-मश्रह् ली सद्री व यस्सिर् ली अम्री, व अऊज़ु बि-क मिंव्-वसाविसिस्-सद्रि व शतातिल् अम्रि व फ़ित्-नतिल् क़ब्रि, अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् शर्रि मा यलिजु फ़िल्लैलि व शर्रि मा यलिजु फ़िन्नहारि व शर्रि मा तहुब्बु बिहिर्-रीहु व शर्रि बवाइक़िद्-दह्रि,

तर्जुमा - कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा वह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे और मेरे कानों में नूर कर दे और मेरी

आंखों में नूर कर दे, ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरे कामों को आसान कर दे, और मैं सीने के वस्वसों से और कामों की बद-नज़्मी से और क़ब्र के फ़ित्ने से तेरी पनाह चाहता हूं, ऐ अल्लाह में तेरी पनाह चाहता हूं उस चीज़ के शर (बुराई) से जो रात में दाख़िल होती है और उस के शर से जो दिन में दाख़िल होती है और उस चीज़ के शर से जिसे हवा लेकर चलती है और ज़माने में पैदा होने वाली मुसीबतों से। (ग़ुन्यतुन्नासिक)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से नक़ल है कि अरफ़ात में असर की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हाथ उठा कर वुक़ूफ़ में मशग़ूल हो जाते थे और :

اَللهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

"अल्लाहु अक्बरु व लिल्लाहिल् हम्दु ला शरी-क लहू लहुल् मुल्कु व लहुल् हम्दु" पढ़ कर यह दुआ पढ़ते थे -

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِىْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى

"अल्लाहुम्-मह्दिनी बिल्हुदा व नक़्क़िनी बित्तक़्वा वग़्फ़िर ली फ़िल् आख़ि-रति वल् ऊला"

इसके बाद हाथ नीचे कर लेते थे और जितनी देर में सूरः फ़ातिहा पढ़ी जाती है उतनी देर ख़मोश रह कर फिर हाथ उठाते थे और इसी तरह दुआ करते थे जिस तरह ऊपर बयान

हुई है।

ऊपर ज़िक्र की गयी दुआओं के अलावा और जो चाहे और जिस ज़बान में चाहे दुआ करे और दिल को ख़ूब हाज़िर कर के आजज़ी व तवज्जोह के साथ दुआ मांगे, क्योंकि सही मायनों में दुआ वही है जो दिल से निकले, जो दुआएं इस मौक़े से मुताल्लिक़ हदीस की रिवायतों से साबित हैं उन का ख़ास एहतिमाम (पाबन्दी) करना चाहिए जो ऊपर लिख दी गयी है। दुआओं के दर्मियान बार बार तल्बियह् भी पढ़ता रहे।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बेशुमार जामेअ़ दुआएं नक़ल की गई हैं जो किसी वक़्त या किसी जगह के लिए ख़ास नहीं वे दुआएं हर वक़्त मांगी जा सकती हैं और उन दुआओं को "अल्‌हिज़्बुल आज़म" और "मुनाजाते मक़बूल" में जमा कर दिया गया है, अरफ़ात में इन किताबों में से जिस क़दर चाहे दुआएं पढ़ ले, बहुत लम्बा वक़्त होता है उस में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और मांग सकते हैं।

कुछ हज़रात ने अपने तौर पर कुछ दुआएं इस मौक़े के लिए तरतीब दे दी हैं जो किताबों में छपी हैं उनको पढ़ने में भी हरज नहीं, लेकिन सुन्नत उन्हीं दुआओं को जाने जो सुन्नत से साबित हैं।

अरफ़ात से मुज़्दलिफ़ा को रवानगी

मुज़्दलिफ़ा अरफ़ात से मग़रिब की तरफ़ तीन मील के फ़ासले पर है, सूरज छिपते ही मुज़्दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाए, रास्ते में अल्लाह के ज़िक्र और तल्बियह् में मश्ग़ूल रहे, उस रोज़ हाजियों के लिए मग़्रिब की नमाज़ अरफ़ात में या रास्ते में पढ़ना जायज़ नहीं, वाजिब है कि मग़्रिब की नमाज़ को देर कर के इशा के वक़्त इशा की नमाज़ के साथ पढ़े, मुज़्दलिफ़ा पहुंच कर पहले मग़्रिब के फ़र्ज़ पढ़े और मग़्रिब के फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद इशा के फ़र्ज़ पढ़े, मग़्रिब की सुन्नतें और इशा की सुन्नतें और वित्र सब बाद में पढ़े।

मुज़्दलिफ़ा में मग़्रिब व इशा की दोनों नमाज़ें एक अज़ान और एक इक़ामत (तकबीर) से पढ़ी जायें और मुज़्दलिफ़े में दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ने के लिए जमाअत शर्त नहीं है, तन्हा हो तब भी इकठ्ठा कर के पढ़े।

अगर मग़्रिब की नमाज़ अरफ़ात में या रास्ते में पढ़ ली है तो मुज़्दलिफ़ा में पहुंच कर उसका लौटाना यानी दोबारा पढ़ना वाजिब है।

अगर इशा के वक़्त से पहले मुज़्दलिफ़ा पहुंच गया तो अभी मग़्रिब की नमाज़ न पढ़े, इशा के वक़्त का इन्तिज़ार करे और इशा के वक़्त में दोनों नमाज़ों को इकठ्ठा पढ़े।

अरफ़ात से मुज़्दलिफ़ा को रवानगी

मुज़्दलिफ़ा अरफ़ात से मग़िरिब की तरफ़ तीन मील के फ़ासले पर है, सूरज छिपते ही मुज़्दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाए, रास्ते में अल्लाह के ज़िक्र और तल्बियह् में मश्ग़ूल रहे, उस रोज़ हाजियों के लिए मग़्रिब की नमाज़ अरफ़ात में या रास्ते में पढ़ना जायज़ नहीं, वाजिब है कि मग़्रिब की नमाज़ को देर कर के इशा के वक़्त इशा की नमाज़ के साथ पढ़े, मुज़्दलिफ़ा पहुंच कर पहले मग़्रिब के फ़र्ज़ पढ़े और मग़्रिब के फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद इशा के फ़र्ज़ पढ़े, मग़्रिब की सुन्नतें और इशा की सुन्नतें और वितर सब बाद में पढ़े।

मुज़्दलिफ़ा में मग़्रिब व इशा की दोनों नमाज़ें एक अज़ान और एक इक़ामत (तकबीर) से पढ़ी जायें और मुज़्दलिफ़े में दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ने के लिए जमाअत शर्त नहीं है, तन्हा हो तब भी इकठ्ठा कर के पढ़े।

अगर मग़्रिब की नमाज़ अरफ़ात में या रास्ते में पढ़ ली है तो मुज़्दलिफ़ा में पहुंच कर उसका लौटाना यानी दोबारा पढ़ना वाजिब है।

अगर इशा के वक़्त से पहले मुज़्दलिफ़ा पहुंच गया तो अभी मग़्रिब की नमाज़ न पढ़े, इशा के वक़्त का इन्तिज़ार करे और इशा के वक़्त में दोनों नमाज़ों को इकठ्ठा पढ़े।

मुज़्दलिफ़ा की रात में जागना और इबादत में मश्ग़ूल रहना मुस्तहब है और इसी रात में मुज़्दलिफ़े में रहना "सुन्नते मुअक्कदा" है, बहुत से लोग वक़्त से पहले ही फ़जर की अज़ान देकर फ़जर की नमाज़ मुज़्दलिफ़े में पढ़ कर मिना को रवाना हो जाते हैं, अव्वल तो फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ कर बड़े गुनाह के करने वाले बनते हैं, क्योंकि वक़्त से पहले नमाज़ नहीं होती, दूसरे वुक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा छोड़ने का गुनाह होता है जो वाजिब है और दम भी वाजिब होता है। हज करने निकले हैं क़ायदे के मुताबिक़ अमल करें, एक फ़र्ज़ (यानी हज) अदा किया और दूसरा फ़र्ज़ (यानी नमाज़) छोड़ने का गुनाह सर ले लिया, यह क्या समझदारी है? और बहुत से लोग तो नफ़ली हज में ऐसी हरकत करते हैं, ऐसे नफ़ली हज की क्या ज़रूरत है जिसमें फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ी जाये। हां अगर औरत भीड की वजह से मुज़्दलिफ़ा में न ठहर सके सीधी मिना चली जाए तो उस के लिए गुन्जाइश है उस पर दम वाजिब न होगा, और अगर मर्द भीड की वजह से "वक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा" छोड़ दे तो यह जायज़ नहीं। मुज़्दलिफ़ा में रात गुज़ारना सुन्नते मुअक्कदा है और सुबह सादिक़ के बाद मुज़्दलिफ़ा में रहना वाजिब है, वाजिब छूट जाने से दम वाजिब होता है।

तीसरा दिन 10 ज़िलहिज्जा

आज ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ है इस में हज के बहुत

से अहकाम हैं, पहला हुक्म "वुक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा" है जो वाजिब है। इस का वक़्त सुबह सादिक़ से सूरज निकलने तक है। अगर कोई आदमी सुबह सादिक़ के बाद थोड़ी देर ठहर कर मिना को चला जाए सूरज निकलने का इन्तिज़ार न करे तो भी "वुक़ूफ़" का वाजिब अदा हो गया। वाजिब की अदायगी के लिए इतना भी काफ़ी है कि फ़जर की नमाज़ मुज़्दलिफ़े में पढ़ ले, मगर सुन्नत यह है कि सूरज निकलने से कुछ पहले तक ठहरे। मुज़्दलिफ़ा के तमाम मैदान में जहां चाहे वुक़ूफ़ कर सकता है। सिवाये "वादि-ए-मुहस्सर" के जो मिना की जानिब मुज़्दलिफ़े से ख़ारिज वो जगह है जहां "अस्हाबे फ़ील" पर अज़ाब आया था। बेहतर यह है कि "जबले क़ज़ह्" के क़रीब वुक़ूफ़ करे, अगर भीड़ की वजह से वहां पहुंचना मुश्किल हो तो मुज़्दलिफ़े में जिस जगह ठहरा है वहीं सुबह की नमाज़ अंधेरे में पढ़ कर वुक़ूफ़ करे। इस वुक़ूफ़ में तल्बियह् और तक्बीर व तह्लील और इस्तिग़फ़ार व तौबा और दुआ की कसरत करे।

वुक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा के बारे में बहुत से लोग यह ग़लती करते हैं कि अरफ़ात से आते हुए सीधे मिना चले जाते हैं और कुछ हाजी एक दो घंटे मुज़्दलिफ़ा में रह कर रात ही को मिना पहुंच जाते हैं, ये लोग मुज़्दलिफ़ा में रात गुज़ारते हैं और सुबह सादिक़ के बाद वुक़ूफ़ करने से महरूम रह जाते हैं और जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया गया वुक़ूफ़ छोड़ने की वजह से उन पर दम लाज़िम होता है।

मुज़्दलिफ़ा से मिना को रवानगी

जब सूरज निकलने में इतना वक़्त रह जाए कि दो रक्अत नमाज़ अदा की जा सके तो मुज़्दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना हो जाए, उस के बाद देर करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है और बेहतर यह है कि आज की रमी के लिए सात कंकरियां चने या खजूर की छोटी गुठली के बराबर मुज़्दलिफ़े से उठा कर साथ ले जाए, वर्ना कहीं से भी उठा लेना जायज़ है।

मिना पहुंच कर जमर-ए-अक़बा की रमी करना

मिना पहुंच कर सब से पहला काम जमर-ए-अक़बा की रमी करना है, मिना में तीन सतून ऊंचे बने हुए हैं उन को जमरात और जमार कहते हैं और एक को जमरा कहते हैं, उन में से जो मस्जिदे ख़ैफ़ के क़रीब है उस को "जमर-ए-ऊला" और उस के बाद वाले को "जमर-ए-वुस्ता" और उसके बाद वाले को जो सब से आख़िर में है "जमर-ए-अक़बा" और "जमर-ए-कुबरा" कहते हैं। इन सतूनों के गिर्द घेरा बना हुआ है उस में कंकरियां फेंकने को रमी कहते हैं। दस्वीं तारीख़ को सिर्फ़ जमर-ए-कुबरा की रमी होती है, मुज़्दलिफ़े से चल कर जब मिना पहुंचे तो पहले और दूसरे जमरे को छोड़ कर सीधा जमर-ए-अक़बा पर जाए और उस को सात कंकरियां मारे और पहली कंकरी के साथ तल्बियह् पढ़ना बन्द कर दे। मुफ़्रिद या मुतमत्तेअ़ या क़ारिन सब के लिए एक ही हुक्म है।

रमी करते हुए हर कंकरी के मारने के वक्त तक्बीर और दुआ इस तरह पढ़े - بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ
وَرِضًى لِّلرَّحْمٰنِ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا

बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बरू, रग्मल्-लिश्शैतानि व रिज़्यल-लिर्रहमानि, अल्लाहुम् मज्अलहु हज्जम्-मब्रुरंव् व ज़म्बम्-मग्फ़ूरंव् व सअ्यम्-मश्कूरा,

तर्जुमा - मैं अल्लाह का नाम लेकर कंकरी मारता हूं अल्लाह सब से बड़ा है, मेरा यह अमल शैतान को ज़लील करने के लिए और रहमान को राज़ी करने के लिए है, ऐ अल्लाह मेरे इस हज को हज्जे मबरूर बना दे और मेरे गुनाहों को बख़्शे बख़्शाए कर दे और मेरी कोशिश की क़दर-दानी फ़रमा (यानी सवाब के लायक़ बना दे)

तक्बीर के बजाए "सुब्हानल्लाहि" या "ला इला-ह इल्लल्लाहु" पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन बिल्कुल ज़िक्र छोड़ना बुरा है।

जमर-ए-अक़्बा की रमी का मस्नून वक्त सूरज निकलने से ज़वाल तक है, और ज़वाल से सूरज छिपने तक भी जायज़ है, यानी यह वक्त सुन्नत नहीं लेकिन बुरा (मक्रूह) भी नहीं; और सूरज छिपने के बाद वक्त मक्रूह हो जाता है।

ख़ुलासा यह है कि इस रमी का वक्त सूरज निकलने से

लेकर आने वाली रात की सुबह सादिक़ होने से पहले तक है, लेकिन वक़्त में तफ़सील है कुछ वक़्त सुन्नत है, कुछ जायज़ है और कुछ मकरूह है। लेकिन बूढ़ों, बीमारों और औरतों के लिए मकरूह वक़्त में भी कराहत नहीं है। जो लोग खुद रमी कर सकते हैं बहुत से लोग उनकी तरफ़ से भी रमी कर देते हैं यह दुरुस्त नहीं है, इस तरह करने से रमी छोड़ने का गुनाह होता है और दम वाजिब होता है, सूरज छिपने के बाद वे लोग रमी कर लें जो भीड़ की वजह से दूसरों को नायब बना देते हैं, औरतों को रात को रमी करा दें इससे तकलीफ़ न होगी। अगर किसी ने सुबह सादिक़ तक भी रमी नहीं की तो क़ज़ा हो गई, ग्यारहवीं तारीख़ को उसकी क़ज़ा भी करे और दम भी दे।

क़ुर्बानी

जमर-ए-कुबरा की रमी से फ़ारिग़ होकर शुक्रिए के तौर पर हज की क़ुर्बानी करे, और यह क़ुरबानी "मुफ़्रिद" के लिए मुस्तहब है, और रमी हल्क़ या क़स्र से पहले वाजिब है।

जो आदमी खुद ज़िबह करना जानता हो उसके लिए अपने हाथ से ज़िबह करना अफ़ज़ल है, और अगर ज़िबह करना न जानता हो तो ज़िब्ह के वक़्त क़ुर्बानी के पास खड़ा होना मुस्तहब है। अगर ज़िबह की जगह हाज़िर भी न हो और दूसरे से ज़िबह करा दे तो भी दुरुस्त है, ज़िबह से पहले यह दुआ

पढ़े।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی مِلَّةِ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ .

इन्नी वज्जहतु वाज्हि-य लिल्ल-ज़ी फ़-त-रस्समावाति वल अर्-ज़ अला मिल्ल-ति इबराही-म हनीफ़ंव् वमा अ-न मिनल् मुश्रिकी-न, इन्-न सलाती व नुसुकी व मह्या-य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आ-लमीन, ला शरी-क लहू व बिज़ालि-क उमिर्तु व अ-न मिनल् मुस्लिमी-न, अल्लाहुम्-म मिन्-क व ल-क,

तर्जुमा- मैंने अपना रुख़ उस ज़ाते पाक की तरफ़ कर लिया जिसने असमानों और ज़मीनों को पैदा फ़रमाया, मैं इब्राहीम की मिल्लत (तरीक़े) पर हूं जो शिर्क से बच कर तौहीद को अपनाने वाले थे, और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूं बेशक मेरी नमाज़ और मेरी इबादतें और मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, जिसका कोई शरीक नहीं है और मुझे इसी का हुक्म किया गया है और मैं मुसलमानों में से हूं। ऐ अल्लाह यह क़ुरबानी करना आपका हुक्म है और आप ही के लिए है।

इसके बाद अल्लाहु अकबर् कह कर ज़िबह कर दे।

यह ब्यान हज की क़ुरबानी का था और जो क़ुरबानी "साहिबे निसाब" पर हर इलाक़े में वाजिब होती है उसका हुक्म हाजियों के बारे में यह है कि उनमें से जो आदमी मक्का मुकर्रमा में 15 दिन या इससे ज़्यादा की नियत करके ठहरा था और वह हज के अहकाम अदा करने के लिए मिना और अरफ़ात आया है तो उस पर वो दूसरी क़ुरबानी भी वाजिब है, लेकिन उसका मिना या हरम में होना ज़रूरी नहीं है। अगर अपने वतन में करा दे तब भी दुरुस्त है।

और जो आदमी मक्का मुकर्रमा में 15 दिन या इससे ज़्यादा की नियत करके मुक़ीम न था बल्कि 15 दिन से कम मुद्दत मक्का में रह कर मिना व अरफ़ात के लिए रवाना हो गया था तो उस पर वो क़ुरबानी वाजिब नहीं जो साहिबे निसाब पर हर साल हर इलाक़े में वाजिब होती है, जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया गया "क़ारिन" और "मुतमत्तेअ़" पर क़ुरबानी वाजिब है, यानी एक बक़री या भेड़ या दुंबा जिसकी उम्र कम से कम एक साल हो ज़िबह कर दे, या पांच साल का ऊंट या दो साल की गाय में सातवां हिस्सा ले ले। तमत्तोअ़ और क़िरान की क़ुरबानी हरम की हदों में होना वाजिब है, और मिना में होना अफ़ज़ल है।

अगर किसी मुतमत्तेअ़ या क़ारिन को पैसा न होने की वजह से क़ुरबानी की ताक़त न हो तो वह उसके बदले दस रोज़े रख ले लेकिन शर्त यह है कि उनमें से तीन रोज़े दसवीं

ज़िलहिज्जा से पहले पहले रख लिए हों और उमरे के एहराम के बाद रखे हों और हज के महीनों में यानी शव्वाल, ज़ी क़अ्दा या ज़िल हिज्जा में रखे हों, और सात रोज़े "अय्यामे तश्रीक़" गुज़र जाने के बाद रखे चाहे मक्का में चाहे किसी और जगह, लेकिन घर आकर रखना अफ़ज़ल है। अगर किसी क़ारिन या मुतमत्तेअ् ने दसवीं तारीख़ से पहले ये तीन रोज़े न रखे तो अब क़ुरबानी ही करनी पड़ेगी। अगर उस वक़्त क़ुरबानी की ताक़त न हो तो सर मुंडा कर या बाल कटा कर एहराम से निकल जाये लेकिन जब हो सके (यानी हालात ऐसे हो जायें) तो एक दम क़िरान या तमत्तोअ् का और एक दम ज़िबह का दे दे, यानी दो क़ुरबानियां दे और अगर क़ुरबानी के दिनों के बाद करे तो तीसरा दम इस देर करने का लाज़िम हो गया।

याद रहे कि क़िरान और तमत्तोअ् की क़ुरबानी दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं तारीख़ों में से किसी तारीख़ में करना लाज़िम है, बारहवीं का सूरज छिपने से पहले पहले क़ुरबानी कर दे, लेकिन क़ारिन और मुतमत्तेअ् जब तक क़ुरबानी न करे उस वक़्त तक उसको सर मुंडवाना या बाल कटाना जायज़ नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो दम वाजिब होगा जो हज की क़ुरबानी से अलग होगा किसी वजह से दसवीं तारीख़ को क़ुरबानी न कर सके तो ग्यारह बारह को कर ले लेकिन बाल मुंडवाना या कतरवाना भी क़ारिन और मुतमत्तेअ् क़ुरबानी तक रोके रखे, इसको ख़ूब समझ लेना चाहिए।

हल्क़ और क़स्र का ब्यान

हल्क़ सर मुंडवाने को और क़स्र बाल कटाने को कहते हैं। एहराम उमरे का हो या हज का या दोनों का एक साथ बांधा हो हर सूरत में हल्क़ और क़स्र ही एहराम से निकलने के लिए मुक़र्रर है जब तक हल्क़ या क़स्र न करेगा एहराम से न निकलेगा। अगर सिले हुए कपड़े हल्क़ या क़स्र से पहले पहन लिए या सर के अलावा किसी और जगह के बाल मूंड लिए या नाख़ून काट लिए या ख़ुश्बू लगा ली तो जज़ा वाजिब होगी। उमरा करने वाला आदमी जब उमरे की सई से फ़ारिग़ हो जाये हल्क़ या क़स्र करा ले और "मुफ़्रिद" और "मुतमत्तेअ़" (जिसने आठ तारीख़ को मक्का से हज का एहराम बांधा था और उससे पहले उमरा कर चुका था) और क़ारिन ये तीनों दसवीं तारीख़ को मिना में रमी और क़ुरबानी के बाद हल्क़ या क़स्र करायें, और बारहवीं तारीख़ का सूरज छिपने तक ह़ल्क़ या क़स्र को टाल दिया तो यह भी जायज़ है। बारहवीं तारीख़ का सूरज छिप जाने के बाद हल्क़ या क़स्र करेंगे तो दम वाजिब होगा, और यह भी जानना चाहिए कि हल्क़ या क़स्र हरम ही में होना वाजिब है अगर हरम के बाहर हल्क़ या क़स्र किया तो इसकी वजह से दम वाजिब होगा, यह बात पहले लिखी जा चुकी है कि जिस का सिर्फ़ हज का एहराम हो (यानी "मुफ़्रिद" हो) वह दस तारीख़ को रमी करने के बाद हल्क़ या क़स्र करा सकता है क्योंकि क़ुरबानी उस पर वाजिब नहीं मुस्तहब है। अगर

वह मुस्तहब पर अमल करता है तो बेहतर है कि क़ुरबानी के बाद हल्क़ या क़स्र कराये। और जिस आदमी का हज किरान या तमत्तोअ़ हो वह क़ुरबानी से पहले हल्क़ या क़स्र न कराये। तमत्तोअ़ और क़िरान वाले पर क़ुरबानी भी वाजिब है। और इस तरह तरतीब भी वाजिब है कि पहले जमर-ए-अक़बा की रमी करे फिर क़ुरबानी करे फिर हल्क़ या क़स्र कराये, इस तरतीब के ख़िलाफ़ करेगा तो दम वाजिब होगा।

हल्क़ और क़स्र का तरीक़ा

क़िब्ला रुख़ बैठकर सर के बाल मुंडवाए या कतर वाये, अपनी दायीं जानिब से सर मुंडाना या कतरवाना शुरू करे। चौथाई सर के बाल मूंड देना या चौथाई सर के बाल कम से कम उंगली के एक पोरे के बराबर काट देना एहराम से निकलने के लिए वाजिब है, इससे कम मूंडने या काटने से एहराम से न निकलेगा, उमरे वाला हो या हज वाला सब का एक ही हुक्म है। अफ़ज़ल यह है कि सारे सर के बाल मुंडा दे अगर न मुंडाए तो सारे सर के बाल उंगली के एक पोरे के बराबर कटवा दे, अगर चे एहराम से निकलने के लिए चौथाई सर के बाल मूंड देना काफ़ी है या इसी तरह एक पोरे के बराबर चौथाई सर के बाल काट लें तो काफ़ी है मगर कुछ सर मुंडाना कुछ छोड़ना मना है, इसलिए पूरा सर मुंडाये या पूरे सर के बाल एक उंगली के पोरे के बराबर कटवाए ताकि सुन्नत के ख़िलाफ़ न हो, और जब पट्ठे रखने

वाला एक पोरे के बराबर बाल काटना चाहे तो एक पोरे से ज़्यादा ले ले क्योंकि बाल छोटे बड़े भी होते हैं अगर एक पोरे से ज़्यादा लेगा तो पूरे सर के बाल एक पोरे के बराबर कट जाने का यक़ीन होगा, चंद (कुछ थोड़े से) बाल काटने से एहराम से नहीं निकलता, ख़ूब समझ लें, और चूंकि औरत को सर मुडाना हराम है इस लिए वह एक पोरे के बराबर पूरे सर के बाल काटकर एहराम से निकल जाए और कम से कम चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर ज़रूर कटवाये, हल्क़ और क़स्र से पहले लबें और नाख़ून वग़ैरह न कटाए, और न बग़ल के बाल साफ़ करे वरना जज़ा वाजिब होगी। हल्क़ और क़स्र के वक़्त तक्बीर कहे और यह दुआ पढ़े जो बुज़ुर्गों से नक़ल की गयी है ।-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَقَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا ط اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ
نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُّوْرًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَامْحُ عَنِّىْ
بِهَا سَيِّئَةً وَّارْفَعْ لِىْ بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ ط اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِىْ نَفْسِىْ
وَتَقَبَّلْ مِنِّىْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ
اٰمِيْن ط

अल्हम्दु लिल्लाहि अला मा हदाना व अन्-अ-म अलैना व क़ज़ा अ़न्ना नुसु-कना अल्लाहुम्-म हाज़िही नासिय-यती बियदि-क फ़ज्अल्ली बिकुल्लि शअ़्-र तिन नूरय् यौमल

क़िया-मति वम्हु अ़न्नी बिहा सय्यि-अ-तव् वर्फ़अ़् ली बिहा द-र-ज-तन फ़िल जन्न-तिल आलि-यति अल्लाहुम्-म बारिक फ़ी नफ़्सी व तक़ब्बल मिन्नी अल्लाहुम्- मग़्फ़िर ली व लिल मुहल्लिक़ी-न वल मुक़स्सिरी-न या वासिअ़ल मग़्फ़ि-रति आमीन0

तर्जुमा - तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है इस पर कि उसने हमें हिदायत दी और हम पर इनाम फ़रमाया और हमारे हज के हुक्मों को पूरा किया, ऐ अल्लाह मेरी यह पेशानी (माथा) आपके क़ब्ज़े में है, तो मेरे लिए हर बाल के बदले क़ियामत के दिन नूर मुक़र्रर फ़रमा दे और हर बाल के बदले एक गुनाह माफ़ फ़रमा दे। और जन्नत में मेरा एक दर्जा बुलंद फ़रमादे, ऐ अल्लाह मेरे नफ़स में बरकत अता फ़रमा और हज को क़ुबूल फ़रमा ऐ अल्लाह मेरी मग़्फ़िरत फ़रमा और दूसरे सर मूंडने वालों और बाल कटाने वालों की भी मग़्फ़िरत फ़रमा, ऐ वसीअ़् मग़्फ़िरत वाले (आमीन)

हल्क़ या क़सर कराने के बाद भी तकबीर कहे, हल्क़ व क़स्र के बाद हाजी के लिए एहराम में जिन चीज़ों की मनाही है उनकी पाबंदी ख़त्म हो जाती है। यानी ख़ुश्बू लगाना, नाख़ून काटना, किसी भी जगह के बाल काटना, सिले हुए कपड़े पहनना, सर और चेहरा ढांकना ये सब काम जायज़ हो जाते हैं लेकिन मियां बीवी वाले ख़ास ताल्लुक़ात (संबंध) हलाल नहीं

होते, वे तवाफ़े ज़ियारत के बाद हलाल होते हैं।

तवाफ़े ज़ियारत

मिना में रमी और ज़िबह और हल्क़ या क़स्र कराने के बाद मक्का मुकर्रमा जा कर बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, यह तवाफ़ हज के फ़र्ज़ों में से है जिसको तवाफ़े रुक्न और तवाफ़े इफ़ाज़ा और तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं। इसका अंव्वल वक़्त दसवीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक़ हो जाते ही शुरू हो जाता है इससे पहले जायज़ नहीं है, तवाफ़े ज़ियारत दस, ग्यारह, बारह तीनों दिनों में हो सकता है, लेकिन दसवीं तारीख़ को इसका कर लेना अफ़ज़ल है, और बारहवीं तारीख़ को सूरज छिप गया तो इसका सही वक़्त निकल गया। अगर बारह ज़िलहिज्जा का सूरज छिपने के बाद केरगा तो तवाफ़ अदा हो जायेगा लेकिन एक दम वाजिब होगा, तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद मियां बीवी वाले ताल्लुक़ात भी हलाल हो जायेंगे।

याद रहे कि अगर किसी ने तवाफ़े क़ुदुम के साथ हज की सई कर ली थी तो अब तवाफ़े ज़ियारत में रमल न करे, अगर उस वक़्त सई नहीं की थी तो अब तवाफ़े ज़ियारत के बाद सई कर ले और तवाफ़े ज़ियारत के शुरू के तीन चक्करों में रमल भी करे।

अब रहा मस्अला 'इज़्तिबाअ़' का तो चूंकि 'इज़्तिबाअ़' का ताल्लुक़ बिना सिले हुए कपड़े पहनने की हालत से है इसलिए

जो आदमी तवाफ़े ज़ियारत के बाद सई करे अगर उसने अब तक हल्क़ नहीं कराया और सिले हुए कपड़े नहीं पहने हैं तो तवाफ़े ज़ियारत में इज़्तिबाअ़ करे, और अगर हलक़ या क़स्र करा के सिले हुए कपड़े पहन चुका है तो अब इज़्तिबाअ़ का मौक़ा नहीं रहा बिना इज़्तिबाअ़ ही तवाफ़ कर ले।

तवाफ़े ज़ियारत के बाद मिना को वापसी

दसवीं तारीख़ को तवाफ़े ज़ियारत के बाद मिना वापस आ जाये और ग्यारहवीं बारहवीं रात मिना में गुज़ारे और दोनों दिनों में 'ज़वाल' के बाद तीनों 'जमरात' की रमी करे, दसवीं तारीख़ का तवाफ़े ज़ियारत न किया हो तो ग्यारहवीं बारहवीं तारीख़ में से किसी वक़्त रात में या दिन में मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ कर ले।

चौथा दिन ग्यारह ज़िलहिज्जा

अगर क़ुरबानी या तवाफ़े ज़ियारत किसी वजह से दस तारीख़ को नहीं कर सके तो आज ग्यारहवीं को कर ले। सूरज ढलने के बाद तीनों जमरात की रमी करे, आज की रमी का मुस्तहब वक़्त ज़वाल के बाद से शुरू होकर सूरज छिपने तक है, सूरज छिपने के बाद मक्रूह है, मगर बारहवीं तारीख़ की सुबह होने से पहले पहले रमी कर ली जाए तो अदा हो जाती है दम देना नहीं पड़ता। और अगर बारहवीं तारीख़ की सुबह हो गयी तो अब ग्यारहवीं तारीख़ की रमी का वक़्त ख़त्म हो

गया, उस की क़ज़ा और जज़ा दोनों लाज़िम होंगी। यानी बारहवीं तारीख़ को उस दिन की रमी भी करे और ग्यारहवीं की छूटी हुई रमी की क़ज़ा भी करे और दम भी दे। गयारहवीं तारीख़ की रमी इस तरतीब से करे कि पहले "जमर-ए-ऊला" पर सात कंकरियां उसी तरीक़े से मारे जिस तरह दस तारीख़ को 'जमर-ए-अक़बा' की रमी कर चुका है। उस की रमी को पूरा करने के बाद भीड़ से एक तरफ़ हट कर क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके हाथ उठाकर दुआ करे, कम से कम इतनी देर ठहरे जितनी देर में बीस आयतें पढ़ी जा सकें। इस समय में तकबीर, तहलील, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल रहे। अपने और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों वग़ैरह और आम मुसलमानों के लिए दुआ करे, यह भी दुआ के क़ुबूल होने की जगह है, उसके बाद "जमर-ए-वुस्ता" पर आये और इसी तरह सात कंकरियां मारे जिस तरह पहले मार चुका है और उसके बाद भी भीड़ से एक तरफ़ हट कर क़िबला रुख़ होकर दुआ व इस्तिग़फ़ार में कुछ देर मशग़ूल रहे, फिर जमर-ए-अक़बा पर आये और यहां भी पहले की तरह सात कंकरियों से रमी करे और उसके बाद दुआ के लिए न ठहरे, कि यहां दुआ के लिए ठहरना सुन्नत से साबित नहीं है, हां वहां से वापस होकर चलते हुए दुआ मांग ले।

आज की तारीख़ का इतना ही काम था जो पूरा हो गया, बाक़ी बचा वक़्त अपनी जगह पर मिना में गुज़ारे, अल्लाह का ज़िक्र, तिलावत और दुआओं में मशग़ूल रहे, लापरवाही और बेकार

कामों में वक़्त बर्बाद न करें।

ग्यारहवीं तारीख़ की रमी भी औरतों और कमज़ोरों को आने वाली रात में किसी वक़्त कर लेनी चाहिए, न बिल्कुल छोड़ दे न किसी और से कराये, रात में भीड़ नहीं होती है।

पांचवां दिन बारह ज़िल हिज्जा और मक्का को वापसी

आज का काम तीनों "जमरात" की रमी करना है। सूरज ढलने के बाद तीनों जमरात की रमी करे जिस तरह ग्यारह ज़िल हिज्जा को की है ग्यारहवीं की रमी का सुन्नत वक़्त ज़वाल से सूरज छिपने तक है और सूरज छिपने के बाद से सुबह सादिक़ तक मक्रूह वक़्त है मगर औरतों, बूढ़ों और कमज़ोरों के लिए मक्रूह नहीं है।

अगर अब तक क़ुरबानी न की हो या तवाफ़े ज़ियारत न किया हो तो आज सूरज छिपने से पहले ज़रूर कर ले और आज की रमी भी करे।

तेरह ज़िल हिज्जा

बारह ज़िल हिज्जा की रमी करने के बाद अब तेरहवीं तारीख़ की रमी के लए मिना में और ठहरने न ठहरने का इख़्तियार है। अगर चाहे तो बारहवीं तारीख़ की रमी से फ़ारिग़ होकर मक्का मुकर्रमा जा सकता है, शर्त यह है कि सूरज छिपने

से पहले मिना से निकल जाए। अगर बारहवीं तारीख़ को सूरज मिना में छिप गया तो अब मिना से निकलना मक्रूह है उस को चाहिए कि आज रात और मिना में ठहरे और तेरहवीं तारीख़ को रमी कर के मक्का मुकर्रमा में जाये। और अगर मिना में तेरहवीं की सुबह हो गयी तो उस दिन की रमी भी उसके ज़िम्मे वाजिब हो गयी बिना रमी किए ज़ाना जायज़ नहीं है। अगर बिना रमी किये चला जायेगा तो दम वाजिब होगा। अफ़ज़ल (अच्छा) यही है कि बारहवीं तारीख़ की रमी के बाद सूरज छिपने से पहले जायज़ होने के बावजूद ख़ुद अपने इरादे से रात को वहां ठहरे और सुबह सूरज ढलने के बाद तीनों जमरात की रमी कर के मक्का मुकर्रमा में जाये। इस दिन की रमी का भी वही तरीक़ा है जो बारहवीं तारीख़ की रमी के ब्यान में ज़िक्र हुआ। और इस दिन की रमी का सही वक़्त ज़वाल से लेकर सूरज छिपने तक है आने वाली रात इसके ताबेअ् (हुक्म में) नहीं है, इसलिए इस दिन की रमी सिर्फ़ सूरज छिपने से पहले पहले ही हो सकती है। रात में नहीं हो सकती। अगर सूरज छिपने तक रमी न की तो रमी का वक़्त ख़त्म हो गया, अगर उस दिन की रमी वाजिब हो चुकी थी और सूरज छिपने तक न की तो उसके छोड़ने से एक दम वाजिब होगा।

अगर किसी ने तेरहवीं तारीख़ को सुबह सादिक़ के बाद ज़वाल से पहले रमी कर ली तो मक्रूह है मगर अदा हो जायेगी, ज़वाल से पहले उस दिन की रमी करना मक्रूह है, लेकिन इस

तरह कर लेने पर दम वाजिब न होगा। बारहवीं या तेरहवीं तारीख़ की रमी कर के मक्का मुकर्रमा आ जाये, और मक्का मुकर्रमा से रवाना होने तक नेक आमाल में मश्ग़ूल रहे, ख़ास कर तवाफ़ ख़ूब करे और चाहे तो उमरे करता रहे, लेकिन ज़्यादा तवाफ़ करना ज़्यादा उमरे करने से बेहतर है, और जो उमरा करे तेरहवीं तारीख़ के बाद करे।

तवाफ़े विदा

मीक़ात से बाहर रहने वालों पर वाजिब है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद रुख़्सती का तवाफ़ भी करें। इसको "तवाफ़े विदा" और "तवाफ़े सदर" कहते हैं, और यह हज का आख़री वाजिब है और इस में हज की तीनों क़िस्में बराबर हैं यानी हर क़िस्म का हज करने वाले पर वाजिब है यह तवाफ़ हरम वाले और मीक़ात की हदों के अंदर रहने वालों पर वाजिब नहीं

जो औरत हज के सब अर्कान व वाजिबात अदा कर चुकी है और तवाफ़े ज़ियारत के बाद उस को माहवारी शुरू हो गयी और अभी पाक नहीं हुई थी कि उसका मेहरम रवाना होने लगा तो तवाफ़े विदा उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं है और वह तवाफ़े विदा को अदा किये बिना अपने मेहरम के साथ चली जाये।

तवाफ़े विदा के लिए नियत भी ज़रूरी नहीं, अगर तवाफ़े ज़ियारत के बाद कोई तवाफ़ नफ़ली कर लिया है तो वो तवाफ़े विदा की जगह समझा जायेगा और तवफ़े विदा अदा

जायेगा, लेकिन अफ़ज़ल यही है कि मुस्तकि़ल नियत कर के बिल्कुल वापसी के वक़्त तवाफ़ करे।

अगर तवाफ़े विदा कर लेने के बाद किसी ज़रूरत से फिर मक्का में क़याम करे तो फिर चलने के वक़्त तवाफ़े विदा का दोबारा कर लेना मुस्तहब है, तवाफ़े विदा के बाद "दोगाना तवाफ़" पढ़े फिर कि़ब्ला रुख़ खड़े होकर ज़म्ज़म का पानी पिये, फिर हरम से रुख़सत हो, इस मौक़े की कोई ख़ास दुआ मसनून नहीं है। जो चाहे दुआ मांगे और वापसी पर हसरत और अफ़सोस करे और बार बार आने की दुआ करे, कुछ आलिमों ने इस मौक़े के लिए अच्छी दुआयें मुक़र्रर कर दी हैं चाहे तो उन को पढ़ ले।

हज छूट जाने का बयान

मस्अला - जिस आदमी ने हज का एहराम बांधा और दसवीं तारीख़ की सुबह सादिक़ से पहले अरफ़ात में न पहुंच सका तो उसका हज छूट गया, ऐसे आदमी को "फ़ाइतुल हज" (हज से महरूम रह जाने वाला) कहा जाता है उसका हुक्म यह है कि जब हज छूट जाए तो उसी एहराम से उमरे के अफ़आल (काम) यानी तवाफ़ व सई कर के बाल मुंडाकर एहराम से निकल जाये और तवाफ़ शुरू करने से पहले पहले तल्बियह पढ़ना बंद कर दे।

मस्अला - अगर जिसका हज छूटा है मुफ़्रिद था तो उस पर हज की क़ज़ा वाजिब है, और अगर क़ारिन था जिसने

उमरा नहीं किया था तो यह आदमी पहले तो एक तवाफ़ और सई उमरे के लिए करे और उसके बाद एक उमरा हज छूट जाने की वजह से करे, उसके बाद बाल मुंडाकर हलाल हो जाये और इस सूरत में उस पर सिर्फ़ हज की क़ज़ा वाजिब होगी और क़िरान का दम ज़िम्मे से उतर जायेगा और क़ज़ा में उमरा करना वाजिब न होगा, और दूसरा तवाफ़ शुरू करने से पहले पहले तल्बियह पढ़ना ख़त्म कर दे, और अगर उमरा कर चुका है तो इसका वही हुक्म है जो मुफ़्रिद का हुक्म ऊपर ब्यान हुआ, यानी हज छूट जाने की वजह से उमरे के अफ़आल अदा कर के और हल्क़ या क़स्र कर के हलाल हो जाये और हज की क़ज़ा करे, और अगर मुतमत्तेअ् था (जिसने उमरा कर के बाल मुंडा कर हज का एहराम बांधा है) तो हज छूट जाने की वजह से उमरा करे और हलक़ या क़स्र करके हलाल हो जाये और आइंदा (आगे) हज की क़ज़ा करे।

मस्अला - जिस का हज छूट जाये उस पर तवाफ़े विदा और क़ुरबानी वाजिब नहीं होती और उसके ज़िम्मे से "क़िरान" और "तमत्तोअ्" का दम ख़त्म हो जायेगा।

मस्अला - हज फ़र्ज़ हो या नफ़िल या नज़्र (मन्नत) मान कर वाजिब कर लिया सबके फ़ौत हो (छूट) जाने का एक ही हुक्म है।

मस्अला - उमरा फ़ौत नहीं होता, क्योंकि उस के लिए

कोई तारीख़ मुक़र्रर नहीं है और "अरफ़े के दिन" क़ुरबानी के दिन और "अय्यामे तश्रीक़" (यानी नो से बारह तारीख़) के अलावा साल भर में किसी भी दिन या रात में उमरा अदा किया जा सकता है और मज़कूरा (जिन का ज़िक्र हुआ) दिनों में उमरा करना मक्रूह है। लेकिन अगर किसी ने इन दिनों में उमरा कर लिया तो अगरचे मक्रूह है मगर अदा हो जायेगा।

एह्सार के अहकाम

कभी ऐसा होता है कि हज का एहराम बांधने के बाद वुक़ूफ़े अरफ़ात और तवाफ़ दोनों की अदाएगी की कोई सूरत नहीं रहती, जैसे किसी दुश्मन ने रोक दिया, किसी हाकिम ने क़ैद कर लिया या पांव की हडडी टूट गयी, इतना लंगड़ा हो गया कि चल फिर नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, रुपये चोरी हो गये और पैदल सफर नहीं कर सकता तो इन सूरतों को एहसार कहा जाता है और जब इनमें से कोई सूरत किसी एहराम वाले को पेश आ जाये तो उसे मुहसर कहते हैं नीचे मुह्सर के अहकाम लिखे जाते हैं।

मस्अला - जिसने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा और ऊपर ज़िक्र हुए मामलों में से किसी वजह से मुहसर हो (घिर) जाए तो एहसार (रुकावट) के ख़त्म होने का इंतज़ार करे, एहसार दूर होने के बाद अगर हज मिल सके तो हज कर ले और हज न मिले तो उमरा कर के हलाल हो जाये क्योंकि अब यह एहराम

वाला "फ़ाइतुल हज" हो गया, और अगर ऐसी सूरत है कि जिस वक़्त एहसार हुआ है उस वक़्त से लेकर हज की तारीख़ में देर है और इंतज़ार करने में दिक़्क़त है और जल्द हलाल होना चाहता है तो किसी आदमी को एक दम या एक दम की क़ीमत देकर हरम में भेज दे ताकि वह उस की तरफ़ से हरम में जा कर क़ुरबानी कर दे और तारीख़ और ज़िबह का वक़्त पहले से मुक़र्रर कर दे। जानवर या जानवर की क़ीमत भेजने के बाद चाहे तो उसी जगह ठहरा रहे जहां एहसार हुआ है या अपने घर वापस आ जाये या और किसी जगह चला जाये, जब जानवर हरम में ज़िबह हो जायेगा तो यह आदमी एहराम से निकल जाएगा, और यह "मुहसर" अगर क़ारिन है तो चूंकि इसके दो एहराम हैं इसलिए दो दम या दो दम की क़ीमत भेज दे और ज़िबह की तारीख़ और वक़्त मुक़र्रर कर दे। एक जानवर हज के एहराम से निकलने के लिए और एक एहराम उमरे के एहराम से निकलने के लिए हरम में ज़िबह करा दे। जब ये दोनों जानवर ज़िबह हो जायेंगे तो एहराम से निकल जाएगा। अगर उसने सिर्फ़ एक दम दिया तो उस वक़्त तक एहराम से न निकलेगा जब तक हरम में दूसरा जानवर ज़िबह न कराये, क्यों कि क़ारिन दोनों एहरामों से एक ही साथ हलाल होता है।

मस्अला - अगर किसी आदमी ने उमरे का एहराम बांधा और उसके बाद उमरे के तवाफ़ से रोक दिया गया तो ऐसा व्यक्ति भी मुहसर है वह भी हरम में क़ुरबानी करा कर

हलाल हो सकता है।

मस्अला - ऊपर ज़िक्र हुए तरीक़े पर जब तक एहराम से न निकलेगा और कोई ऐसा काम कर बैठेगा जिससे जिनायत वाजिब होती है तो यह एहराम पर जिनायत होगी और जिनायत का कफ़्फ़ारा वाजिब होगा।

मस्अला - अगर जानवर हरम में ज़िबह नहीं हुआ बल्कि "हिल" (हरम की हदों से बाहर) में ज़िबह हुआ है तो इससे भी हलाल न होगा, जब तक हरम में ज़िबह न हो उस वक़्त तक एहराम ही में रहेगा और कोई जिनायत हो जायेगी तो उसका कफ़्फ़ारा देना वाजिब होगा।

मस्अला - ज़िबह करने वाले से जिस वक़्त ज़िबह करने का वायदा लिया है उस ने अगर उस वक़्त से एक दो रोज़ पहले ज़िबह कर दिया तब भी मुहसर उसी दम से हलाल हो जायेगा।

मस्अला - हरम में जानवर ज़िबह हो जाने से मुहसर एहराम से निकल जाता है। एहराम से निकलने के लिए हल्क़ या क़स्र लाज़िम नहीं बल्कि अफ़ज़ल और बेहतर है।

मस्अला - एहसार के दम के लिए क़ुरबानी के दिनों में ज़िबह करना शर्त नहीं है, हरम में ज़िबह होना शर्त है।

मस्अला - मुहसर एहराम से निकलने के लिए जो दम ज़िबह कराये वो एक साल का बकरा या बकरी हो, जो तमाम

ऐबों (कमियों) से पाक हो और उसके जायज़ होने के लिए वही शर्तें हैं जो क़ुरबानी के जानवर के लिए हैं।

मस्अला - मुहसर जब हरम में जानवर ज़िबह करा के हलाल हो जाये तो जब भी एहसार ख़त्म हो जाये आइंदा (आगे) जब हज की तारीख़ आ जाये तो उस हज की क़ज़ा करे जिसके एहराम से निकला है। अगर एहरामे हज से हलाल हुआ था तो क़ज़ा में एक हज और एक उमरा अदा करे, और अगर क़िरान के एहराम से हलाल हुआ था तो उस पर एक हज और दो उमरे करना लाज़िम है, यह सब इस सूरत में है जब उस साल हज का वक़्त निकल गया हो।

मस्अला - अगर ऐसी सूरत है कि हरम में दम देकर हलाल होने के बाद एहसार (रुकावट) ख़त्म हो गया और हज करने का मौक़ा मिल रहा है यानी अरफ़ात तक पहुंच सकता है और उसी साल दोबारा एहराम बांधकर हज कर लिया तो क़ज़ा की नियत की ज़रूरत न होगी और अलग से उमरा करना भी वाजिब न होगा। और अगर यह आदमी क़ारिन था और उसी साल उमरे और हज का नया एहराम बांधकर अदा करने की ताक़त हो गयी और नये एहराम से क़िरान कर लिया तब भी न क़ज़ा की नियत करनी होगी न अलग से कोई उमरा करना लाज़िम होगा।

मस्अला - अगर नफ़िल हज से एहसार की वजह से

हलाल हुआ था और एहसार ख़त्म होने के बाद उसी साल हज कर यिला तब भी उस हज में क़ज़ा की नियत ज़रूरी नहीं और उस साल के बाद हज किया तो क़ज़ा की नियत वाजिब होगी।

मसअला - मुहसर अगर फ़र्ज़ हज के एहराम से हलाल हुआ था तो उस के लिए क़ज़ा की नियत वाजिब नहीं चाहे एहसार ही के साल हज करे या बाद में।

मसअला - हर मुहसर पर क़ज़ा वाजिब है चाहे फ़र्ज़ हज हो या नफ़िल हो, अपना हज हो या "हज्जे बदल"। उमरे के एहराम वाला अगर मुहसर हो गया और हरम में दम ज़िबह करा के हलाल हो गया तो वह भी उमरे की क़ज़ा करे।

मसअला - अगर क़ारिन या मुफ़्रिद तवाफ़ या वुक़ूफ़े अरफ़ा दोनों में से किसी एक के करने पर क़ादिर हो गया हो तो उस पर मुहसर के हुक्म लागू न होंगे, अगर वुक़ूफ़े अरफ़ा हो चुका है और तवाफ़े ज़ियारत से रोक दिया गया तो उसका हज हो गया बाल मुंडाकर एहराम से निकल जाए लेकिन जब तक तवाफ़ न करेगा बीवी उसके लिए हलाल न होगी और तवाफ़े ज़ियारत जब चाहे ज़िन्दगी में कर सकता है, लेकिन बारह ज़िलहिज्जा गुज़र जाने के बाद तवाफ़े ज़ियारत करेगा तो उसके लिए एक दम वाजिब होगा और अगर सिर्फ़ वुक़ूफ़े अरफ़े से रोका गया तो जब तक हज का वक़्त बाक़ी है एहसार ख़त्म होने का इंतज़ार करे, मौक़ा मिल जाए तो हज करे और अगर हज

की तारीख़ गुज़र जाने तक एहसार (रुकावट) बाक़ी रहे तो उमरे के अफ़्आल अदा कर के हलाल हो जाए और चूंकि यह आदमी "फ़ाइतुल हज" (जिसका हज छूट गया) हो गया इसलिए इस पर क़ज़ा लाज़िम होगी जिस की तफ़सील पहले गुज़र चुकी है।

मस्अला - अगर मक्का मुकर्रमा में पहुंच कर हज के एहराम वाला आदमी वक़ूफ़े अरफ़ात और तवाफ़े ज़ियारत दोनों से रोक दिया जाए तो वह भी मुहसर है। वह भी हरम में जानवर ज़िबह कर के हलाल हो सकता है। अगर हज की तारीख़ निकलने तक मुहसर ही रहा और दम देकर एहराम से न निकला तो अब "फ़ाइतुल हज" हो गया, इसलिए उसी एहराम से उमरा कर के और हलक़ या क़स्र कर के हलाल हो जाए, और अगर सिर्फ़ "वुक़ूफ़" से रोका गया तो उमरा कर के हलाल हो जाए और अगर तवाफ़े ज़ियारत से रोका गया तो वुक़ूफ़े अरफ़ात के बाद ज़िन्दगी में कभी भी तवाफ़े ज़ियारत अदा हो सकता है, लेकिन क़ुरबानी के दिनों के बाद तवाफ़े ज़ियारत करने से दम वाजिब होगा।

हज्जे बदल के अहकाम

माली इबादात जैसे ज़कात, सदक़ा-ए-फ़ितर इनमें दूसरे को अपना नायब (क़ायम मक़ाम) बनाकर अदा करा देना जायज़ है इसी तरह वे इबादतें जो माली भी हों और जिस्मानी भी जैसे हज और उमरा इन में भी नायब बनाया जा सकता है। लेकिन

बदनी इबादत नमाज़ रोज़े में नयाबत नहीं हो सकती यानी कोई किसी की तरफ़ से नमाज़ नहीं पढ़ सकता। और रोज़ा भी नहीं रख सकता। हज़रत अबू रज़ीन रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! (सल्ल0) मेरे वालिद (बाप) बहुत बूढ़े हैं हज और उमरे की हिम्मत उनमें नहीं है और वे सफ़र भी नहीं कर सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम अपने बाप की तरफ़ से हज और उमरा कर लो। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

अगर किसी को अपने माल से ज़िन्दा या मुर्दा रिश्तेदार, उस्तांद, पीर मुरशिद की तरफ़ से हज्जे बदल करना है जिस से सवाब पहुंचाना मक़सद हो और जिस की तरफ़ से हज कर रहा है उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है तो इसमें कोई शर्त नहीं है जिस मीक़ात से चाहे जोन सा चाहे हज अदा कर ले या किसी दूसरे आदमी से हज करा दे। इसमें यह भी शर्त नहीं कि जिस की तरफ़ से हज अदा कर रहा है उसने नायब बनाया हो या वसीयत की हो। लेकिन फ़र्ज़ हज की अदाएगी के लिए जो हज उसी के माल से अदा किया जा रहा हो जिस की तरफ़ से हज करना है उस में बहुत सी शर्तें हैं। जो फ़िक़्ह (मसाइल) की किताबों में ज़िक्र की गयी हैं। इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी मसाइल और अहकाम यहां लिखे जाते हैं। आने वाले मसाइल को समझने के लिए "आमिर" और "मामूर" का मतलब पहले जेहन में बैठा लें। जो आदमी किसी को हज्जे बदल के लिए भेजता है उसे

"आमिर" कहते हैं। (यानी हुक्म देने वाला) और जिसे हज के लिए भेजा जाता है उसे "मामूर" कहते हैं (यानी वह आदमी जिसे हुक्म दिया गया है)।

मस्अला - जिस आदमी पर हज फ़र्ज़ हो गया और उसने हज का ज़माना पाया मगर हज नहीं किया फिर कोई उज़्र (मजबूरी) ऐसा पेश आ गया जिसकी वजह से खुद हज करने पर क़ुदरत नहीं रही जैसे ऐसा बीमार हो गया जिस से शिफ़ा (सही होने) की उम्मीद नहीं अंधा या अपाहिज हो गया या बुढ़ापे की वजह से ऐसा कमज़ोर हो गया कि खुद सफ़र करने की ताक़त न रही तो उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि अपनी तरफ़ से किसी दूसरे आदमी को भेजकर हज करा दे या यह वसीयत कर दे कि मेरे मरने के बाद मेरी तरफ़ से मेरे माल से हज्जे बदल करा दिया जाए (यह वसीयत क़र्ज़ अदा करने के बाद तिहाई माल में लागू होगी)।

मस्अला - अगर किसी ने अपने आप को माज़ूर व मजबूर जानकर हज्जे बदल करा दिया और उसके बाद खुद हज करने पर क़ादिर हो गया तो खुद हज करना फ़र्ज़ होगा और जो हज्जे बदल कराया है वो नफ़ली हज हो जाएगा।

मस्अला - अगर औरत के पास हज की ज़रूरत के मुताबिक़ माल मौजूद हो मगर साथ के लिए कोई मेहरम नहीं मिलता या मिलता है मगर वह अपना ख़र्च नहीं उठा सकता

और औरत के पास इतना माल नहीं कि अपने ख़र्च के अलावा मेहरम का ख़र्च भी उठा सके तो मौत से पहले यह वसीयत कर दे कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा दिया जाए, यह वसीयत तिहाई माल में लागू होगी।

मस्अला - बेहतर यह है कि हज्जे बदल उस आदमी से कराया जाए जिसने पहले अपना हज अदा कर लिया हो, अगर ऐसे आदमी से हज्जे बदल कराया जिसने अभी अपना हज अदा नहीं किया और उस पर हज फ़र्ज़ भी नहीं है तो हज्जे बदल अदा हो जाएगा मगर बेहतर नहीं। अगर अपना हज फ़र्ज़ होने के बावजूद उसने अब तक अपना हज अदा नहीं किया तो उससे हज्जे बदल कराना मक्रूहे तहरीमी है (यानी हराम के क़रीब है।) मगर आमिर का हज फिर भी अदा हो जाएगा।

मस्अला - हज्जे बदल उज्रत (मज़दूरी) व मुआवज़े के तौर पर करना जायज़ नहीं हज करने पर मुआवज़ा व उज्रत लेना और देना दोनों हराम हैं, अगर किसी ने उज्रत (कुछ मज़दूरी) तै करके हज्जे बदल करा दिया तो करने वाला और कराने वाला दोनों गुनाहगार हुए मगर हज फिर भी आमिर ही का अदा हो जाएगा और जो उज्रत ली है उसका वापस करना लाज़िम होगा, जितना रुपया हज की ज़रूरतों में ख़र्च हुआ है मामूर को वही दिया जाएगा।

मस्अला - फ़र्ज़ हज्जे बदल के ख़र्चों में आमिर का रूपया

ख़र्च होना ज़रूरी है लेकिन अगर ज़्यादा रुपया हज कराने वाले का तो और कुछ थोड़ा सा हज्जे बदल पर जाने वाले ने अपनी तरफ़ से ख़र्च कर दिया तब भी आमिर का फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा।

मस्अला - हज के बाद मामूर को आमिर के वतन लौट कर आना अफ़ज़ल है लेकिन अगर वापस न आया और मक्का मुकर्रमा में ही रह गया तो यह भी जायज़ है कि लेकिन वापसी का ख़र्चा जो बच रहा है वो वापस करना लाज़िम होगा।

मस्अला - अगर मामूर आमिर के हज से फ़ारिग़ होकर अपनी तरफ़ से उमरा करे तो जायज़ है। लेकिन अपने उमरे का ख़र्च अपने पास से करे आमिर के माल से न करे।

मस्अला - दूसरे का फ़र्ज़ हज अदा करने के लिए हज्जे बदल करना अपना नफ़ली हज अदा करने से अफ़ज़ल है।

मस्अला - मदीना मुनव्वरा आने जाने का ख़र्चा और वहां के ठहरने के ख़र्चे आमिर के माल से उस की इजाज़त के बिना न करे।

मस्अला - ज़रूरी नहीं कि मर्द की तरफ़ से मर्द और औरत की तरफ़ से औरत हज्जे बदल करे, अगर मर्द ने औरत की तरफ़ से या औरत ने मर्द की तरफ़ से हज्जे बदल अदा कर लिया तब भी अदा हो जाएगा, मगर औरत के लिए सफ़र

में जाने के लिए ज़रूरी है कि मेहरम साथ हो, तथा शौहर (पति) की इजाज़त के बिना किसी के हज्जे बदल के लिए सफ़र न करे।

मस्अला - मामूर आमिर के माल से किसी की दावत न करे और न किसी को खाने में शरीक करे और न किसी को क़र्ज़ दे, हां अगर आमिर ने इन चीज़ों की इजाज़त दी है तो जायज़ है, लेकिन मरने वाले के माल से हज करने की सूरत में उसके बालिग़ वारिसों की इजाज़त ज़रूरी है।

मस्अला - अगर मामूर ने क़िरान किया है तो क़ुरबानी का ख़र्चा मामूर पर है।

मस्अला - अगर एहराम बांधने के बाद एह्सार हो जाए तो एह्सार का दम आमिर के माल से दे सकता है।

मस्अला - जिस साल आमिर ने हज का हुक्म दिया अगर मामूर ने उस साल हज न किया बल्कि दूसरे साल आमिर की तरफ़ से हज किया तब भी आमिर का हज अदा हो जाएगा और मामूर पर ज़िमान वाजिब न होगा।

मस्अला - अगर आमिर ने मामूर को इजाज़त दी थी कि ज़रूरत पड़ने पर क़र्ज़ ले लेना जो क़र्ज़ लोगे मैं अदा कर दूंगा, तो हज की ज़रूरतों के लिए मामूर क़र्ज़ भी ले सकता है।

मस्अला - अगर किसी आदमी पर हज फ़र्ज़ था और वह

अपने माल से हज कराने की वसीयत किए बिना मर गया और उसकी तरफ़ से उसकी औलाद ने या किसी दूसरे वारिस ने हज्जे बदल कर लिया तो अल्लाह तआला से उम्मीद है कि मरने वाले का हज अदा हो जाएगा। लेकिन जिस पर हज फ़र्ज़ हुआ और खुद अदा न किया वह अपनी तरफ़ से हज कराने की वसीयत ज़रूर करे, कोई ज़रूरी नहीं कि वारिस उस की तरफ़ से हज्जे बदल करें या किसी को भेज कर हज करा दें। हज्जे बदल करने की वसीयत कर के मरेगा तो अब ज़िम्मेदारी वारिसों की होगी।

मस्अला - हज्जे बदल के तमाम ज़रूरी ख़र्चे हज कराने वाले के ज़िम्मे होंगे जिसमें आने जाने का किराया और मक्का मुकर्रमा, मिना व अरफ़ात में ठहरने के मकान या ख़ेमे का किराया, खाने पीने और कपड़े धुलवाने के ख़र्चे शामिल होंगे, और एहराम के कपड़े और सफ़र के लिए ज़रूरी बर्तन और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी, यह सब कुछ आमिर के ज़िम्मे होगा।। लेकिन कपड़े और बर्तन वग़ैरह हज से फ़ारिग़ होने के बाद आमिर (यानी हज कराने वाले) को वापस देना होंगे, इसी तरह ख़र्च करने के बाद अगर कुछ नक़द रक़म बचे तो वो भी वापस करना होगी, लेकिन हज्जे बदल कराने वाले ने अगर अपने पैसे से हज कराया हो और वह हज करने वाले को बाक़ी बची हुई रक़म अब दे दे या पहले ही से उसने कह दिया कि हज से फ़ारिग़ हो कर जो सामान बचे और बचा हुआ पैसा मेरी तरफ़ से तुम्हारे

लिए है तो हज करने वाला बाक़ी माल को अपने ख़र्च में ले सकता है। और अगर आमिर ने मय्यत के माल से मय्यत की तरफ़ से हज्जे बदल कराया हो और मरने वाले ने वसीयत की हो कि हज के ख़र्च के बाद जो माल बचे वो हज करने वाले को दे दिया जाए, तब भी उसको बाक़ी माल दे देना दुरुस्त होगा, शर्त यह है क हज का ख़र्च और यह ज़ायद माल मरने वाले के माल में से तिहाई माल में पूरा हो जाता हो। अगर तिहाई माल से ज़्यादा ख़र्च हो रहा हो तो वारिसों की इजाज़त के बिना लेना जायज़ नहीं है, लेकिन नाबालिग़ की इजाज़त का ऐतबार नहीं।

मस्अला – हज्जे बदल का सफ़र आमिर (यानी हज कराने वाले) के वतन से शुरू कर लिया जाये।

मस्अला – मामूर (यानी हज्जे बदल करने वाले) पर लाज़िम है कि एहराम बांधने के वक़्त उस आदमी के हज की नियत करे जिस की तरफ़ से हज्जे बदल कर रहा है, और अच्छा यह है कि एहराम के साथ जो तल्बियह् पढ़े उस में ये अल्फ़ाज़ भी कहे "लब्बै-क अन फ़ुलानिन" फ़ुलां की जगह उसका नाम ले।

मस्अला – मामूर पर लाज़िम है कि आमिर यानी हज कराने वाले की मुख़ालिफ़त न करे अगर उसने आमिर के ख़िलाफ़ किया तो उसका हज्जे बदल अदा नहीं होगा बल्कि यह हज

ख़ुद मामूर की तरफ़ से हो जाएगा और उस पर लाज़िम होगा कि आमिर की जो रक़म उसने हज पर ख़र्च की है वो उसको वापस कर दे।

मस्अला - अगर आमिर ने सिर्फ़ हज के लिए कहा है तो उसको क़िरान और तमत्तोअ़ करना जायज़ नहीं है, अगर मामूर ने मुख़लिफ़त की (यानी उसके कहने के अनुसार न किया) तो यह हज आमिर का नहीं बल्कि मामूर का अपना हो जाएगा और हज में हुआ ख़र्च आमिर को वापस करना होगा।

मस्अला - अगर आमिर ने मामूर को आम इजाज़त दे दी कि तुम्हें इख़्तियार है कि जिस तरह चाहो मेरी तरफ़ से हज कर लो चाहे "इफ़्राद" (यानी सिर्फ़ हज कर लो) चाहे क़िरान का (यानी हज व उमरा दोनों का एक साथ) एहराम बांध लो, या तमत्तोअ़ कर लो, तो इस सूरत में मामूर के लिए इफ़्राद और क़िरान तो बिना किसी इख़्तिलाफ़ के जायज़ है मगर तमत्तोअ़ के बारे में हनफ़ी फ़क़ीहों (आलिमों) ने लिखा है कि इस से आमिर का हज अदा न होगा अगर चे उसने इस की इजाज़त दी हो (अगर चे मामूर पर ज़िमान लाज़िम न होगा) इसलिए एहतियात इसी में है कि मामूर को हज्जे तमत्तोअ़ की इजाज़त न दी जाए लेकिन मौजूदा हालत को सामने रखते हुए कुछ आलिमों ने आमिर की इजाज़त से तमत्तोअ़ करने और उससे आमिर का हज अदा हो जाने की गुंजाइश निकाली है मगर फिर

भी एहतियात ज़रूरी है, कोशिश की जाए कि हज्जे बदल को जाने वाला ऐसे जहाज़ से जाए जिस के पहुंचने के बाद हज में ज़्यादा देर न हो ताकि "मीक़ाती हज" हो सके और तमत्तोअ़ के लिए मजबूर न हो।

हज की वसीयत करना

जिस आदमी पर हज फ़र्ज़ हो गया लेकिन अदा नहीं किया और मौत आने लगी उस पर वाजिब है कि अपने माल से अपनी तरफ़ से हज कराने की वसीयत कर दे, अगर बिना वसीयत के मर जायेगा तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर हज फ़र्ज़ होने के बाद उसी साल हज के लिए रवाना हो गया और रास्ते में मौत आ गयी तो उस पर हज्जे बदल की वसीयत करना वाजिब नहीं।

मस्अला - वसीयत सिर्फ़ तिहाई माल में लागू होती है और अगर मैयत पर क़र्ज़ हो तो क़र्ज़ की अदाएगी के बाद जो माल बचे उसके तिहाई में हज्जे बदल की वसीयत और दूसरी तमाम वसीयतें नाफ़िज़ (लागू) होंगी। वसीयत की सूरत में तिहाई माल से हज कराया जाए, मरने वाले ने तिहाई माल का ज़िक्र किया हो या न किया हो, लेकिन अगर बालिग़ वारिस अपनी खुशी से तिहाई माल से ज़्यादा दे दें तो यह भी जायज़ है।

मस्अला - अगर तिहाई माल में गुंजाइश हज्जे बदल की न हो और बालिग़ वारिस अपनी तरफ़ से और माल देने के लिए राज़ी न हों तो जिस जगह से तिहाई माल से हज किया जा सकता

हो वहां से किसी को हज्जे बदल के लिए मामूर कर दिया जाए।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हज के ज़रूरी अहकाम व मसाइल और हज का तरीक़ा बयान करके हम फ़ारिग़ हो गये और इसके दर्मियान उमरे का तरीक़ा और उसके ज़रूरी अहकाम बयान हो चुके हैं लेकिन खोलकर (विस्तार से) समझाने के लिए हम उमरे का तरीक़ा मुस्तक़िल तौर पर अलग भी लिखते हैं। व बिल्लाहित् तोफ़ीक़।

★★★

उमरे का तफ़सीली बयान

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नह्-मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

نَحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

उमरे का मुख़्तसर बयान पिछले पन्नों में गुज़र चुका है लेकिन चूंकि आज कल उमरे के लिए हैसियत व गुंजाइश वाले लोग ज़्यादा तर सफ़र करने लगे हैं और अक्सर (अधिकतर) उमरे ही के लिए मुस्तक़िल सफ़र होता है, इसलिए तफ़सील के साथ उमरे के फ़ज़ाइल, फ़राईज़, वाजिबात और अदा करने का तरीक़ा और उसके ज़रूरी मसाइल लिखे जाते हैं।

व मिनल्लाहित् तौफ़ीक़

उमरे की फ़ज़ीलतें

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि हज व उमरा लगातार और मुसलसल किया करो क्योंकि ये तंगदस्ती और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी के मेल को दूर कर देती है।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी इर्शाद फ़रमाया कि जो लोग हज व उमरे के सफ़र में हों वे अल्लाह तआला के दरबार में हाज़िर होने वाले लोग हैं (जो मेहमान के तौर पर गिने जाते हैं) ये लोग अल्लाह तआला से दुआ करें तो क़ुबूल फ़रमाए और मग़्फ़िरत तलब करें तो उनकी मग़्फ़िरत फ़रमा दे। (इब्ने माजः)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि रमज़ान में उमरा करना हज करने के बराबर है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्लिम शरीफ़ में एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि रमज़ान में उमरा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। (मिश्कात शरीफ़)

उमरे के अफ़आल

उमरे में चार काम करने होते हैं :-

1- मीक़ात से उमरे का एहराम बांधना, यानी उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ना।

2- मक्का मुकर्रमा पहुंच कर तवाफ़ करना।

3- सफ़ा मर्वा के दर्मियान सई करना।

4- हलक़ या क़स्र करना यानी सई से फ़ारिग़ होकर सर के बाल मुंडवाना या कटवाना।

उमरे के फ़र्ज़ -

ऊपर जो काम ज़िक्र किए गये हैं उनमें से दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं।

1- उमरे का एहराम बांधना, जो उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ने से आयोजित हो जाता है।

2- तवाफ़ करना।

उमरे के वाजिबात -

और उमरे में दो चीज़ें वाजिब हैं।

1- सफ़ा मर्वा के दर्मियान सई करना।

2- सई के फ़ारिग़ होकर सर के बाल कटवाना या मुंडवा देना। (और उमरे के तवाफ़ में रमल और इज़्तिबाअ़ सुन्नत है)।

उमरा सुन्नते मुअक्कदा है, जिस किसी मुसलमान को मक्का मुकर्रमा पहुंचने की क़ुदरत हो उसके लिए उम्र भर में एक बार उमरा करना सुन्नते मुअक्कदा है और एक बार से ज़्यादा उमरा करना मुस्तहब है।

उमरे के औक़ात

हज तो एक साल में एक ही बार हो सकता है क्योंकि शरई तौर पर उस के लिए तारीख़ मुक़र्रर है, उसके अदा करने के लिए नवीं ज़िलहिज्जा के ज़वाल के बाद से लेकर आने वाली रात की सुबह सादिक़ होने से पहले पहले एहरामे हज की हालत में अरफ़ात में पहुंचना लाज़िम है। अगर इस वक़्त में अरफ़ात में न पहुंचा तो हज न होगा चाहे कितने ही तवाफ़ कर ले। तवाफ़े ज़ियारत जो हज में फ़र्ज़ है वो भी उसी वक़्त तवाफ़े ज़ियारत बनेगा जबकि उससे पहले एहराम की हालत में ऊपर ज़िक्र हुए वक़्त (समय) के अंदर अरफ़ात होकर आया हो।

लेकिन उमरा साल में बार बार हो सकता है और चूंकि इसमें ज़्यादा वक़्त ख़र्च नहीं होता इसलिए बहुत से लोग एक दिन में एक से ज़्यादा उमरे कर लेते हैं। लेकिन ज़िलहिज्जा की 9, 10, 11, 12, 13 तारीख़ को उमरा करना मकरूहे तहरीमी है।

औरत के लिए मेहरम या शौहर के साथ होने की शर्त -

औरत के लिए मेहरम या पति के बिना अड़तालीस (48) मील या इससे ज़्यादा का सफ़र करना शरीअत में मना है, यह सफ़र चाहे रेल से हो या मोटर कार से या हवाई जहाज़ से, और चाहे किसी दुनिया के काम के लिए हो चाहे हज व उमरे के लिए हो और चाहे किसी दीनी काम के लिए हो।

यह मनाही जवान और बूढ़ी हर औरत के लिए है, कुछ औरतें समझती हैं कि कुछ (या कई) औरतों के साथ बिना मेहरम के औरत सफ़र में चली जाए तो यह जायज़ है उनका यह ख़्याल ग़लत है।

जिस आदमी से कभी भी निकाह जायज़ न हो (जैसे बाप, बेटा, पोता, नवासा, दामाद, ससुर, सगा चचा, सगा मामूं, वग़ैरह) उसको मेहरम कहते हैं। ख़ाला (मौसी) मामूं, चचा, और फूफी के लड़के मेहरम नहीं हैं क्योंकि उनसे निकाह दुरुस्त है। इसी तरह बहनोई भी मेहरम नहीं है इसलिए कि अगर वह बहन को तलाक़ दे दे या बहन मर जाय तो बहनोई से निकाह जायज़ हो जाता है। याद रहे कि मेहरम ऐसा हो कि जिस की तरफ़ से बे इत्मीनानी न हो। अगर कोई ऐसा आदमी है कि मेहरम तो है लेकिन उस का किरदार और पाक दामनी दाग़ दार है या उस की तरफ़ से इत्मीनान नहीं है तो उसके साथ सफ़र करना जायज़ नहीं है। चाहे कैसा ही क़रीबी मेहरम हो।

कुछ औरतें ख़्वाह मख़्वाह किसी को बाप या बेटा या भाई बनाकर सफ़र में साथ हो लेती हैं शरीअत में इसकी कोई हैसियत नहीं, मुंह बोला बेटा या बाप या भाई भी मेहरम नहीं हैं, उनके भी वही अहकाम हैं जो अजनबी (पराये) मर्दों के हैं।

उमरे के अहकाम

जो कोई मर्द या औरत उमरा करने के लिए रवाना हो, उसके रास्ते में जो मीक़ात पड़ती हो वहां से उमरे का एहराम बांध ले चाहे किसी भी सवारी से गुज़र रहा हो, अगर अंदेशा हो कि सवारी को ड्राईवर मीक़ात पर न रोकेगा या मीक़ात का पता न चलेगा (जैसे हवाई जहाज़ में गुज़र रहे हों) तो मीक़ात से पहले ही एहराम बांध ले। एहराम का तरीक़ा यह है कि पहले ग़ुस्ल करे, उसके बाद एहराम की दो रक्अत पढ़े। अगर ग़ुस्ल न किया और वुज़ू करके एहराम की दो रक्अतें पढ़ लीं और पानी न होने की सूरत में तयम्मुम कर के एहराम का दो गाना अदा कर लिया तो यह भी दुरुस्त है।

मर्द एहराम के नफ़िल शुरू करने से पहले सिले हुए कपड़े उतार दे एक लुंगी या चादर बांध ले और दूसरी चादर ओढ़ ले, लेकिन नमाज़ की रक्अतें सर ढांक कर पढ़े, फिर एहराम की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर सर खोल कर उमरे की नियत करके तल्बियह पढ़े और औरत मामूल के मुताबिक़ सिले हुए कपड़े पहने रहे और दो रक्अत नमाज़ पढ़कर उमरे की नियत करके

तल्बियह् पढ़ ले।

नियत और तल्बियह् - दो रक्अत एहराम की नमाज़ पढ़ कर इस तरह नियत करे।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ فَیَسِّرْهَا لِیْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ ؕ

अल्लाहुम्-म इन्नी उरीदुल उम-र-त फ़ यस्सिर्हा ली व तक़ब्बल्हा मिन्नी,

तर्जुमा - ऐ अल्लाह ! मैं उमरे का इरादा करता हूं पस तू उसको मेरे लिए आसान फ़रमा और उसको मुझसे क़ुबूल फ़रमा।

नियत ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है दिल में नियत कर लेना ही काफ़ी है। और अरबी में नियत करना भी ज़रूरी नहीं है, उर्दू में या किसी भी ज़बान में नियत कर लेना काफ़ी है, नियत के बाद तल्बियह् पढ़ ले, उसके अल्फ़ाज़ ये हैं :-

لَبَّیْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ لَبَّیْكَ ؕ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ؕ لَا شَرِیْكَ لَكَ ؕ

लब्बै-क अल्लाहुम्-म लब्बै-क, लब्बै-क ला शरी-क ल- क लब्बै-क, इन्नल हम्-द वन्निअ्-म-त ल-क वल मुल्-क, ला शरी-क ल-क,

तर्जुमा - मैं हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं, मैं हाज़िर हूं तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूं। बेशक सारी तारीफ़ और

सारी नेमतें और सारा मुल्क तेरे ही लिए है। तेरा कोई शरीक नहीं।

अगर नमाज़ पढ़ने का मौक़ा न हो (जैसे मकरूह वक़्त हो या नमाज़ पढ़ने की जगह न मिले) तो एहराम की रक्अतें पढ़े बिना ही उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ ले। एहराम के लिए दो रक्अतें पढ़ना सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है।

मर्द हो या औरत जब उमरे की नियत करके तल्बियह् पढ़ ले तो एहराम में दाख़िल हो जाएगा। अगर औरत को माहवारी के दिन हों तो वह नमाज़ पढ़े बिना ही नियत कर के तल्बियह् पढ़ ले, इस तरह वह एहराम में दाख़िल हो जाएगी। लेकिन उस वक़्त तक तवाफ़ शुरू न करे जब तक पाक न हो जाए। अगर माहवारी की हालत में मक्का मुकर्रमा पहुंच गयी और उमरे का एहराम पहले से बांध रखा था तो पाक होने का इंतज़ार करे। जब पाक हो जाए तो ग़ुस्ल करके उमरे का तवाफ़ और सई कर ले और सब काम अंजाम दे। अगर किसी औरत को बच्चे की पैदाईश की वजह से ख़ून आ रहा हो जिसे शरीअत में निफ़ास कहते हैं, इसका भी वही हुक्म है जो माहवारी वाली औरत का है, यानी मीक़ात पर नमाज़ पढ़े बिना ही एहराम बांध ले और मक्का मुअज़्ज़मा पजुंच कर पाक होने का इंतज़ार करे, जब पाक हो जाए तो ग़ुस्ल करके उमरा कर ले।

मसअला - एहराम में दाख़िल होने के लिए नियत करने

के बाद सिर्फ़ एक बार तल्बियह पढ़ना शर्त है और तीन बार पढ़ना मुस्तहब है। तल्बियह के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ कर यूं दुआ मांगे।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ

अल्लाहुम्-म इन्नी अस-अलु-क रिज़ा-क, वल जन्न-त व अऊज़ु बिरह्मति-क मिनन्ना-रि0

तर्जुमा - ऐ अल्लाह मैं आप की रिज़ा और जन्नत का सवाल करता हूं और आप की रहमत के वास्ते से दोज़ख़ के अज़ाब से पनाह चाहता हूं। इसके अलावा और जो चाहे दुआ मांगे।

मस्अला - नियत करने के बाद तल्बियह ज़ोर से पढ़े, लेकिन चीख़ने की ज़रूरत नहीं दर्मियानी आवाज़ से पढ़े, मगर औरत ज़ोर से न पढ़े, बस इतनी आवाज़ निकाले कि अपनी आवाज़ ख़ुद सुन सके।

मस्अला - औरतों के लिए जो सर के लिए ख़ास कपड़ा मशहूर है। जिसके बारे में समझती हैं कि उसके बिना एहराम नहीं बंधता यह ग़लत है, शरीअत में उस कपड़े की कोई हैसियत नहीं, वैसे बालों की हिफ़ाज़त के लिए कोई कपड़ा बांध लिया जाए तो हरज नहीं लेकिन उसको एहराम का हिस्सा समझना और यह अक़ीदा रखना कि उसके बिना एहराम में दाख़िल नहीं हो

सकती ग़लत है, अगर सर पर कपड़ा बांधे तो वुज़ू के लिए उसको हटा कर मसह करे।

एहराम में जो चीज़ें मना हैं

एहराम के बाद एहराम की पाबंदियों का लिहाज़ रखें। यानी एहराम में जो चीज़ें मना हैं उनसे बचें। मर्द ऐसे कपड़े न पहनें जो बदन की साख़्त (बनावट) पर सिले हुए हों, जैसे कुर्ता, पाजामा, बनियान, टोपी, मौज़े, पैंट, हाफ पैंट, चड्डी जांगिया वग़ैरह, और मर्द सर और चेहरा भी न ढांकें और औरतें दस्तूर के मुताबिक़ अपने सिले हुए कपड़े पहने रहें, लेकिन चेहरे पर कपड़ा न लगने दें।

एहराम की हालत में कपड़ों या बदन में खुश्बू लगाना, खुश्बूदार साबुन इस्तेमाल करना, खुश्बूदार तंबाकू खाना मना है। नाख़ून काटना और बदन के किसी हिस्से से बाल काटना या मूंडना यह भी मना है।

खुश्की का शिकार मारना या अपने कपड़े की जुएं मारना या उन्हें अलग करके फेंक देना और टिड्डी मारना भी मना है, और मियां-बीवी वाले खास ताल्लुक़ात (संबंध) और बोसा लेना या बांहों में लेना भी मना है, बल्कि औरतों के सामने ऐसी बातों का ज़िक्र भी जायज़ नहीं। तथा एहराम वाला शख़्स मर्द हो या औरत गुनाह के हर काम से और ख़ास कर लड़ाई झगड़े से बचने का एहतिमाम करे।

मस्अला - जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया गया है औरत एहराम में बदस्तूर सिले हुए कपड़े पहने रहे और सर को भी ढांके रहे, लेकिन चेहरे पर कपड़ा न लगाए और तमाम मम्नूआत (मना की गयी चीज़ों) से परहेज़ करे। ना मेहरमों से पर्दे के लिए चेहरे के सामने इस तरह कपड़ा लटकाए कि कपड़ा चेहरे पर न लगे और ग़ैर मेहरमों की नज़रों से भी हिफ़ाज़त हो जाए।

मस्अला - यह जो औरतों में मशहूर है कि हज या उमरे के सफ़र मे पर्दा नहीं है यह जहालत है। ऐसी औरतें बे पर्दा होकर खुद भी गुनाहगार होती हैं और नज़र डालने वाले मर्दों को भी गुनाहगार बनाती हैं।

मक्का मुकर्रमा का दाख़िला और उमरे की अदाएगी

जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो सामान किसी जगह रख कर जिस से दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए और वुज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर मस्जिदे हराम की तरफ़ रवाना हो जाए, मस्जिदे हराम में दाख़िल होते वक़्त दुरूद शरीफ़ पढ़कर मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ पढ़े, दुआ यह है -

رَبِّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَافْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

रब्बिग़्फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह् ली अब्वा-ब रह्-मति-क.

तुर्जमा - ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा

और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।

मस्जिदे हराम में बा वुज़ू दाख़िल हो और जब काबे शरीफ़ पर नज़र पड़े तो तीन बार "अल्लाहु अक्बर ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहे और दुरूद शरीफ़ पढ़कर जो चाहे दुआ मांगे, उस वक़्त दुआ क़ुबूल होती है। उसके बाद चादर का दाहिना पल्लू दायीं बग़ल के नीचे से निकाल कर दोनों पल्लू बायें कंधे पर डाल ले और दायां कंधा खोल दे, इसको 'इज़्तिबाअ्' कहते हैं। यह सिर्फ़ मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है। मर्द इज़्तिबाअ् के साथ और औरत बिना इज़्तिबाअ् तवाफ़ शुरू करने के लिए काबे शरीफ़ के उस गोशे के क़रीब आये जिसमें हजरे अस्वद है और (इस तरह खड़ा हो कि पूरा हज्रे अस्वद दायीं तरफ़ रहे) यहां खड़े होकर तवाफ़ की नियत इस तरह करे:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَطُوْفَ لِلْعُمْرَةِ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

अल्लाहुम्-म इन्नी उरीदु अन अतू-फ़ लिल उम्-रति तवा-फ़ बैतिकल् हरामि फ़-यस्सिर्हू ली व तक़ब्बलहु मिन्नी0

तर्जुमा - ऐ अल्लाह! मैं उमरे की अदाएगी के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ करने का इरादा करता हूं पस आप इसको क़ुबूल फ़रमाईये। और मेरे लिए आसान फ़रमा दीजिए।

अरबी में न कह सके तो उर्दू में या अपनी किसी दूसरी

मादरी ज़बान में कह ले। अगर ज़बान से बिल्कुल कुछ न कहा और दिल में तवाफ़ की नियत कर ली तब भी तवाफ़ हो जाएगा। नियत के बाद हज्रे अस्वद के इस्तिलाम (चूमने) के लिए दायीं तरफ़ ज़रा सा चले ताकि हज्रे अस्वद बिल्कुल सामने आ जाये और हज्रे अस्वद के सामने खड़े होकर दोनों हाथ कानों तक उठाये जैसे नमाज़ के लिए उठाए जाते हैं, दोनों हथेलियां हज्रे अस्वद की तरफ़ रहें, फिर यह दुआ पढ़े :-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَللهِ الْحَمْدُ ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَوَفَآءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर, ला इला-ह इल्लल्लाहु व लिल्लाहिल हम्दु वस्स-लातु वस्स -लामु अला रसूलिल्ला-हि, अल्लाहुम्-म ईमानम बि-क व वफ़ा-अम बिअह्दि-क व इत्तिबा-अल् लिसुन्नति नबिय्यि-क मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्ल-म0

इसके बाद हाथ छोड़ दे फिर हज्रे अस्वद पर आए और दोनों हाथ हज्रे अस्वद पर रखे फिर दोनों हाथों के दर्मियान मुंह रख कर बोसा दे, अगर भीड़ की वजह से बोसे (चूमने) का मौक़ा न हो तो दोनों हाथ या सीधा हाथ हज्रे अस्वद को लगा

कर चूम ले, यह भी न हो सके तो दोनों हाथ उठाकर हज्रे अस्वद की तरफ़ दोनों हथेलियों से इशारा करे, फिर हथेलियों को बोसा दे। अगर हज्रे अस्वद पर खुश्बू लगी हो तो एहराम वाला बोसा न दे न हाथ लगाए बल्कि आख़िर वाला जो तरीक़ा लिखा है (कि दोनों हथेलियों से इशारा करके हथेलयों को चूम ले।) इसी को इख़्तियार करे।

हज्रे अस्वद के बोसे को इस्तिलाम कहते हैं, इस्तिलाम से पहले तल्बियह् पढ़ना बंद कर दे। इस्तिलाम के बाद मर्द रमल और इज़्तिबाअ़ के साथ और औरत रमल और इज़्तिबाअ़ के बग़ैर तवाफ़ इस तरह शुरू कर दे कि काबे शरीफ़ के दरवाज़े की तरफ़ बढ़े और काबे शरीफ़ को बायीं तरफ़ करके चलना शुरू कर दे। इज़्तिबाअ़ का मतलब तो अभी ऊपर बता दिया है और रमल यह है कि अकड़ता हुआ दोनों मोंढ़े हिलाते हुए तेज़ क़दम उठा कर चले। इज़्तिबाअ़ उमरे के पूरे तवाफ़ में रहेगा और रमल सिर्फ़ शुरू के तीन चक्करों में रहेगा, और रमल और इज़्तिबाअ़ सिर्फ़ मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं हैं।

काबे शरीफ़ के दरवाज़े से आगे बढ़कर हतीम को तवाफ़ में शामिल करते हुए काबे शरीफ़ की पुश्त की तरफ़ से गुज़र कर "रुक्ने यमानी" पर पहुंचे तो उसको दोनों हाथ या सिर्फ़ दायां हाथ लगाऐ बोसा न दे। फिर वहां से आगे बढ़कर हज्रे अस्वद पर आ जाए, हज्रे अस्वद पर आकर फिर उसी तरह

इस्तिलाम करे जैसे तवाफ़ शुरू करते वक़्त इस्तिलाम किया था। यह हज्रे अस्वद से लेकर हज्रे अस्वद तक एक चक्कर हुआ इसी तरह पूरे सात चक्कर करे, हर चक्कर के ख़त्म पर इस्तिलाम करे और इस्तिलाम के वक़्त हर बार तकबीर व तहलील यानी "अल्लाहु अक्बर ला इला -ह इल्लल्लाहु" कहे, जब सात चकर हो जायेंगे तो तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। तवाफ़ के दर्मियान जो चाहे ज़िक्र व दुआ करता रहे, तवाफ़ करते हुए,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ

"सुब्हानल्लाहि वल्-हम्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर्"

पढ़ने की फ़ज़ीलत आई है और रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दर्मियान :

رَبَّنَآ اٰتِنَافِى الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَاعَذَابَ النَّارِ

"रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-न-तंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि०" पढ़ना साबित है। तवाफ़ जिस क़दर भी काबे शरीफ़ के क़रीब हो बेहतर है, तवाफ़ से फ़ारिग़ हो कर "मक़ामे इब्राहीम" के पीछे दो रक्अत नमाज़े तवाफ़ अदा करे, मक़ामे इब्राहीम के पीछे मौक़ा न हो तो मस्जिदे हराम में जहां मौक़ा मिले वहां पढ़ ले, इन दो रक्अतों में सूरः

फ़ातिहा के बाद पहली रक्अत में सूरः "क़ुल या अय्युहल काफ़िरून" और दूसरी रक्अत में सूरः "क़ुल हुवल्लाहु अहद" पढ़ना सुन्नत है। दोगाना तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करके "सफ़ा मर्वा" की सई के लिए रवाना हो जाए, सई सफ़ा से शुरू होती है। जब सफ़ा के क़रीब पहुंच जाए तो उमरे की सई की नियत करके क़ुरआने करीम की यह आयत पढ़े :

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

"इन्नस्-सफ़ा वल् मर्व-त मिन शआ-इ रिल्लाहि"

तर्जुमा - बेशक सफ़ा और मर्वा अल्लाह की निशानियों में से हैं।

इसके बाद यूं कहे "अब्दअु मिबा ब-द अल्लाहु बिही" (जिस का मतलब यह है कि सफ़ा से शुरू करता हूं जैसा कि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में सफ़ा मर्वा का ज़िक्र करते हुए पहले सफ़ा का ज़िक्र फ़रमाया है।) सफ़ा पर इतना चढ़े कि काबा शरीफ़ नज़र आने लगे, आज कल थोड़ा सा चढ़ने के बाद मस्जिदे हराम के कई दरवाज़ों से काबा शरीफ़ नज़र आ जाता है, उसके बाद काबे शरीफ़ की तरफ़ रुख़ कर के अल्लाह की तौहीद और उसकी बड़ाई ब्यान करे और यह पढ़े :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ، اَنْجَزَ وَعْدَهٗ، وَنَصَرَ عَبْدَهٗ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ وَ اَدْ خِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَ بْرَارِ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۝

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर, ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू, अन्-ज-ज़ वअ्-दहू , व न-स-र अब्द-हू व ह-ज़मल अह्ज़ा-ब वह्-दहू।

तर्जुमा - अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह तंहा है, उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वह तंहा है, उसने अपना वायदा पूरा फ़रमाया और अपने बंदे की मदद फ़रमाई और दुश्मनों की जमाअतों को अकेले हराया।

उसके बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ कर जो चाहे दुआ मांगे और तीन बार यह पूरा अमल करे फ़िर सफ़ा से उतरे और मर्वा की तरफ़ ज़िक्र करता हुआ चले, यहां तक कि हरे रंग का सतून छः हाथ के फ़ासले पर रह जाए तो दौड़ना शुरू कर दे और दसूरे हरे सतून तक दौड़ता हुआ गुज़र जाए (यह दौड़ना मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है।) और सतूनों के बीच दौड़ते हुए यह दुआ पढ़ना मंक़ूल है।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ۝

"अल्लाहुम्-मग़्फ़िर वर्हम अन्तल् अ-अज़्ज़ुल अक्र-मु"

तर्जुमा - ऐ अल्लाह! मग़्फ़िरत फ़रमा और रहम फ़रमा तू बहुत बड़ा इज़्ज़त वाला और बहुत बड़ा करीम है।

फिर दूसरे हरे सतून पर पहुंच कर दौड़ना बंद कर दे और अपनी रफ़्तार पर चले और अल्लाह ताआला का ज़िक्र करता रहे, जब मर्वा पर पहुंच जाए तो वहां भी अल्लाह तआला की तौहीद व तक्बीर ब्यान करे और चौथा कलिमा और उसके बाद वाली दुआ पढ़े जो सफ़ा के बयान में ज़िक्र हुई और दुरूद शरीफ़ पढ़कर हाथ उठा कर जो चाहे दुआ करे और तीन बार यह अमल करे। मर्वा पहुंच कर एक चक्कर हो गया। मर्वा पर ज़िक्र व दुआ करके सफ़ा की तरफ़ को चले और जब हरा सतून आ जाए तो दौड़ना शुरू कर दे और अगले सतून से आगे बढ़कर छः हाथ के फ़ासले पर पहुंच जाए तो दौड़ना ख़त्म कर दे और अपनी आदत के मुताबिक़ चले, और जब सफ़ा पर पहुंच जाए तो थोड़ा सा ऊपर चढ़े और ज़िक्र और दुआ करे, अब दो चक्कर हो गए, इसी तरह सात चक्कर कर के सई ख़त्म कर दे जो सफ़ा से शुरू होकर मर्वा पर ख़त्म होगी। कुछ लोग सफ़ा मर्वा के बीच चौदह बार आने जाने को मुकम्मल सई समझते हैं। यह ग़लत है सिर्फ़ सात बार इन दोनों के दर्मियान गुज़र जाने से सई मुकम्मल हो जाती है, सई के दर्मियान ख़ूब एहतमाम से अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल रहे, बेकार बातों से बचे। सफ़ा मर्वा के

दर्मियान सात चक्कर पूरे करने के बाद मर्वा पर पूरे सर को मुंडाए या पूरे सर के बाल उंगली के एक पोरे के बराबर कतरवा दे, सर मुंडाने को "हल्क़" और बाल कतरवाने को "क़स्र" कहते हैं और हल्क़, क़स्र से अफ़ज़ल है। लेकिन औरत के लिए सर मुंडाना हराम है, वह पूरे सर के बाल एक पोरे के बराबर कटा दे। एहराम से निकलने के लिए कम से कम चौथाई सर का हल्क़ या क़स्र लाजिम है और पूरे सर का हल्क़ या क़स्र सुन्नत है, और क़स्र भी वो मोतबर है जिसमें एक पोरे के बराबर बाल कट जाएं। अगर बाल इतने छोटे हों कि एक पोरे के बराबर न कट सकते हों तो हल्क़ ही करना लाज़िम है। उमरे की सई के बाद जब हल्क़ या क़स्र कर लिया तो उमरे के अफ़आल पूरे हो गए और एहराम से निकल गया। सिले हुए कपड़े पहनना, खुश्बू लगाना और वे सब काम दुरुस्त हो गए जो एहराम की वजह से मना थे।

तंबीह - बहुत से लोग चन्द (कुछ) बाल ऊपर से कटवा कर सिले हुए कपड़े पहन लेते हैं और यह समझते हैं कि एहराम से निकल गये, यह सही नहीं। चौथाई सर के बाल मूंडे जाएं या चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर काटे जायें इस के बिना एहराम से न निकलेगा और चूंकि ऐसे शख़्स का एहराम बदस्तूर बाक़ी रहेगा इसलिए सिले हुए कपड़े पहन लेना या खुश्बू लगाना या सर के अलावा किसी और जगह के बाल मूंडना या काटना जायज़ न होगा। अगर कोई आदमी कुछ बाल काट कर

कपड़े पहनने की ग़लती करे तो जल्द से जल्द सर मुंडा दे या कम से कम चौथाई सर के बालों का एक पोरे के बराबर क़स्र करा दे और जो जिनायात हुई हैं उनके बारे में आलिमों से मालूम करके अमल करे, ख़्याल रहे कि हल्क़ या क़स्र हरम की हदों में होना वाजिब है अगर हरम से बाहर हल्क़ या क़स्र किया तो दम वाजिब होगा, बहुत से हिन्दुस्तानी, पाकिस्तानी या बंगला देशी जो हरमैन शरीफ़ैन या इनके अलावा अरब के दूसरे इलाक़ों में रहते हैं, कसरत से उमरे करते हैं, लेकिन उनके दिलों में शरीअत से ज़्यादा बालों की मुहब्बत बसी हुई होती है, सर मुंडवाना तो क्या चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर कटवाना भी गवारा नहीं करते, हालांकि हज व उमरा तो इश्क़ के मुज़ाहरे की चीज़ है, अल्लाह के क़ानून के बढ़कर बालों की मुहब्बत कैसी अफ़सोस नाक है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हैं, जैसे जद्दा, बहरा, हिद्दा, जमूम अरफ़ात वग़ैरह के रहने वाले ये लोग बिना एहराम के मक्का मुकर्रमा और हरम की हदों में दाख़िल हो सकते हैं। ये लोग अगर बालों की क़ुरबानी न दे सकें तो उमरे का एहराम न बांधें और मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच कर जिस क़दर भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें, तवाफ़ के लिए बा वुज़ू होना शर्त है और तवाफ़ का सवाब भी बहुत है। उमरे में जो घंटा सवा घंटा ख़र्च होता है ये लोग उस को तवाफ़ ही में ख़र्च करें। यह इससे कहीं बेहतर है कि उमरे का एहराम बांधें फिर उमरा

कर के बालों को शरीअत के मुताबिक़ न काटें। लेकिन जो लोग किसी भी मीक़ात से बाहर रहते हैं जैसे मदीना मुनव्वरा, ताईफ़ या रियाज़ वग़ैरह ये लोग बिना एहराम के हरम की हदों में दाख़िल नहीं हो सकते। चाहे किसी दुनियावी ज़रूरत से आयें। ये लोग उमरे का एहराम बांध कर शरीअत के मुताबिक़ उमरा पूरा करें और सही तरीक़े पर हल्क़ या क़स्र कराके एहराम से निकलें।

मस्अला - उमरे में तवाफ़े क़ुदूम और तवाफ़े विदा नहीं है। उमरे का एहराम बांधकर मस्जिदे हराम में दाख़िल होकर जो पहला तवाफ़ किया जाएगा वह उमरे का ही तवाफ़ होगा।

तन्ओ़ीम और जुअ़्राना से उमरे का एहराम बांधना

जो शख़्स (व्यक्ति) मक्का मुअज़्ज़मा या हरम की हदों में किसी भी जगह हो अगर उस को उमरा करना हो तो वाजिब है कि "हिल" से एहराम बांधे। हिल उस ज़मीन को कहा जाता है जो हरम की हदों से बाहर और मीक़ात के अंदर है। मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ़ हरम है और उसकी मसाफ़तें (दूरियां) मुख़्तलिफ़ (अलग अलग) हैं। किसी तरफ़ से दस मील तक और किसी तरफ़ से नौ मील तक और किसी तरफ़ से सात मील तक हरम है और मक्का मुकर्रमा से मदीने पाक को आयें तो मक़ाम "तन्ओ़ीम" पर हरम ख़त्म होता है। (पुरानी किताबों में मक्का मुकर्रमा से तन्ओ़ीम की दूरी तीन मील लिखी है, लेकिन तन्ओ़ीम तक मक्का मुअज़्ज़मा की आबादी मुसलसल चली गयी है) हर

जानिब जहां हरम की हद ख़त्म है निशानात बने हुए हैं। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आइशा रज़ि0 को उनके भाई अब्दुर रहमान बिन अबु बक्र रज़ि0 के साथ उमरा करने के लिए भेजा था वे हरम की हदों से बाहर यानी मक़ामे तन्ईम पर आयीं और यहां से एहराम बांध कर उमरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंतज़ार करते रहे, जब उमरे से फ़ारिग़ होकर हज़रत आइशा रज़ि0 हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पहुंच गयीं तो आपने मदीना मुनव्वरा की वापसी के लिए सफ़र शुरू फ़रमा दिया। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तन्ईम से हज़रत आइशा को एहराम बांधने के लिए इर्शाद फ़रमाया था, और यह जगह दूरी के ऐतबार से क़रीब भी है। इसलिए मक्का मुअज़्ज़मा से उमरा करने वाले आम तौर पर यहीं आकर एहराम बांधते हैं। यहां एक मस्जिद बनी हुई है जिसको मस्जिदे आइशा कहते हैं।

जुअ़राना मक्का मुकर्रमा से नौ मील है, यह भी हरम की हद से बाहर है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताईफ़ की तरफ़ से आते हुए यहां से एहराम बांध कर उमरा अदा फ़रमाया था, मक्का मुकर्रमा में हरम से बाहर ही तन्ईम और जुअराना दोनों जगहों के लिए सवारियां मिलती हैं। तन्ईम से एहराम बांधकर आयें तो उर्फ़े आम में इसको छोटा उमरा कहते हैं और जुअ़राना से एहराम बांधकर आयें तो उसे बड़ा उमरा कहते हैं। (क्योंकि दूर की मसाफ़त पर जाकर एहराम बाधतें हैं।) अगर

कोई आदमी मक्का मुकर्रमा से जद्दा की तरफ़ "हुदैबियह्" चला जाए, जिसे आज कल शमसिय: कहते हैं और वहां जो हरम के निशानात बने हुए हैं उनसे बाहर हो कर एहराम बांध कर आ जाये तो यह भी दुरुस्त है (हुदैबियह् बह्र: के रास्ते में है, मक्का से जद्दा को जाने वाले नये रोड पर नहीं है।))।

बहुत से लोग बार बार तनओ़ीम जाकर एहराम बांधते हैं और कभी रोज़ाना और कभी एक दिन में एक से ज़्यादा उमरे कर लेते हैं, कसरत से उमरा करना मना तो नहीं है बल्कि मुस्तहब है, लेकिन तवाफ़ ज़्यादा करना, ज़्यादा उमरे करने से अफ़ज़ल है। तनओ़ीम जाकर एहराम बांधने और वापस आकर उमरा करने में जितना वक़्त ख़र्च होता है उतने वक़्त में दस बारह तवाफ़ हो सकते हैं, कसरते तवाफ़ का एहतमाम ज़्यादा होना चाहिए।

फ़ायदा - बहुत से लोगों को देखा गया है कि हज व उमरे की सई के अलावा सफ़ा मर्वा की सई करते हैं और इसमें सवाब समझते हैं, यह ग़लत है। इसमें कोई सवाब नहीं, और नफ़ली सई शरीअत में साबित नहीं है। बे-फ़ायदा जान को थकाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि जो सई शरीअत में साबित नहीं है उसमें वक़्त ख़र्च न करें, उसके बजाए तवाफ़ की कसरत (ज़्यादती) करके सवाब से मालामाल हों।

तंबीह - जितनी बार भी उमरा करें हर बार पूरे सर पर

उस्तरा फिरवा दें। एहराम से निकलने के लिए जो हल्क़ किया जाता है उसमें सर पर बाल होना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को देखा गया है कि एक उमरा करके चौथाई सर मुंडाते हैं, फिर अगले उमरे के बाद चौथाई सर मुंडवा देते हैं फिर तीसरे उमरे के बाद चौथाई सर मुंडा देते हैं, फिर चौथे उमरे के बाद बाक़ी चौथाई सर मुंडवा देते हैं, ऐसा करना मक्रूह है। हदीस शरीफ़ में इसकी मुमानअत (मनाही) आई है। हर मर्तबा पूरा सर मुंडा कर अफ़ज़लियत पर अमल करना चाहिए। इस मक्रूह अमल के करने की क्या ज़रूरत है कि सर के चार हिस्से किये जायें और हर बार चौथाई सर मूंडा जाए और चौथाई सर का हल्क़ या क़स्र करने पर बस करना मक्रूह भी है।

तंबीह - बहुत से लोग एक उमरा करके चंद (कुछ थोड़े से) बाल काटकर दूसरे उमरे का एहराम बांध लेते हैं और चूंकि अभी पहले उमरे के एहराम से नहीं निकले इसलिए उमरे पर उमरे का एहराम बांधने की वजह से दम वाजिब हो जाता है। ख़ूब समझ लें।

★★★

जिनायात का बयान

एहराम में जो चीज़ें मना हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी पर जज़ा की तफ़्सीलात

जिनायात जमा है जिनायत की, एहराम की पाबंदियों की ख़िलाफ़ वर्ज़ियों (उल्लंघनों) को जिनायत कहते हैं। और जिनायत पर जो कुछ वाजिब होता है उसको जज़ा कहते हैं।

एहराम की जिनायात आठ हैं जो हज और उमरे दोनों के एहराम में मना हैं।

1 - ख़ुश्बू इस्तेमाल करना।

2 - मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना।

3 - मर्द को सर और चेहरा ढांकना और औरत को सिर्फ़ चेहरा ढांकना।

4 - बाल दूर करना।

5 - नाख़ून काटना।

6 - मियां-बीवी वाले ख़ास ताल्लुक़ात (संबंध) क़ायम करना।

7 - वाजिबात में से किसी को छोड़ देना।

8 - खुश्की के जानवर का शिकार करना।

मस्अला - जिनायत जान बूझ कर करे या भूल व ग़लती से, मस्अला जानता हो या न जानता हो, खुशी से करे या किसी की ज़बरदस्ती से, सोते में करे या जागते में, नशे में हो या बेहोश, मालदर हो या ग़रीब, खुद करे या किसी के कहने से, माज़ूर हो या ग़ैर माज़ूर सब सूरतों में जज़ा वाजिब होगी।

मस्अला - जिनायत जान बूझ कर करना सख़्त गुनाह है, अगर जिनायत हो जाए तो तौबा भी करे और जज़ा भी दे। जान बूझ कर जिनायत का अमल करने से हज मबरूर नहीं होता। बहुत से लोग पैसे के गुमान में जान बूझ कर जिनायत करते हैं और कह देते हैं कि दम दे देंगे। यह गुनाह की बात है हज के मबरूर व मक़बूल होने के लिए हर गुनाह से और एहराम की जिनायत से सख़्ती के साथ बचें।

क़ायदा - एहराम की जिनायत में "क़ारिन" पर दो जज़ायें वाजिब होती हैं क्योंकि उसके दो एहराम होते हैं। और "मुफ़्रिद" पर एक जज़ा वाजिब होती है, लेकिन अगर क़ारिन मीक़ात से बिना एहराम के गुज़र जाए तो सिर्फ़ एक ही दम वाजिब होगा।

क़ायदा - जिंस जगह जज़ा में (सिर्फ़) 'दम' बोला जाए उससे मुराद एक साल की बकरी या भेड़ या दुंबा होता है, और

गाय और ऊंट का सातवां हिस्सा भी इस के क़ायम मक़ाम हो सकता है। और दम में क़ुरबानी के जानवर की तमाम शर्तों का ऐतबार करना लाज़िम है।

क़ायदा - सालिम (पूरा) ऊंट या सालिम गाय सिर्फ़ दो जगह वाजिब होती है, एक तो जनाबत (नापाकी) या महावारी या ज़चगी की हालत में तवाफ़े ज़ियारत करना, दूसरे "वुक़ूफ़े अरफ़ा" के बाद तवाफ़े ज़ियारत और सर मुंडवाने से पहले हमबिस्तरी यानी सोहबत करना।

क़ायदा - जिस जगह मुतलक (आम) सदक़ा बोला जाए उससे आधा "साअ़" गेहूं या एक "साअ़" जौ मुराद होता है, और जिस जगह सदक़े की मिक़दार मुक़र्रर कर दी जाए उससे ख़ास वही मिक़दार मुराद होती है। "साअ़" अस्सी रुपये के सेर से कुछ ऊपर साढ़े तीन सेर का होता है।

सदक़े में गेहूं या गेहूं के आटे से आधा "साअ़" (यानी पौने दो सेर आधी छटांक अंग्रेज़ी सेर से) दिया जाए और जौ या जौ का आटा, खजूर, किशमिश से पूरा एक "साअ़" दिया जाए, और सदक़े की जो मिक़दार बताई है उसकी क़ीमत देना भी जायज़ बल्कि अफ़ज़ल है। अब सेर का रिवाज छूट गया है पौने दो किलो के लगभग आधा साअ़ होता है उसकी क़ीमत देने से अदाएगी हो जायेगी।

क़ायदा - जिस जगह मुताय्यन तौर पर दम वाजिब हो उस जगह दम के बदले खाना और रोज़े जायज़ न होंगे।

क़ायदा - किसी जिनायत की वजह से जो दम वाजिब होगा वह हरम की हदों ही में ज़िब्ह करना लाज़िम है और जो सदक़ा वाजिब हो उसकी अदाएगी के लिए हरम की हदों की शर्त नहीं है। दूसरी जगह के फ़क़ीरों को भी दिया जा सकता है।

क़ायदा - जिनायत के दम में से खुद खाना जायज़ नहीं है और मालदार यानी साहिबे निसाब भी उसमें से नहीं खा सकता। ग़ैर साहिबे निसाब जिसे ज़कात देना जायज़ हो वह खाना खा सकता है। जिनायत की वजह से जो दम या सदक़ा वाजिब हो फ़ौरन अदा करना वाजिब नहीं है, लेकिन जल्दी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ज़िन्दगी का कोई भरोसा नहीं है।

हज के वाजिबात में से किसी वाजिब को छोड़ देना

मसअला - अगर पूरा या ज़्यादा तर तवाफ़ बे वुज़ू किया तो दम वाजिब होगा और अगर तवाफ़े क़ुदूम या तवाफ़े विदा या तवाफ़े नफ़्ल या आधे से कम तवाफ़ बिना वुज़ू किया तो हर फेरे के लिए आधा साअ् गेहूं सदक़ा दे, और अगर तमाम फेरों का सदक़ा दम के बराबर हो जाये तो कुछ थोड़ा सा कम कर दे, और अगर इन तमाम सूरतों में वुज़ू करके तवाफ़ दोबारा

कर लिया तो कफ़्फ़ारा और दम सर से उतर जाएगा।

मस्अला - अगर पूरा या ज़्यादा तर तवाफ़े ज़ियारत जनाबत (नापाकी) या माहवारी व ज़चगी की हालत में किया तो "बुद्न" यानी एक ऊंट सालिम या एक गाय सालिम वाजिब होगी, और अगर तवाफ़े क़ुदूम या तवाफ़े विदा या तवाफ़े नफ़्ल इन हालतों में किया तो एक बकरी वाजिब होगी, और इन सब सूरतों में तहारत (पाकी) के साथ लौटा लेने से कफ़्फ़ारा ख़त्म हो जाएगा।

मस्अला - अगर तवाफ़े ज़ियारत के चार चक्कर या पूरा तवाफ़ छोड़ दिया तो सारी उम्र औरत हलाल न होगी और औरत के बारे में एहराम बाक़ी रहेगा, और मक्का मुकर्रमा वापस आकर तवाफ़ करना लाज़िम होगा, कोई बदल देना काफ़ी न होगा, जब तवाफ़े ज़ियारत कर लेगा तो औरत हलाल होगी। और अगर तवाफ़े ज़ियारत से पहले सोहबत कर लेगा तो हर (बार) सोहबत के बदले मज्लिस अलग होने की सूरत में एक एक दम वाजिब होगा, और बारह (12) ज़िलहिज्जा से तवाफ़े ज़ियारत मुअख़्ख़र (देर) करने की सूरत में एक दम वाजिब होगा और अगर तवाफ़े ज़ियारत के एक या दो या तीन चक्कर छोड़ दे तो दम वाजिब होगा।

मस्अला - अगर तवाफ़े क़ुदूम या तवाफ़े विदा का एक चक्कर य दो तीन चक्कर छोड़ दिये तो हर चक्कर के बदले

पूरा पूरा सदक़ा वाजिब होगा, और अगर चार चक्कर या ज़्यादा छोड़ दिए तो दम वाजिब होगा, और तवाफ़े क़ुदूम बिल्कुल छोड़ने की वजह से कुछ वाजिब न होगा लेकिन छोड़ना मकरूह और बुरा है।

मस्अला - जो आदमी तवाफ़े विदा छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हो गया जब तक मीक़ात से न निकला हो उस पर वाजिब है कि वापस आकर तवाफ़े विदा करे और इस सूरत में एहराम बांधकर आने की ज़रूरत नहीं, और अगर मीक़ात से बाहर चला गया तो इख़्तियार है कि दम भेज दे या उमरे का एहराम बांधकर आये। पहले उमरा अदा करे उसके बाद तवाफ़े विदा करे फिर वापस चला जाए।

मस्अला - जिस औरत को माहवारी आ गयी हो वह तवाफ़े विदा छोड़कर जा सकती है इससे दम वाजिब न होगा। लेकिन अगर मक्का मुकर्रमा की आबादी से निकलने से पहले पाक हो जाए तो वापस आकर तवाफ़े विदा करना वाजिब है।

मस्अला - उमरे का तवाफ़ पूरा या ज़्यादातर या थोड़ा हिस्सा (अगरचे एक ही चक्कर हो) अगर जनाबत (नापाकी) या माहवारी व ज़चगी की हालत में बे वुज़ू किया तो दम वाजिब होगा, क्योंकि उमरे के तवाफ़ में "ह-दसे अस्ग़र" और जनाबत और कम या ज़्यादा के अहकाम में कुछ फ़र्क़ नहीं।

मस्अला - अगर बदन या कपड़े पर फ़र्ज़ या वाजिब या

नफ़िल तवाफ़ करते वक़्त नजासत (गंदगी) लगी हुई हो तो कुछ वाजिब न होगा, लेकिन ऐसा करना मकरूह है।

मस्अला – अगर पूरी सई या सई के ज़्यादातर चक्कर बिना किसी उज़्र के छोड़ दिए या बिना किसी मजबूरी के सवार होकर किये तो हज हो गया लेकिन दम वाजिब होगा और पैदल दोबारा लौटाने से दम ख़त्म हो जाएगा, और अगर किसी उज़्र की वजह से सवार होकर सई की तो कुछ वाजिब न होगा, और अगर बिना किसी उज़्र के एक या दो या तीन चक्कर सई के छोड़ दिए या सवार होकर किये तो हर चक्कर के बदले सदक़ा लाज़िम होगा।

मस्अला – अगर अरफ़ात से सूरज छुपने से पहले निकल गया तो दम वाजिब होगा लेकिन अगर सूरज ग़ुरूब होने से पहले अरफ़ात में वापस आ गया तो दम ख़त्म हो जाएगा। और अगर सूरज छुपने के बाद वापस आया तो दम ज़िम्मे से न उतरेगा।

मस्अला – मुज़्दलिफ़ा में नवीं और दसवीं तारीख़ की दर्मियानी रात गुज़ारना सुन्नत है और सुबह सादिक़ हो जाने के बाद मुज़्दलिफ़ा में थोड़ी सी देर रहना वाजिब है। अगर कोई शख़्स रात ही में अरफ़ात से सीधा मिना को चला गया तो सुन्नत और वाजिब दोनों का छोड़ना लाज़िम आएगा और अगर रात को मुज़्दलिफ़ा में रह कर सुबह सादिक़ से पहले मिना चला जाए तो वाजिब का छोड़ना लाज़िम आयेगा। दोनों सूरतों में वाजिब के

छोड़ने की वजह से दम वाजिब होगा। बहुत से लोग मुज़्दलिफ़े की रात में सुबह सादिक़ होने से घंटा दो घंटा पहले ही फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर मिना के लिए रवाना हो जाते हैं। इन लोगों पर फ़ज्र की नमाज़ छोड़ने का गुनाह भी होता है। (क्योंकि वक़्त से पहले नमाज़ नहीं होती) और सुबह सादिक़ के बाद वुक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा छोड़ देने की वजह से दम भी वाजिब होता है।

मस्अला - अगर चारों दिन की रमी बिल्कुल छोड़ दे या एक दिन की सारी रमी छोड़ दे (अगर चे दसवीं तारीख़ ही की हो) या ज़्यादातर कंकरियां एक दिन की रमी की छोड़ दे जैसे दसवीं की रमी से चार कंकरियां या ग्यारह, बारह, तेरह की रमी से ग्यारह कंकरियां छोड़ दे तो इन सब सूरतों में एक दम वाजिब होगा, और अगर एक दिन की रमी से थोड़ी कंकरियां छोड़ दे जैसे तीन कंकरियां या इससे कम दसवीं को और दस या इससे कम दूसरे दिनों में छोड़ दे तो हर कंकरी के बदले पूरा सदक़ा वाजिब होगा, लेकिन अगर मज़्मूआ एक "दम" के बराबर हो जाए तो कुछ कम कर दे।

तंबीह - जो शख़्स ऐसा मरीज़ हो कि खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता या चलने से माज़ूर हो जिसके लिए सवारी या किसी ऐसे आदमी का इंतज़ाम नहीं हो सकता जो उसे उठा कर ले जाए और रमी करा दे, तो ऐसे आदमी की तरफ़ से नयाबत के तौर पर रमी की जा सकती है। बहुत से लोग भीड़ देखकर

अपनी आसानी के लिए या जल्दी सफ़र करने की वजह से रमी करने के लिए दूसरों को नायब बना देते हैं, और इसी तरह यह रिवाज हो गया है कि औरतों की तरफ़ से मर्द ही रमी कर देते हैं, हालांकि औरत मरीज़ या अपाहिज नहीं होती। इन सब सूरतों में जिस की तरफ़ से नायब बन कर रमी की गयी उस पर दम वाजिब होगा। दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं की रमी आने वाली सुबह सादिक़ तक हो सकती है। औरतें और ज़ईफ़ (बूढ़े व कमज़ोर) लोग और भीड़ से घबराने वाले रात को रमी कर लें। रमी हरगिज़ न छोड़ें। जिसको नायब बनाना जायज़ नहीं वह अगर नायब बना देगा और खुद रमी न करेगा तो यह रमी को छोड़ने के हुक्म में होगा जिससे दम वाजिब होगा।

फ़ायदा - अगर तेरहवीं तारीख़ की सुबह सादिक़ होने से पहले मिना की हदों से निकल जाए तो तेरहवीं की रमी वाजिब नहीं होती उसका छोड़ देना जायज़ है। मगर बारहवीं का सूरज छुपने के बाद तेरहवीं की रमी किये बिना मिना से चला जाना मक्रूह है।

मसअ्ला : जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया गया दसवीं की रमी सुबह सादिक़ तक जायज़ है अगर कोई शख़्स इस पर अमल करे तो "मुफ़्रिद" को इससे पहले हल्क़ जायज़ न होगा और "मुतमत्तेअ्" और "क़ारिन" को इससे पहले ज़िब्ह और हल्क़ जायज़ न होगा। उन का एहराम से निकलना मुअख़्ख़र हो

जाएगा, लेकिन चूंकि तवाफ़े ज़ियारत और इन चीज़ों में तर्तीब वाजिब नहीं है इसलिए अगर तवाफ़े ज़ियारत रमी, हल्क़ और ज़िब्ह से पहले कर लेंगे तो कुछ वाजिब न होगा।

सिला हुआ कपड़ा पहनना - मर्द के लिए एहराम में जो सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है उससे मुराद हर वह सिला हुआ कपड़ा है जो पूरे बदन की साख़्त (बनावट) या किसी उज़्व (हिस्से) की साख़्त (बनावट) पर बनया गया हो, चाहे सिलाई के ज़रीए से यह सूरत पैदा हो या किसी चीज़ से चिपका कर या बुनाई के ज़रीए या और किसी तरीक़े से।

मस्अला - एहराम की हालत में कुर्ता, पाजामा, अच्कन, सदरी, बनियान, पेंट, हाफ़ पेंट, चड्डी ये सब मर्द के लिए पहनना मना है।

मस्अला - मर्द ने एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा इसी तरह पहना जिस तरह उसको आम तौर से पहना जाता है तो अगर एक दिन या एक रात कामिल पहना है तो दम वाजिब होगा और इससे कम में अगर एक घंटा पहना हो तो आधा "साअ्" सदक़ा वाजिब होगा, और एक घंटे से कम पहना हो तो एक मुट्ठी गेहूं सदक़ा दे दे, और अगर एक रोज़ से ज़्यादा पहने रहा तब भी एक ही दम है अगरचे कई दिन पहने रहा हो।

फ़ायदा - एक दिन या एक रात से मुराद एक दिन या

रात की मिक़दार है। चाहे पूरा दिन या पूरी रात न हो, जैसे किसी ने आधे दिन से आधी रात तक या आधी रात से आधे दिन तक पहना तब भी दम वाजिब होगा। खुश्बू के बयान में जो एक दिन एक रात का ज़िक्र आ रहा है उससे भी यही मुराद है।

मस्अला - सारा दिन या सारी रात कपड़ा पहन कर "दम" दे दिया और कपड़ा निकाला नहीं बल्कि पहने ही रहा तो दूसरा दम देना होगा, और अगर दम नहीं दिया और कई दिन पहन कर निकाला तो एक ही दम वाजिब होगा।

मस्अला - सिला हुआ कपड़ा पहन कर एहराम बांधा और एक दिन या एक रात पहने रहा तो दम वाजिब है और इससे कम में सदक़ा वाजिब है।

मस्अला - अगर कुरते को चादर की तरह लपेट लिया या लुंगी की तरह बांध लिया या चादर की तरह शलवार को लपेट लिया तो कुछ वाजिब न होगा। सिले हुए कपड़े पहनने का जो तरीक़ा है उस तरह पहनने से जज़ा वाजिब होती है।

मस्अला - चोग़ा या क़िबा मूंढों पर डाल ली और बटन नहीं लगाये और न हाथ आस्तीनों में डाले तो कुछ वाजिब न होगा, लेकिन इस तरह पहनना मक्रूह है। और अगर बटन लगा लिये या हाथ आस्तीनों में डाल लिये तो एक दिन या एक रात पहनने की सूरत में दम और इससे कम में सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - चादर को रस्सी वग़ैरह से बांधने से कुछ वाजिब न होगा लेकिन ऐसा करना मक्रूह है। चादर या लुंगी अगर दर्मियान से सिली हुई हो तो जायज़ है।

मस्अला - पास पोर्ट या रक़म की हिफ़ाज़त के लिए एहराम की चादर पर पेटी बांधना जायज़ है।

मस्अला - एहराम में कंबल, लिहाफ़, गर्म चादर इस्तेमाल करना जायज़ है।

मस्अला - अगर एक मुह्रिम ने दूसरे मुह्रिम को कपड़ा पहना दिया तो पहनाने वाले पर जज़ा नहीं लेकिन उस को गुनाह होगा और पहनने वाले पर जज़ा वाजिब होगी।

मस्अला - औरत को चूंकि सिला हुआ कपड़ा पहनना एहराम में जायज़ है इसलिए उसके पहनने से उस पर कुछ वाजिब नहीं होता।

मस्अला - मर्द को मोज़े या बूट जूता पहनना एहराम में मना है, अगर हवाई चप्पल न हो तो बूट और मौज़ों को बीच की उभरी हुई हड्डी के नीचे से काटकर चप्पल की तरह पहनना जायज़ है। ऐसा करने से कोई जज़ा वाजिब न होगी, अगर बिना काटे ऐसा जूता या मोज़ा पहना जो बीच क़दम की हड्डी तक को ढांप ले तो एक दिन या एक रात पहनने से दम वाजिब होगा और इससे कम में सदक़ा वाजिब होगा।

सर और चेहरे को ढांकना

मसअला - मर्द को एहराम में सर और चेहरा दोनों ढांकना मना है और औरत के लिए सिर्फ़ चेहरा ढांकना मना है। तो अगर मर्द ने एहराम की हालत में सारा सर या सारा चेहरा या चौथाई सर या चौथाई चेहरा किसी ऐसी चीज़ से ढ़ांका जिससे आदत के मुताबिक़ ढांकते हैं जैसे अमामा, टोपी, या और कोई सिला हुआ कपड़ा हो या बिना सिला, सोते में या जागते में, जान बूझ कर हो या भूल कर, राज़ी से हो या ज़बरदस्ती से, खुद ढ़ांका हो या किसी दूसरे ने ढांक दिया हो, उज़्र से हो या बिना उज़्र के हर सूरत में जज़ा वाजिब होगी। मर्द ने अगर एक दिन या एक रात कामिल के बराबर या इससे ज़्यादा सर या चेहरा या इनका चौथाई हिस्सा ढांका या औरत ने पूरा या चौथाई चेहरा ढ़ांका तो एक दम वाजिब होगा, और अगर चौथाई हिस्से से कम ढ़ांका या एक दिन या एक रात से कम ढ़ांका तो सदक़ा वाजिब होगा।

मसअला - अगर सर को किसी ऐसी चीज़ से छुपाया कि आदत और मामूल उससे छुपाने का नहीं है (जैसे टोकरा, पत्थर, ढेला, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, लकड़ी, शीशा, तश्त, प्याला वग़ैरह) तो इससे कुछ वाजिब न होगा, पूरा सर और चेहरा छुपाया हो या इससे कम।

बाल मूंडना या कतरना

मस्अला - मुहरिम (एहराम वाले) ने अगर चौथाई सर या चौथाई दाढ़ी या इससे ज़्यादा के बाल एहराम खोलने के वक़्त से पहले दूर किये या दूर कराये तो दम वाजिब होगा और इससे कम में सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - औरत ने अगर हलाल होने के वक़्त से पहले एक उंगल के बराबर चौथाई सर या इससे ज़्यादा के बाल कतरवाए तो दम वाजिब होगा और चौथाई से कम में सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - तमाम गर्दन या एक पूरी बग़ल या नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करने से दम वाजिब होगा और इससे कम में सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - तमाम सीना या तमाम रान या सारी पिंडली के बाल मूंडे या दोनों लबें कतरवाए तो सिर्फ़ सदक़ा वाजिब है।

मस्अला - एक मजालिस में सर और दाढ़ी, और दोनों बग़लों या तमाम बदन के बाल मुंडवाए तो एक ही दम वाजिब होगा, और अगर मुख़्तलिफ़ मज्लिसों में मुंडवाए तो हर मजलिस का अलग हुक्म होगा और हरेक की जज़ा का मुस्तक़िल ऐतबार होगा।

मस्अला - सर मुंडाया और दम दे दिया और उसके बाद

ख़ुदा न ख़्वास्ता दाढ़ी मुंडाई तो फिर दूसरा दम वाजिब होगा।

मस्अला - अगर चार मज्लिसों में चौथाई चौथाई सर मुंडाया और बीच में कफ़्फ़ारा नहीं दिया तो एक ही दम वाजिब होगा।

मस्अला - अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा सर मुंडाया तो अगर सब जगहों का मज्मूआ चौथाई सर के बराबर हो जाए तो दम वरना सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - रोटी पकाते हुए तीन बाल जल गए तो एक मुठ्ठी गेहूं का सदक़ा दे दे, और अगर बीमारी की वजह से बाल गिर गए या सोते हुए जल गए तो कुछ वाजिब नहीं।

मस्अला - अगर वुज़ू करते हुए या ख़िलाल करते हुए सर या दाढ़ी के तीन बाल गिर गए तो एक मुठ्ठी गेहूं का सदक़ा दे दे, और अगर तीन बाल ख़ुद उखाड़े तो हर बाल के बदले में एक मुठ्ठी सदका दे, और अगर तीन बालों से ज़्यादा उखाड़े तो आधा "साअ़" सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - मुहरिम ने अगर दूसरे मुहरिम का चौथाई सर मूंड दिया तो मूंडने वाले पर सदक़ा और जिस का सर मूंडा है उस पर दम वाजिब है।

मस्अला - अगर मुहरिम (एहराम वाला) हलाल (जो एहराम से निकल चुका है) का सर मूडे तो हलाल पर कुछ नहीं,

मुहरिम कुछ थोड़ा सा सदक़ा दे दे, और अगर हलाल ने मुहरिम का सर मूंडा तो मुहरिम पर दम वाजिब है और हलाल पर सदक़ा-ए-कामिल यानी आधा साअ़ गेहूं है।

मस्अला - मुहरिम ने अगर मुहरिम या हलाल की मूंछ मूंड दी या कतरी या नाख़ून काटा तो जो चाहे सदक़ा कर दे।

मस्अला - बाल मूंडना, कतरना, उखाड़ना, नोरा या बाल सफ़ा से दूर करना या जलाना सब का हुक्म एक ही है जज़ा में कुछ फ़र्क़ नहीं।

मस्अला - खुद बाल मुंडवाए या मूंडे, ज़बरदस्ती से या खुशी से, जानबूझ कर या भूल से सब सूरतों में जज़ा वाजिब होगी।

नाख़ून काटना

मस्अला - अगर एक हाथ या एक पावं या दोनों हाथ या दोनों पावं या चारों हाथ पांव के नाख़ून एक मज्लिस में काटे तो हर सूरत में एक दम वाजिब होगा और अगर चारों आज़ा (अंगों) के नाख़ून चार मजलिसों में काटे तो चार दम लाज़िम होंगे। इसी तरह अगर एक मजलिस में एक हाथ के नाख़ून काटे और दूसरी मजलिस में दूसरे हाथ के काटे तो दो दम लाज़िम होंगे।

मस्अला - अगर पांच नाख़ून से कम काटे या पाचं नाख़ून

अलग अलग काटे जैसे दो एक हाथ के और तीन दूसरे हाथ के, या सौलह नाख़ून इस तरह काटे, कि हर हाथ और पावं के चार नाख़ून काटे तो तीनों सूरतों में हर नाख़ून के बदले पूरा सदक़ा (आधा साअ् गेहूं) वाजिब होगा लेकिन अगर सब नाख़ूनों का सदक़ा दम की क़ीमत के बराबर हो जाए तो कुछ कम कर दे ताकि दम की क़ीमत से कम हो जाए और कम व ज़्यादा का एक हुक्म न हो।

मस्अला – टूटे हुए नाख़ून को तोड़ने से कुछ वाजिब न होगा।

ख़ुश्बू और तेल लगाना – ख़ुश्बू हर वह चीज़ है जिसमें अच्छी बू आती हो और उसको ख़ुश्बू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो या उससे ख़ुश्बू तैयार की जाती हो और समझ दार उसको ख़ुश्बू शुमार करते हों जैसे मुश्क, काफ़ूर, कुसुम, लोबान, चंबेली, नर्गिस, तिल का तेल, ज़ैतून का तेल, ख़त्मी, ओद और दूसरे इतर और ख़ुश्बू दार चीज़ें, ख़ुश्बू लगाने से मुराद बदन या कपड़े पर ख़ुश्बू का इस तरह लग जाना है कि बदन और कपड़े से ख़ुश्बू आने लगे अगरचे कोई जुज़ (हिस्सा) ख़ुश्बू का न लगे।

मस्अला – फूल और ख़ुश्बूदार फल सूंघने से कोई जज़ा वाजिब नहीं होती लेकिन सूंघना मक्रूह है।

मस्अला – मुहरिम के लिए ख़ुश्बू का इस्तेमाल बदन, लुंगी, चादर, बिस्तर और सब कपड़ों में मना है। इसी तरह

खुश्बूदार खिज़ाब या दवा या तेल लगाना या किसी खुश्बू दार चीज़ से बदन और बालों को धोना और खुश्बू खाना पीना एहराम में सब मना है।

मस्अला - मर्द और औरत दोनों के लिए खुश्बू का इस्तेमाल एहराम की हालत में मना है।

मस्अला - आकि़ल बालिग़ मुहरिम ने किसी बड़े उज़्व (अंग) जैसे सर, रान, पिंडली, दाढ़ी, हाथ, हथेली पर खुश्बू लगायी या एक उज़्व से ज़्यादा पर लगायी तो दम वाजिब होगा, अगर चे लगाते ही फौरन दूर कर दी हो या धो दी हो और अगर पूरे बड़े उज़्व (अंग) पर नहीं लगाई बल्कि थोड़े पर या अक्सर हिस्से पर लगाई या किसी छोटे उज़्व जैसे नाक, कान, आंख, उंगली पर लगाई हो तो सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - उज़्व (अंग) के छोटे बड़े होने का ऐतबार उस वक़्त है जब खुश्बू थोड़ी हो। अगर खुश्बू ज़्यादा हो तो अगर बड़े उज़्व के थोड़े हिस्से में या छोटे उज़्व पर लगाए तब भी दम वाजिब होगा, और थोड़ी या ज़्यादा के बारे में उर्फ़ का ऐतबार होगा। जिस को उर्फ़ में ज़्यादा समझा जाये वो ज़्यादा होगी और जिस को थोड़ी समझा जाए वो थोड़ी होगी, और अगर कोई उर्फ़ न हो तो जिस को देखने वाला या खुद लगाने वाला ज़्यादा समझे वो ज़्यादा है और जिस को कम समझे वो कम है।

मस्अला - कपड़े में खुश्बू लगायी या खुश्बू लगा हुआ

कपड़ा पहन लिया तो अगर एक बालिश्त मुरब्बा (चकोर) यानी एक बालिश्त लंबाई व चौड़ाई में खुश्बू लगी है तो सदक़ा वाजिब होगा, बशर्ते कि एक दिन या एक रात पहने रहा हो, और अगर इससे कम पहना हो तो सदक़ा दे दे, और अगर इससे ज़्यादा में खुश्बू लगी हो और उसको एक दिन कामिल और एक रात कामिल पहने रहा हो तो दम वाजिब होगा। यह उस वक़्त है जबकि खुश्बू ज़्यादा न हो और अगर खुश्बू ज़्यादा होगी तो दम वाजिब होगा अगरचे एक बालिश्त से कम हो।

(ग़ुन्यतुन्नासिक पेज 131)

मस्अला - अगर खुश्बू लगा हुआ कपड़ा ऐसा सिला हुआ था जो मुहरिम को पहनना मना है तो इस सूरत में दो जिनायतें गिनी जायेंगी। एक खुश्बू की और एक सिला हुआ कपड़ा पहनने की, इसलिए दो जज़ाएं वाजिब हैं।

मस्अला - अगर बहुत सी खुश्बू खाई यानी इतनी कि मुंह के ज़्यादा तर हिस्से में लग गई तो दम वाजिब होगा और अगर थोड़ी खाई यानी मुंह के अक्सर हिस्से में न लगी तो सदक़ा वाजिब होगा। यह उस वक़्त है जब कि ख़ालिस खुश्बू खाए, और अगर उसको किसी खाने में डालकर पकाया तो कुछ वाजिब नहीं अगरचे खुश्बू की चीज़ ग़ालिब हो, और अगर पका हुआ खाना न हो तो उस में यह तफ़सील है कि अगर खुश्बू की चीज़ ग़ालिब है तो दम वाजिब है, अगरचे खुश्बू भी न आती हो और

अगर मग़लूब है तो दम या सदक़ा नहीं अगरचे ख़ुश्बू ख़ूब आती हो लेकिन मकरूह है।

मस्अला - दारचीनी, गर्म मसाला वग़ैरह खाने में डालकर पकाना और खाना जायज़ है।

मस्अला - पीने की चीज़ में जैसे चाय वग़ैरह में ख़ुश्बू मिलाई तो अगर ख़ुश्बू ग़ालिब है तो दम वाजिब होगा और अगर मग़लूब है तो सदक़ा है। लेकिन अगर कई बार पिया तो दम वाजिब होगा। पीने की चीज़ को ख़ुश्बू डालकर पकाये या बिना पकाये ख़ुश्बू मिला दी गयी हो हर सूरत में जज़ा वाजिब होती है।

मस्अला - लेमन, सोडा या कोई पानी की बोतल या शरबत जिस में ख़ुश्बू न मिलाई गयी हो एहराम की हालत में पीनी जायज़ है।

मस्अला - ज़ैतून या तिल का ख़ालिस तेल एक बड़े उज़्व या उससे ज़्यादा पर ख़ुश्बू के तौर पर लगाया तो दम वाजिब है और अगर इससे कम पर लगाया तो सदक़ा वाजिब है। और अगर उसको खा लिया या दवा के तौर पर लगाया तो कुछ भी वाजिब नहीं।

मस्अला - ज़ैतून या तिल का तेल ज़ख़्म या हाथ या पांव की बुवाईयों में लगाया या नाक कान में टपकाया तो न

दम है और न सदक़ा।

मस्अला - तिल या ज़ैतून के तेल में अगर खुश्बू मिली हुई है जैसे गुलाब और चमेली वग़ैरह के फूल डाल दिये जाते हैं और उसको "रोग़ने गुलाब या चंबेली" कहते हैं या कोई और खुश्बू दार तेल अगर एक बड़े उज़्वे कामिल पर लगाया तो दम और इससे कम में सदक़ा वाजिब होगा।

मस्अला - बिना खुश्बू का सुर्मा लगाना जायज़ है। और अगर खुश्बू दार हो तो उसके लागने से सदक़ा वाजिब होगा लेकिन अगर दो बार से ज़्यादा लगाया तो दम वाजिब होगा।

मस्अला - अगर सारे सर या चौथाई सर का मेहंदी से खिज़ाब किया और मेहंदी पतली पतली लगायी ख़ूब गाढ़ी नहीं लगायी तो एक दम वाजिब होगा, और अगर गाढ़ी गाढ़ी लगाई तो दो दम वाजिब होंगे, यह दूसरा दम उस वक़्त वाजिब होगा जब कि एक दिन या एक रात लगाए रखा हो। एक दम खुश्बू दार खिज़ाब लगाने की वजह से और दूसरा सर ढ़ांकने की वजह से, और अगर एक दिन या एक रात से कम लगाया तो खुश्बू की वजह से दम और सर ढ़ांकने की वजह से सदक़ा वाजिब होगा। यह हुक्म मर्द के लिए है और औरत पर हर सूरत में एक ही दम वाजिब होगा, क्योंकि उसके लिए सर ढ़ांकना मना नहीं है।

मस्अला - सारी दाढ़ी या पूरी हथेली पर मेहंदी लगाने से

भी दम वाजिब होता है।

मस्अला - अगर सर के दर्द की वजह से सर का ख़िज़ाब किया तब भी जज़ा वाजिब होगी।

मस्अला - इतर वाले की दुकान पर बैठने में कोई हरज नहीं लेकिन सूंघने की नियत से बैठना मक्रूह है।

मस्अला - अगर एक मुहरिम दूसरे मुहरिम को खुश्बू लगाए तो लगाने वाले पर कोई जज़ा नहीं लगवाने वाले पर जज़ा है लेकिन लगाने वाले के लिए यह हराम है कि मुहरिम के बदन या कपड़े पर खुश्बू लगाए।

तंबीह - मुहरिम के कपड़े या बदन पर खुश्बू लग जाए तो उसको फौरन बदन और कपड़े से दूर करना वाजिब है, अगर कफ़्फ़ारा दे दिया और खुश्बू को दूर नहीं किया तो दूसरी जज़ा वाजिब हो जाएगी, और उस खुश्बू को अगर कोई ग़ैर मुहरिम शख़्स मौजूद हो तो उससे धुलवाये खुद न धोए, या खुद पानी बहा दे और उसको हाथ न लगाए ताकि धोते हुए खुश्बू का इस्तेमाल न हो।

उज़्र की वजह से जिनायत को कर गुज़रने का हुक्म

मस्अला - अगर किसी उज़्र (मजबूरी) की वजह से सिला हुआ कपड़ा पहना या सर या चेहरा ढ़ांका या खुश्बू लगायी या

नाख़ून कटवाए या हल्क़ कराया तब भी जज़ा वाजिब होती है लेकिन इसमें दम का वाजिब होना मुताय्यन नहीं होता, बल्कि जिन बातों से दम वाजिब होता है उनमें दम या रोज़ा या सदक़ा इख़्तियार के तौर पर वाजिब होता है, और जिन सूरतों में सदक़ा वाजिब होता है उनमें रोज़ा रखना या सदक़ा देना दोनों में इख़्तियार होता है। तश्रीह उसकी यह है कि अगर किसी उज़्र की वजह से ऊपर ज़िक्र की गयी जिनायत में से कोई जिनायत की, जैसे बुख़ार या सख़्त सर्दी की वजह से कपड़ा पहना या सर ढ़ांका, जख़्म पर खुश्बूदार दवा लगाई या जुओं की वजह से सर मुंडाया या पूरे या आधे सर के दर्द की वजह से सर को ढ़ांका तो इख़्तियार है कि दम दे दे या तीन साअ़ गेहूं छः मिस्कीनों को दे दे (हर मिस्कीन को आधा साअ़ दे) या तीन रोज़े रखे अगरचे मालदार हो, और अगर उज़्र की वजह से ऊपर ज़िक्र की गयीं जिनायत में से किसी को किया हो जिस की वजह से सदक़ा वाजिब होता है तो उसको इख़्तियार है कि सदक़ा दे दे या एक रोज़ा रख ले।

फ़ायदा - हर क़िस्म का बुख़ार, सख़्त सर्दी, सख़्त गर्मी, जख़्म, फोड़ा, फुंसी पूरे सर या आधे सर का दर्द होना, सर में जुओं का ज़्यादा हो जाना ये चीज़ें उज़्र में शुमार हैं।

बोसा लेना, बांहों में लेना या सोहबत करना

मस्अला - हज का एहराम हो या उमरे का जब तक

वो शरीअत के उसूलों के मुताबिक़ ख़त्म न हो जाए उस वक़्त तक मियां -बीवी वाले ताल्लुक़ात यानी सोहबत (हमबिस्तरी) करना या शहवत से छूना या लिपटाना हराम है।

मसअला - अगर किसी मुहरिम ने सोहबत की और हश्फ़ा (मर्द के उज़्व यानी लिंग का अगला कटावदार हिस्सा) दाख़िल हो गया जान बूझ कर हो या भूल कर, मनी (वीर्य) निकले या न निकले, और हज के एहराम में वुक़ूफ़े अरफ़ात से पहले ऐसा कर लिया तो हज फ़ासिद हो गया, और दोनों में से जो भी एहराम में था उस पर एक दम वाजिब हो गया और अगर दोनों एहराम में थे तो दोनों पर एक एक दम वाजिब हो गया और इसके बावजूद कि हज फ़ासिद हो गया फिर भी हज के अफ़्आल सही हज की तरह अदा करने होंगे, और एहराम में जिन चीज़ों की मनाही है उनसे बचना लाज़िम होगा। अगर कोई जिनायत हो जाएगी तो उसकी जज़ा क़ानून के मुताबिक़ वाजिब होगी। जिसकी तफ़्सील ऊपर गुज़र चुकी है। और आइंदा हज की क़ज़ा भी वाजिब होगी, अगर चे फ़ासिद किया हुआ हज, नफ़्ली हज हो, और अब यह मुहरिम हज के अफ़्आल किए बिना एहराम से नहीं निकल सकता। अगर सोहबत के अलावा कोई और ऐसी हरकत की जिस से मनी निकल गयी तब भी दम वाजिब होगा लेकनि इससे हज फ़ासिद नहीं होगा। अगर वुक़ूफ़े अरफ़ात के बाद सर मुंडाने और तवाफ़े ज़ियारत से पहले सोहबत की तो हज फ़ासिद न होगा लेकिन पूरी एक गाय या पूरे एक ऊंट की

क़ुरबानी वाजिब होगी।

मस्अला - अगर सर मुंडाने के बाद तवाफ़े ज़ियारत से पहले या तवाफ़े ज़ियारत के बाद सर मुंडाने से पहले हम बिस्तरी (सोहबत) की तो एक दम वाजिब होगा, और हज फ़ासिद न होगा।

मस्अला - तवाफ़े ज़ियारत और सर मुंडाने के बाद सोहबत करने से कुछ वाजिब न होगा।

मस्अला - अगर वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले एक मज्लिस में एक औरत या कई औरतों से सोहबत की तो एक दम वाजिब होगा, और अगर कई मज्लिसों में एक औरत या कई औरतों से सोहबत की तो हर मज्लिस के लिए एक दम वाजिब होगा।

मस्अला - अगर क़ारिन ने उमरे के तवाफ़ और वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले सोहबत की तो हज और उमरा दोनों फ़ासिद हो गए और "दमे क़िरान" साक़ित (ख़त्म) हो गया और हज और उमरे की क़ज़ा और दो दम हज व उमरे के फ़ासिद होने की वजह से लाज़िम हो गए, और इस वक़्त भी हज और उमरा दोनों के अफ़आल पूरे करने वाजिब होंगे।

मस्अला - अगर क़ारिन ने उमरे के तवाफ़ और वुक़ूफ़े अरफ़ा के बाद सर मुंडाने और तवाफ़े ज़ियारत करने से पहलें सोहबत की तो हज और उमरा फ़ासिद नहीं हुआ लेकिन एक

"बुद्नः" और एक बकरी वाजिब होगी, बुद्नः हज के एहराम में सोहबत करने की वजह से और बकरी उमरे के एहराम में सोहबत करने की वजह से, और "दमे क़िरान" भी वाजिब होगा।

मस्अला - अगर क़ारिन ने उमरे का तवाफ़ करने के बाद वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले सोहबत की तो उसका हज फ़ासिद हो जायेगा और उमरा फ़ासिद न होगा, क्योंकि वह उमरे का तवाफ़ कर चुका है और दो दम वाजिब होंगे एक हज फ़ासिद करने की वजह से और दूसरा उमरे के एहराम में सोहबत करने की वजह से और हज की क़ज़ा लाज़िम होगी।

मस्अला - उमरे का तवाफ़ शुरू करने से पहले या तवाफ़ के चार फेरे करने से पहले सोहबत की तो उमरा फ़ासिद हो गया और एक बकरी वाजिब हो गयी, तमाम अफ़्आल पूरे करके हलाल हो और उमरे की क़ज़ा करे, और अगर चार फेरे पूरे करने के बाद सोहबत की तो उमरा फ़ासिद नहीं हुआ लेकिन एक बकरी वाजिब हो गयी।

मस्अला - उमरा करने वाले ने तवाफ़ के बाद और सई से पहले या तवाफ़ और सई से फ़ारिग़ होकर सर मुंडाने से पहले सोहबत की तो उमरा फ़ासिद नहीं हुआ लेकिन एक बकरी वाजिब हो गयी और तवाफ़ व सई से फ़ारिग़ होकर सर मुंडाने के बाद सोहबत करने से कुछ वाजिब नहीं।

मस्अला - अगर औरत या बे दाढ़ी के (यानी नौ उमर) लडके का शहवत के साथ बोसा (प्यार) ले लिया या लिपटा लिया या शहवत के साथ हाथ लगाया तो इससे एक दम वाजिब होगा अगरचे मनी (वीर्य) न निकले।

मस्अला - एहराम में एह्तलाम हो (ख़्वाब में नहाने की ज़रूरत पेश आ) जाए तो इससे कोई दम या सदक़ा वाजिब नहीं होता सिर्फ़ ग़ुस्ल फ़र्ज़ होता है। अगर एहराम की चादर पर नापाकी लग जाए तो उसे धो डाले।

मीक़ात से बिना एहराम के आगे बढ़ जाना

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ़ कुछ मक़ामात (जगहें) मुताय्यन फ़रमा दिए हैं जहां पहुंचकर हरम या मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने वाले के लिए बिना एहराम के आगे बढ़ना जायज़ नहीं है इन मक़ामात को "मवाक़ीत" कहते हैं, ये मवाक़ीत मक्का मुअज़्ज़मा से दूर हैं इन मवाक़ीत के बाद मक्का मुअज़्ज़मा के चारों तरफ़ कुछ हदें मुक़र्रर हैं ये हरम की हदें हैं, इन जगहों में अलामात (निशानियां) बनी हुई हैं, हरम की हदों का फ़ासला हर जानिब मुख़्तलिफ़ है, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए मक़ाम "तन्ईम" में हद बनी हुई है। पहले यह जगह मक्का मुकर्रमा से तीन मील थी अब शहर मक्का वहां तक पहुंच गया है, जद्दा की तरफ़ हद दस मील पर है और ताईफ़, इराक़ और यमन की

तरफ़ सात मील और जुअ़राना की तरफ़ नौ मील है। मवाक़ीत के बाहर पूरी दुनिया आफ़ाक़ है उसके रहने वाले को आफ़ाक़ी कहते हैं, और मवाक़ीत और हरम की हदों के दर्मियान जो जगह है उसको "हिल" कहते हैं। और उसके रहने वालों को "हिल्ली" या "अहले हिल" कहते हैं और हरम की हदों के अंदर रहने वालों को "अहले हरम" कहते हैं।

मस्अला - आफ़ाक़ से आने वालों को मक्का मुकर्रमा और उसके हरम की हदों में बिना एहराम के दाख़िला मना है, ये लोग मीक़ात से शरअ़ी तौर पर बिना एहराम के नहीं गुज़र सकते। मदीना मुनव्वरा से जाने वालों के लिए मीक़ात "ज़ुल हुलैफ़ा" है। जिस को आज कल "बीरे अली" या "आबारे अली" कहते हैं। रियाज़ और ताईफ़ से आने वालों के लिए "क़र्न" है। ताईफ़ से जब मक्का मुकर्रमा आते हैं तो "वादी-ए-मुहरिम" से एहराम बांधते हैं, यह जगह असल मीक़ात ही है या मीक़ात के मुक़ाबिल है। हिन्दुस्तान या पाकिस्तान से जो लोग हवाई जहाज़ से ज़रीए आते हैं वे इसी ताईफ़ वाली मीक़ात या इसके बराबर से गुज़रते हैं। जो शख़्स आफ़ाक़ से मक्का मुकर्रमा या हरम की हदों में दाख़िल होने के लिए आ रहा हो उस पर लाज़िम है कि मीक़ात से या उससे पहले एहराम बांध ले, चाहे किसी भी काम से हरम की हदों में दाख़िल हो रहा हो। अगर हज का ज़माना हो तो हज का वरना उमरे का एहराम बांध ले, और मक्का मुकर्रमा आकर उमरा कर ले, फिर दूसरे काम में लगे। यह एहराम की

पाबंदी हरम की हुरमत और बड़ाई की वजह से है। मीक़ात आने से पहले या बिल्कुल मीक़ात पर और असल मीक़ात से गुज़रना न हो तो मीक़ात के मुक़ाबिल और सामने आने पर एहराम बांध ले, चूंकि हवाई जहाज़ में पता नहीं चलता कि जहाज़ मीक़ात से कब गुज़रेगा, इसलिए पहले ही से एहराम बांध लिया जाए।

मस्अला - जो आदमी मीक़ात से बिना एहराम गुज़र गया वह गुनाहगार होगा और मीक़ात की तरफ़ लौटना वाजिब होगा। अगर लौट कर मीक़ात पर नहीं आया और मीक़ात के बाद ही एहराम बांध लिया तो एक दम वाजिब होगा और अगर मीक़ात पर वापस आकर एहराम बांधा तो दम साक़ित (ख़त्म) हो जाएगा, चाहे किसी भी मीक़ात पर वापस आकर एहराम बांधे।

मस्अला - अगर मीक़ात से कोई शख़्स बिना एहराम गुज़र गया और आगे जाकर एहराम बांध लिया और मक्का मुकर्रमा पहुंचने से पहले मीक़ात पर वापस आ गया और मीक़ात पर आकर तल्बियह् पढ़ लिया तो दम साक़ित हो जाएगा और मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हो गया और तवाफ़ शुरू करने से पहले मीक़ात पर वापस आकर तल्बियह् पढ़ लिया तब भी दम साक़ित (ख़त्म) हो जाएगा।

मस्अला - अगर मीक़ात से बिना एहराम गुज़र गया और आगे जाकर एहराम बांध लिया और मीक़ात पर वापस नहीं आया और हज या उमरा कर गुज़रा तो दम साक़ित न होगा।

मस्अला - मीक़ात से बाहर से आने वाला जिसे आफ़ाक़ी कहते हैं अगर हरमे मक्का में या मक्का मुकर्रमा में बिना एहराम के दाख़िल हो जाए तो उस पर एक हज या उमरा करना वाजिब हो जाता है, अगर कई बार बिना एहराम के दाख़िल हुआ हो तो हर बार के लिए एक हज या उमरा लाज़िम होगा। हज का मौक़ा तो साल में एक ही बार आता है और हज के ज़माने में हाज़िर होना क़ानूनी पेचीदगियों की वजह से आसान भी नहीं रहा, इस लिए सहूलत इसमें है कि जितनी बार हरम में या मक्का मुकर्रमा में बिना एहराम के दाख़िल हुआ है उतनी बार क़ज़ा की नियत से उमरा कर ले।

मस्अला - जो लोग "एहले हिल" हैं उनको हरम में और मक्का मुकर्रमा में बिना एहराम दाख़िल होना मना है, अगर कोई आदमी आफ़ाक़ से आये और मीक़ात से गुज़रे, और उसका इरादा "हिल" में किसी जगह जाने का हो, हरम में दाख़िल होने का इरादा न हो तो वह भी हिल वालों में शुमार हो गया और वह भी बिना एहराम के मक्का मुकर्रमा जा सकता है, ऐसा करने से उस पर कोई जज़ा लाज़िम न होगी।

मस्अला - "हिल" का रहने वाला अगर उमरा करना चाहे तो हिल से ही एहराम बांधे और जो शख़्स हरम में हो और उसे उमरा करना हो तो हरम की हदों से बाहर आकर एहराम बांधे।

मस्अला - जो शख़्स आफ़ाक़ से आए और उस का इरादा मक्का मुकर्रमा से पहले मदीना मुनव्वरा जाने का हो तो वह मीक़ात से बिना एहराम गुज़र सकता है। अब जब मदीना शरीफ़ से उमरे के लिए आये तो "बीरे अली" से एहराम बांधे।

मस्अला - बहुत से लोग हज या उमरे की ही ख़ालिस नियत से आफ़ाक़ से आते हैं और मीक़ात से एहराम नहीं बांधते जद्दा आकर एहराम बांधते हैं उन पर दम वाजिब हो जाता है। ऐसे हज़रात मीक़ात पर या उससे पहले एहराम बांधें। अगर मक्का मुअज़्ज़मा जाने से पहले जद्दा में एक दो दिन ठहरना हो तो एहराम की हालत ही में वक़्त गुज़ारें।

ख़ुश्की का जानवर शिकार करना

मस्अला - हज या उमरे का एहराम बांधने के बाद ख़ुश्की का जानवर शिकार करना हराम हो जाता है। हरम में या ग़ैरे हरम में, ख़ुद शिकार करना या किसी शिकार करने वाले को बताना कि वह शिकार जा रहा है यह भी हराम है, शिकार मारने और शिकारी को बताने से जो जज़ा वाजिब होती है, उसमें बड़ी तफ़सीलात हैं, चूंकि आम तौर पर ऐसे वाक़िआत पेश नहीं आते इसलिए हम उन तफ़सीलात को ज़िक्र नहीं करते, अगर कोई ऐसा वाक़िआ हो जाए तो मोतबर आलिमों से मालूम करके अमल करें।

मस्अला - कुछ जानवर ऐसे हैं जिन को एहराम में मारने से जज़ा वाजिब नहीं होती, जैसे भेड़िया, कौआ (अक़ अक़ के अलावा) चील, बिच्छू, पागल कुत्ता, सांप, चूहा, चूंटी, मच्छर, पिस्सू, चिचड़ी, गिरगिट, मक्खी, छिपकली, भिड़, नियोला और तमाम कीड़े मकोड़े और ज़हरीले जानवर लेकिन जो चीज़ तकलीफ़ न पहुंचाए उसको क़त्ल करना जायज़ नहीं।

मस्अला - कबूतर को मारने से जज़ा वाजिब होगी अगरचे पालतू हो।

मस्अला - एहराम की हालत में बकरी, गाय, ऊंट, भैंस, मुर्ग़ी, पातलू बत्तख़ का ज़िब्ह करना और खाना जायज़ है और मुहरिम को जंगली बत्तख़ का ज़िबह करना जायज़ नहीं क्योंकि वो शिकार है।

मस्अला - जो जानवर दरिया में पैदा हो उसके मारने से कोई जज़ा वाजिब नहीं अगरचे खुश्की में रहता हो जैसे मेंढ़क, केकड़ा, कछुआ, नाकू, मछली वग़ैरह लेकिन दरियाई जानवरों में से मछली के अलावा किसी दूसरे जानवर का खाना जायज़ नहीं है।

मस्अला - अगर किसी ने एक जूं मारी या कपड़ा धूप में डाल दिया ताकि जुंए मर जायें, या जुंए मारने के लिए कपड़ा धोया तो एक जूं के बदले कुछ सदक़ा कर दे जैसे रोटी का एक टुकड़ा या एक खजूर दे दे, और दो तीन जुओं के मारने

का भी वही हुक्म है जो एक के मारने का है, और तीन जुओं से ज़ायद चाहे जितनी हों उनके बदले पूरा सदका (आधा साअ़ गेहूं) दे दे, लेकिन अगर कपड़ा धूप में डाल दिया या धो दिया और जुंए मारने की नियत से ऐसा नहीं किया था फिर भी मर गयीं तो कुछ वाजिब न होगा, और जो शख़्स एहराम में न हो उसके जुंए मारने से कुछ वाजिब न होगा अगरचे हरम में हो।

मस्अला - अपने बदन या अपने कपड़े की जुओं को मुहरिम किसी दूसरे से मरवाए या ज़िन्दा जला दे या किसी को मारने के लिए दे दे इन सब सूरतों में जज़ा वाजिब होगी।

मस्अला - टिड्डी भी खुश्की के शिकार के हुक्म में है एहराम में उसका मारना जायज़ नहीं, एक टिड्डी के बदले एक खजूर दे दे।

मस्अला - अगर टिड्डी हरम में हो तो हरम की वजह से उसका मारना जायज़ नहीं अगरचे मारने वाला मुहरिम न हो।

हरम का शिकार

मक्का मुअज़्ज़मा पूरा शहर हरम है और उसके बाहर भी चारों तरफ़ हरम है। हरम की हदों पर हर तरफ़ निशानात लगा दिये गये हैं, हरम के अलावा बाकी जगह को "हिल" कहते हैं। सब से क़रीब हिल तनूईम है जहां "मस्जिदे आयशा" है और हरम के लोग वहां उमरे का एहराम बांधने के लिए जाते

हैं। हरम की हुरमत की वजह से हरम में शिकार करना और हरम के दरख़्त या घास काटना मना है। हज या उमरे के लिए जो हज़रात बाहर से आते हैं उनको शिकार करने या दरख़्त काटने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन जो लोग हरम की हदों में रहते हैं उनसे शिकार करने या दरख़्त (पेड़) काटने की ग़लती हो जाती है, तो जानना चाहिए कि हरम के जानवर का शिकार मुहरिम और ग़ैर मुहरिम दोनों पर हराम है।

मस्अला - अगर मुहरिम (एहराम वाले) ने हरम का शिकार क़त्ल किया तो सिर्फ़ एक जज़ा एहराम की वजह से वाजिब होगी, हरम की वजह से दूसरी जज़ा वाजिब न होगी हरम की जज़ा उसी में दाख़िल हो जाएगी।

मस्अला - अगर मुहरिम (एहराम वाले) या ग़ैर मुहरिम (बिना एहराम वाले) ने हिल के शिकार को हरम में दाख़िल किया तो वह भी हरम के शिकार में शुमार होगा और उसका छोड़ना वाजिब होगा और मारने से जज़ा वाजिब होगी।

मस्अला - एहराम में जिन चीज़ों का मारना जायज़ है हरम में भी उन चीज़ों का मारना जायज़ है।

तंबीह - अगर हरम में शिकार करने का कोई वाक़िआ पेश आ जाए तो मोतबर आलिमों से उसकी जज़ा मालूम करके अमल करें।

हरम के दरख़्त और घास काटना

हरम के दरख़्त और घास चार क़िस्म पर हैं।

1 - वो चीज़ जिस को लोग आम तौर पर बोते हैं, और किसी शख़्स ने उसको हरम में बोया या लगाया हो जैसे गेहूं या जौ वग़ैरह।

2 - वो कि जिसको किसी ने बोया हो लेकिन आम तौर से लोग उसको बोते नहीं जैसे पीलू वग़ैरह।

3- वो कि खुद जमा हुआ हो और उस जिन्स से हो जिस को लोग बोते हैं।

4- वो कि खुद जमा हुआ हो और लोग आम तौर से उस को न बोते हों जैसे कीकर वग़ैरह।

इन चारों क़िस्मों में से पहली तीन क़िस्मों के दरख़्त हरम में काटने की वजह से कोई जज़ा वाजिब नहीं होती, उनका काटना, उखाड़ना, काम में लाना जायज़ है, लेकिन अगर किसी की मिल्कियत में हो तो उसकी क़ीमत मालिक को देनी वाजिब होगी।

चौथी क़िस्म के दरख़्त का काटना, उखाड़ना मुहरिम और ग़ैर मुहरिम दोनों के लिए हराम है। चाहे इस क़िस्म के दरख़्त किसी की ममलूमक ज़मीन में हों या ग़ैर ममलूक में हों, लेकिन सूखा दरख़्त काटना जायज़ है।

मस्अला - हरम की घास या दरख़्त काटने से उसकी क़ीमत वाजिब होगी। उस क़ीमत से ग़ल्ला (अनाज) ख़रीद कर सदक़ा कर दे और हर मिस्कीन को आधा साअ् गेहूं जहां चाहे दे दे, और अगर "हदी" उस क़ीमत में आ सकती हो तो "हदी" हरम में ज़िब्ह कर दे। और ज़िमान अदा करने के बाद घास और लकड़ी काटने वाले की मिल्क हो जाएगी लेकिन उस को बेचना मक्रूहे तहरीमी है, अगर बेच दी तो जो क़ीमत ली है उसका सदक़ा कर दे और ख़रीदने वाले को उसका काम में लाना जायज़ है।

मस्अला - हरम के जिस दरख़्त (पेड़) के काटने से जज़ा वाजिब होती है अगर वो पेड़ किसी की मिल्कियत हो यानी उसकी ज़मीन में जमा हुआ हो तो दो क़ीमतें वाजिब होंगी एक हरम की वजह से जिस का ब्यान ऊपर हुआ और दूसरी क़ीमत मालिक को अदा करनी होगी। अगर मालिक उसको ख़ुद काटेगा तो एक क़ीमत वाजिब होगी।

मस्अला - हरम के तर (हरे भरे) दरख़्त से मिस्वाक बनाना भी जायज़ नहीं है।

मस्अला - ख़ेमा लगाने या तंदूर या चूल्हा वग़ैरह खोदने से या सवारी पर चलने या पैदल चलने से हरम की घास या लकड़ी टूट जाए तो कुछ वाजिब नहीं।

मस्अला - हरम की घास जानवरों को चराना या काटना

जायज़ नहीं है।

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۰

इन्नल्ला-ह व मला-इ-क-तहू युसल्लू-न अलन्नबिय्यि या अय्युहल्लज़ी-न आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा0

तर्जुमा - बेशक अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं इन पैग़म्बर पर, ऐ ईमान वालो! तुम भी आप पर रहमत भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो।

(बयानुल क़ुर्आन)

★★★

दियारे हबीब का सफ़र

हज या उमरे से फ़रिग़ होकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाए, सऊदी हुकूमत ने जो "तरीक़ुल हिज्र:" के नाम से नया रोड निकाला है उस से चार पांच घंटे में मोटर कारें और टैक्सियां मदीना मुनव्वरा पहुंचा देती हैं। मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर सामान किसी इत्मीनान की जगह पर रख कर मस्जिदे नबवी में आए, अगर मक्रूह वक़्त न हो तो "रौज़तुल जन्न:" में या जहां मौक़ा मिले दो रक्अत नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद अदा करे, फिर हुज़ूरे पाक सल्ल० की क़ब्र मुबारक के पास आये और निहायत अदब के साथ हल्की आवाज़ में सलाम पेश करे, अगर भीड़ कम हो और सुकून व इत्मीनान से खड़ा हो सके तो जज़्ब व कैफ़ के साथ जितनी देर चाहे सलाम अर्ज़ करे, अगर भीड़ बहुत हो और सुकून व इत्मीनान हासिल न हो तो मुख़्तसर सा सलाम पढ़कर आ जाए। फिर जब मौक़ा मिले ज़्यादा देर तक सलाम अर्ज़ कर ले और सलाम अर्ज़ करने में भी दूसरे मुसलमानों का ख़्याल रखे, किसी को तक्लीफ़ न दे और धक्कम धक्का न करे।

सलाम के अल्फ़ाज़ कोई मुक़र्रर व मुताय्यन नहीं हैं। मुख़्तलिफ़ हज़रात ने मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ लिखे हैं। किसी ने

मुख़्तसर सा सलाम लिखा है और किसी ने ख़ूब ज़्यादा अल्फ़ाज़ लिखे हैं, कुछ हज़रात ने ये अल्फ़ाज़ लिखे हैं :-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَخَلْقِ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَلِيْلَ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَفْوَةَ اللهِ ط اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللهِ ط اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ عِنْدَ اللهِ ط اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ اَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ط اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ ط وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ ط اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَجْمَعِيْنَ ط اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ ط اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُبَشِّرَ الْمُحْسِنِيْنَ ط وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ط وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَهْلِ بَيْتِكَ وَاَزْوَاجِكَ وَاَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ ط وَسَآئِرِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَجَلَيْتَ الظُّلْمَةَ وَجَاهَدْتَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ وَعَبَدْتَّ رَبَّكَ حَتّٰى اَتٰكَ الْيَقِيْنُ ط جَزَاكَ اللهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ وَالِدَيْنَا وَعَنِ الْاِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَآءِ ط وَاَسْئَلُ اللهَ تَعَالٰى لَكَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَالشَّفَاعَةَ الْعُظْمٰى فِى الْيَوْمِ

الْمَشْهُوْدِ وَنَسْئَلُ اللهَ تَعَالٰى اَنْ يَّغْفِرَلَنَا ذُنُوْبَنَا وَلِاٰبَآئِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَلِاَقْرِبَآئِنَا اِنَّهٗ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ․

अस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलै-क या ख़ै-र ख़ल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलै-क या ख़लीलल्लाह, अस्सलामु अलै-क या सफ़्-वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या नबिय्यल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या शफ़ीअल मुज़्निबी-न ज़िन्दल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या मन अर्-स-लहुल्लाहु तआला रह्-म-तल लिल आ-लमी-न, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या सय्यिदल मुर्सली-न व इमामल मुत्तक़ी-न, व क़ाइदल गुर्रिल मुहज्ज-ली-न, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या सय्यि-द वुलि-द आ-द-म अज्-मई-न, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क य ख़ातिमन्-नबिय्यी-न, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क या मुबश्शिरल मुहसिनी-न, व अला जमीअ़िल अंबिया-इ वल मुर्सली-न, वल् मला-इ-कतिल मुक़र्रबी-न, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क व अला आलि-क व अहलि बैति-क व अज़्वजि-क व अस्हाबि-क अज्मईन, व साइरि इबादिल्ला-हिस्सालिही-न, अस्सलातु वस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबिय्यु व रह् मतुल्ला-हि व ब-र-कातुहू, या रसूलल्लाहि इन्नी अश्हदु अन्न-क अब्दुल्ला-हि व रसूलुहू अश्हदु अन्न-क या रसूलल्लाहि क़द् बल्लग़्-तर् रिसा-ल-त व अद्-दै-तल

अमा-न-त व-नसह्-तल उम्म-त व कशफ़ूतल ग़ुम्म-त व जलैतज़्-ज़ुल-म-त व जाहद्-त फ़ी सबीलिल्लाहि हक़्-क़ जिहादिही व अ-बद्-त रब्ब-क हत्ता अताकल यक़ीन, जज़ाकल्लाहु तआला अन्ना व अन वालिदैना व अनिल इस्लामि ख़ैरल जज़ा-इ, वस्-अलुल्ला-ह तआला लकल् वसी-ल-त वल फ़ज़ी-ल-त वद्-द-र-जतर्-रफ़ी-अ़-त वल मक़ामल महमू-द वल् हौज़ल मौरू-द वश्श-फ़ा-अ-तल उज़्मा फ़िल यौमिल् मश्हूदि व नस्अलुल्ला-ह तआला अय्-यग़्फ़ि-र लना ज़ुनूबना वलिआबा-इना व उम्म-हातिना वलि अक़्-रिबा-इना इन्नहू मुजीबुद्-दअ़वाति व हु-व अर्ह-मुर्राहिमी-न।

तर्जुमा - आप पर सलाम हो ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम हो ऐ वो ज़ात जो सारी मख़्लूक़ से अफ़ज़ल है, आप पर सलाम हो ऐ अल्लाह के ख़लील, आप पर सलाम हो ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, दुरूद व सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के नबी, दुरूद व सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के हबीब, दुरूद व सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के पास गुनाहगारों की शफ़ाअत करने वाले, दुरूद व सलाम हो आप पर ऐ वो ज़ात जिसे अल्लाह तआ़ला ने सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आप सर सलात व सलाम हो ऐ रसूलों के सरदार और मुत्तक़ियों के इमाम और उन लोगों के पेशवा जिन के चेहरे और हाथ पांव क़ियामत के दिन रोशन होंगे। आप पर दुरूद व सलाम हो ऐ आदम (अलैहि0) की तमाम औलाद के सरदार, आप पर सलात व सलाम

हो ऐ ख़ातिमुन्नबिय्यीन, आप पर सलात व सलाम हो ऐ नेक काम करने वालों को बशारत देने वाले, और सलात व सलाम हो तमाम पैग़म्बरों और रसूलों पर और तमाम मुक़र्रब फ़रिश्तों पर, सलाम हो आप पर और आप की आल पर और घर वालों और आपकी बीवियों (उम्महातुल मोमिनीन) पर, और सब सहाबा पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर, सलाम हो आप पर ऐ नबी और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें, ऐ अल्लाह तआ़ला के रसूल मैं गवाही देता हूं कि बेशक आप अल्लाह तआ़ला के बंदे और रसूल हैं, और ऐ अल्लाह तआला के रसूल मैं गवाही देता हूं कि बेशक आपने अल्लाह का पैग़ाम पूरी तरह पहुंचा दिया और अमानत का हक़ अदा कर दिया और उम्मत की पूरी ख़ैर ख़्वाही फ़रमा दी और (कुफ़्र) के अंधेरे को दूर फ़रमा दिया और (बातिल) की तारीकी को छांट दिया और अल्लाह के रास्ते में मुजाहदा फ़रमाया जैसा कि उस का हक़ था, और आप अपने रब की इबादत में लगे रहे यहां तक कि आप ने वफ़ात पाई, अल्लाह तआला आपको हमारी तरफ़ से, हमारे वालिदैन की तरफ़ से और मिल्लते इस्लाम की तरफ़ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, और अल्लाह तआला से आपके लिए मक़ामे वसीला का और फ़ज़ीलत का और बुलंद दर्जे का और मक़ामे महमूद का और हौज़ (कौसर) का जिस पर आपकी उम्मत उतरेगी और यौमे शुहूद में शफ़ाअते उज़्मा का सवाल करता हूं, और हम अल्लाह तआला से सवाल करते हैं कि वह हमारे बाप दादाओं और मांओं

और अज़ीज़ व क़रीबी लोगों के गुनाह माफ़ फ़रमा दे, बेशक वह दुआ क़ुबूल फ़रमाने वाला है और वह अर्‌हमुर्राहिमीन है।

अपना सलाम पेश करने के बाद अपने मां-बाप, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त व अहबाब का सलाम भी नाम बनाम पेश करे, अगर किसी ने सलाम पेश करने को कहा हो तो उस का नाम लेकर सलाम पेश करे, यूं कहे "अस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाहि मिन् फ़ुलानिन्" फ़ुलां की जगह उसका नाम ले, और मुख़्तसर तौर पर बहुत सों का सलाम पहुंचाना हो तो यूं कहे:-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنِّیْ وَ مِمَّنْ اَوْصَانِیْ بِالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

अस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाहि मिन्नी व मिम्मन औसानी बिस्सलामि अलै-क या रसूलल्लाह०

तर्जुमा - सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के रसूल मेरी तरफ़ से और जिस ने मुझे सलाम अर्ज़ करने की वसीयत की उस की तरफ़ से।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ कर चुके तो दो क़दम दाएं हट कर आपके यारेग़ार, सच्चे रफ़ीक़, ख़लीफ़-ए-अव्वल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० पर इस तरह सलाम पेश करे।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَنَا اَبَابَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَى التَّحْقِيْقِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ اَنْفَقَ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِيْ حُبِّ اللّٰهِ وَحُبِّ رَسُوْلِهٖ حَتّٰى تَخَلَّلَ بِالْعَبَآءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحِلَّكَ وَمَاْوَاكَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ الْخُلَفَآءِ وَتَاجَ الْعُلَمَآءِ وَصِهْرَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط

अस्सलामु अलै-क या सय्यिद-ना अबा बक्रि निस्सिद्दीक़, अस्सलामु अलै-क या ख़लीफ़-त रसूलिल्ला-हि अलत्-तहक़ीक़, अस्सलामु अलै-क या साहि-ब रसूलिल्ला-हि सानियस्नै-नि इज़् हुमा फ़िल ग़ारि, अस्सलामु अलै-क या मन अन्फ़-क़ मा-लहू कुल्ल-हू फ़ी हुब्बिल्लाहि व हुब्बि रसूलिही हत्ता तख़ल्ल-ल बिल अ़बा-इ रज़ियल्लाहु तआला अन्-क व अर्ज़ा-क अह्-सनर् -रिज़ा व ज-अ़लल् जन्न -त मन्ज़ि-ल-क व मस्क -न-क व महिल्ल-क व मअ्वा-क, अस्सलामु अलै-क या अव्व-लल् ख़ु-ल-फ़ा-इ व ताजल उ-लमा-इ व सिह्रन्- नबिय्यिल मुस्तफ़ा व रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू।

तर्जुमा - सलाम आप पर ऐ हमारे सरदार अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि0) सलाम आप पर ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़लीफ़-ए-बरहक़, सलाम आप पर ऐ रसूलुल्लाह के साथी जब कि ग़ार में छुपे हुए थे, सलाम आप पर ऐ वो जिसने

अपना तमाम माल अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत में ख़र्च कर डाला यहां तक कि एक जुब्बे में रह गए, अल्लाह तआल आप से राज़ी हो और बेहतरीन तरीक़े से आप को राज़ी करे और जन्नत को आप के उतरने की जगह और आप के क़ियाम की जगह और आप का ठिकाना बनाए, सलाम आप पर ऐ सबसे पहले ख़लीफ़-ए-रसूल और आलिमों के ताज और नबी मुस्तफ़ा (सल्ल0) के ससुर और अल्लाह तआला की रहमत हो आप पर और उसकी बर्कतें।

हज़रत अबू बक्र (रज़ि0) पर सलाम पेश करने के बाद दायीं तरफ़ को और दो क़दम हटे और यहां हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि0 पर यूं सलाम पेश करे।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاعُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَاطِقًا بِالْعَدْلِ
وَالصَّوَابِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَهِيْدَ الْمِحْرَابِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
مُظْهِرَ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَااَبَا الْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَآءِ وَالْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ ۔ اَنْتَ الَّذِيْ قَالَ فِيْ
حَقِّكَ سَيِّدُ الْبَشَرِ لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ
وَمَسْكَنَكَ وَمَحِلَّكَ وَمَاْوَاكَ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاثَانِيَ الْخُلَفَآءِ وَتَاجَ
الْعُلَمَآءِ وَصِهْرَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

अस्सलामु अलै-क या उ-मरब्नल ख़त्ता-बि, अस्सलामु अलै-क या नातिक़न बिल अ़द्लि वस्सवाब, अस्सलामु अलै-क या शहीदल मेह्रा-बि, अस्सलामु अलै-क या मुज़्हि-र दीनिल इस्ला-मि, अस्सलामु अलै-क या मुकस्सिरल अस्ना-मि, अस्सलामु अलै-क या अबल फु-क़रा-इ वज़्ज़ु-अफ़ा-इ वल अरा-मिलि वल ईतामि, अंतल्-लज़ी, का़-ल फी हक़्क़ि-क सय्यिदुल ब-शरि लौ का-न बअ़्दी नबिय्युन लका-न उ-मरुब्नुल ख़त्ता-बि रज़ियल्लाहु तआला अन्-क व अर्ज़ा-क अह्-सनर -रिज़ा व ज-अ़-लल् जन्न-त मन्ज़िल-क व मस्क-न-क व महिल्ल-क व मअ्वा-क, अस्सलामु अलै-क या सानियल खु-लफ़ा-इ व ताजल उ-लमा-इ व सिह्रन्-नबिय्यिल मुस्तफ़ा व रह्मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू।

तुर्जमा - सलाम हो आप पर ऐ उमर बिन ख़त्ताब, सलाम हो आप पर ऐ इंसाफ़ और सच्चाई की बात कहने वाले, सलाम हो आप पर ऐ मेहराब में शहीद होने वाले, सलाम हो आप पर ऐ दीने इस्लाम को ग़ालिब करने वाले, सलाम आप पर ऐ बुतों के टुकड़े टुकड़े करने वाले, सलाम आप पर ऐ फ़क़ीरों, कमज़ोरों, बेवाओं और यतीमों के सर परस्त, आप ही हैं जिनके हक़ में सय्यिदुल बशर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होते,

राज़ी हो अल्लाह तआला आप से और राज़ी करे आप को बेहतरीन रिज़ा के साथ, और जन्नत को बनाये आपके उतरने की जगह और आपके रहने की जगह और आप के ठहरने की जगह और आपका ठिकाना, सलाम आप पर ऐ दूसरे ख़लीफ़-ए-रसूल और उलमा के ताज और नबी मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ससुर, और अल्लाह की रहमत हो आप पर और उसकी बर्कतें।

यहां से फ़ारिग़ हो जाए तो फिर बायीं तरफ़ को सरक जाए और दोनों खुलफ़ा-ए-राशिदीन के दर्मियान में खड़ा होकर दोनों हज़रात पर मुश्तरका (संयुक्त) सलाम अर्ज़ करे।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَاوَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَامُعِيْنَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَاوَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط

अस्सलामु अ़लैकुमा या वज़ीरै-रसूलिल्लाहि, अस्सलामु अ़लैकुमा या मुईने रसूलिल्लहि, अस्सलामु अलैकुमा व रह्मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू।

तर्जुमा - सलाम आप पर ऐ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दोनों वज़ीरो। सलाम आप पर ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दोनों मददगारो। सलाम आप दोनों पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बर्कतें।

सलाम से फ़ारिग़ होकर क़िब्ला रुख़ होकर दीवार के पास

अल्लाह तआला से दुआ करे और जो हाजत दिल में हो बहुत आजज़ी से और गिड़गिड़ा कर उसे मांगे, जैसे यूं कहे :-

اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ يَارَجَآءَ السَّآئِلِيْنَ وَاَمَانَ الْخَائِفِيْنَ وَحِرْزَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ يَادَيَّانُ ط يَاسُلْطَانُ يَاقَدِيْمَ الْاِحْسَانِ يَاسَامِعَ الدُّعَآءِ اِسْمَعْ دُعَآءَنَا وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا وَاٰمِنْ خَوْفَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا وَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا وَارْحَمْ اَمْوَاتَنَا وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَاجْعَلْنَا يَا اَللّٰهُ عِنْدَكَ مِنَ الْعَآئِذِيْنَ الْفَآئِزِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنِيْ اِيْمَانًا كَامِلاً ثَابِتًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَاكَتَبْتَ لِيْ وَعِلْمًا نَافِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّوَلَدًا صَالِحًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّحَلَالًا طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّصَبْرًا جَمِيْلًا وَّاَجْرًا عَظِيْمًا وَّعَمَلًا صَالِحًا مَّقْبُوْلًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ط يَانُوْرَ النُّوْرِ ط يَاعَالِمَ مَافِي الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِيْ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَتَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا فِيْ مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَاهَمًّا يَااَللّٰهُ اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَاعَيْبًا يَااَللّٰهُ اِلَّاسَتَرْتَهٗ وَلَامَرِيْضًا يَا اَللّٰهُ اِلَّا شَفَيْتَهٗ وَعَافَيْتَهٗ وَلَافَقِيْرًا يَا اَللّٰهُ اِلَّا اَغْنَيْتَهٗ وَلَاحَاجَةً يَا اَللّٰهُ مِنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَنَا فِيْهَا صَلَاحٌ اِلَّاقَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا اَللّٰهُمَّ اقْضِ حَوَآئِجَنَا وَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا وَاٰمِنْ

خَوْفَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا وَاغْفِرْ ذُنُوْبَنَا وَاكْشِفْ كُرُوْبَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ
اَعْمَالَنَا وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ •

तर्जुमा - ऐ अल्लाह सब जहानों के परवरदिगार, ऐ सवाल करने वालों की उम्मीद-गाह, ऐ डरने वालों के लिए अम्न की जगह, ऐ तवक्कुल करने वालों के लिए पनाह-गाह, ऐ बड़े शफ़क़्क़त करने वाले, ऐ बड़े एहसान करने वाले, ऐ पूरा पूरा बदला देने वाले, ऐ सलतनत वाले, ऐ हमेशा के मुहसिन, ऐ दुआओं के सुनने वाले हमारी दुआओं को सुन ले, और हमारी ज़ियारत को क़ुबूल फ़रमा और हमारे ख़ौफ़ को दूर फ़रमा और हमारे ऐबों को छुपा और हमारे गुनाहों का कफ़्फ़ारा फ़रमा दे, और ऐ अल्लाह हमारे मुर्दों पर रहम फ़रमा और हमारी नेकियों को क़ुबूल फ़रमा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर, और ऐ अल्लाह अपने यहां हमें उन लोगों में शामिल फ़रमा ले जो तेरी पनाह में आने वाले हैं, कामयाब हैं, शुक्रगुज़ार हैं 'तेरे उन बंदों में हैं जिन्हें न कोई डर होगा न कोई ग़म होगा' अपनी रहमत से ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ सब जहानों के पालने वाले!

मैं तुझसे सवाल करता हूं कि तू मुझे अता फ़रमा वो ईमान जो कामिल हो, पायदार हो, जो मेरे दिल में समा जाए और ऐसा सच्चा यक़ीन (अता फ़रमा) कि मैं समझ लूं कि मुझे वही पहुंचेगा जो तूने मेरी तक़दीर में लिख दिया, और (अता फ़रमा) नफ़ा बख़्श इल्म और डरने वाला दिल, (तेरा) ज़िक्र करने वाली ज़बान और नेक औलाद और रोज़ी खूब ज़्यादा और हलाल पाक, और अता कर सच्ची तौबा और बेहतरीन सब्र और सवाबे अज़ीम और नेक अमल जो मक़बूल हो, और ऐसी तिजारत (का सवाल करता हूं) जिसमें कभी घाटा न हो, ऐ नूरों के नूर, ऐ दिलों का हाल जानने वाले मुझे और तमाम मुसलमानों को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ़ पहुंचा देना दुनिया में भी और आख़िरत में भी, मुझे इस्लाम की हालत में मौत दे और मुझे नेक लोगों में शामिल फ़रमा अपनी रहमत से ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम फ़रमाने वाले, ऐ सब जहानों के पालने वाले, ऐ अल्लाह इस पाक जगह में हमारा कोई गुनाह न रहे जिसे तू माफ़ न फ़रमा दे, और ऐ अल्लाह कोई ग़म न हो जिसे तू दूर न फ़रमा दे, और ऐ अल्लाह कोई ऐब न रहे जिसे तू छुपा न दे, और ऐ अल्लाह कोई बीमारी न रहे जिस से तू सेहत अता न फ़रमा दे और ऐ अल्लाह कोई फ़क़ीर न रहे जिसे तू ग़नी (मालदार) न कर दे। और ऐ अल्लाह हमारी दुनिया व आख़िरत की हाजतों में से कोई हाजत जिसमें हमारी बेहतरी हो ऐसी न रहे जिसे तू पूरी न फ़रमा दे, और आसान न फ़रमा दे, ऐ अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा फ़रमा दे और हमारे

कामों को आसान फ़रमा दे और हमारे दिलों को खोल दे और ज़ियारत को क़ुबूल फ़रमा, और ख़ौफ़ को दूर करके अम्न अता फ़रमा, और हमारे ऐबों को छुपा दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे और हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे, और नेकियों के साथ हमारे आमाल का ख़ात्मा फ़रमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फ़रमा, उन नेक बंदों में जिन पर न ख़ौफ़ (डर) तारी होगा, और न वे ग़मगीन होंगे अपनी रहमत से, ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम फ़रमाने वाले, ऐ सब जहानों के पालने वाले।

मस्जिदे नबवी में नमाज़ का सवाब

मस्जिदे नबवी में नमाज़ बा जमाअत पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है, एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया है कि मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ का सवाब हज़ार नमाज़ों से बेहतर है सिवाए मस्जिदे हराम के। क्योंकि मस्जिदे हराम में जमाअत के साथ नमाज़ पढने का सवाब दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबले में एक लाख नमाज़ों से अफ़ज़ल है। (अत्तरग़ीब वत्तरहीब)

मस्जिदे नबवी में चालीस नमाज़ें

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस ने मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ें पढ़ीं जिनमें से एक भी न छूटी हो तो उसके लिए यह लिख दिया जाएगा कि वह दोज़ख़ से बरी है। (यानी

उसे दोज़ख़ से निजात होगी) और यह अज़ाब से बरी है और निफ़ाक़ से बरी है। (मुस्नद अहमद)

मस्जिदे क़ुबा में नमाज़

हज़रत उसैद बिन ज़हीर अंसारी रज़ि0 से रिवायत है कि हुज़ूरे पाक सल्ल0 ने फ़रमाया कि मस्जिदे क़ुबा में एक नमाज़ एक उमरे के बराबर है। (तिर्मिज़ी)

और हज़रत सहल बिन हनीफ़ रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया कि जिसने अपने घर में तहारत हासिल की (यानी वुज़ू किया) फिर मस्जिदे क़ुबा में आया और उसमें कोई नमाज़ पढ़ी तो उसके लिए एक उमरे के बराबर सवाब मिलेगा। (इब्ने माजः हाकिम वग़ैरह)

जन्नतुल बक़ी

मस्जिदे नबवी के क़रीब ही मदीना मुनव्वरा का मशहूर क़ब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी है, उसकी भी ज़ियारत करें और वहां हाज़री के मौक़े पर यूं सलाम अर्ज़ करे :-

اَلسَّلَامُ عَلٰی اَھْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَیَرْحَمُ اللّٰہُ الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِیْنَ وَاِنَّآ اِنْشَآءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَلَاحِقُوْنَ۔

अस्सलामु अला अह्लिद्दियारि मिनल मुअ्मिनी-न वल

मुस्लिमी-न व यर्-हमुल्ला-हुल मुस्तक्दिमी-न मिन्ना वल मुस्तअ्ख़िरी-न व इन्ना इन्शा-अल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून,

तर्जुमा - सलाम हो यहां के रहने वालों पर जो मुअ्मिनीन व मुस्लिमीन हैं, और अल्लाह तआला हमारे अगलों पर और बाद में आने वालों पर रहम फ़रमाये और इन्शा अल्लाह हम भी ज़रूर तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं।

जन्नतुल बक़ी में हज़ारों सहाबा और ताबईन और बुज़ुर्ग दफ़न हैं जिन में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दामाद हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि० और हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ि० और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नवासे हज़रत हसन बिन अली रज़ि० और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की साहबज़ादियां हज़रत रुक़य्या, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रज़ि० और आप की फूफ़ियां और नबी-ए-पाक की अज़्वाजे मुतह्हरात (पाक बीवियां) और आपके ख़ास ख़ादिम अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि० दफ़न हैं, और एक क़ौल के मुताबिक़ हज़रत सैय्यदा फ़ातिमा रज़ि० की क़ब्र भी यहीं है।

उहद के शहीदों की ज़ियारत

मदीना मुनव्वरा के क़ियाम के ज़माने में उहद भी जाए। यह एक पहाड़ का नाम है। हुज़ूरे अक़्दस सल्ल0 ने फ़रमाया कि उहद हम से मुहब्बत करता है और हम उससे मुहब्बत करते हैं। (तरग़ीब जिल्द 2 पेज 230)

सन 03 हिजरी में उहद के क़रीब जंग हुई थी। मक्का मुअज़्ज़मा के मुश्रिक हमला आवर होकर चढ़ आए थे। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा रज़ि0 ने उनसे मुक़ाबला किया और सत्तर (70) सहाबा इस मौक़े पर शहीद हुए। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी तकलीफ़ पहुंचायी गयी। दुश्मनों ने आपको ज़ख़्मी कर दिया और आप के चचा हज़रत हमज़ः बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि0 की भी इसी मौक़े पर शहादत हुई। इन शहीदों के मज़ारात एक इहाते के अंदर मौजूद हैं। सऊदी हुकूमत ने हर तरफ़ दीवार बना दी है, दरवाज़ा जंगले दार है लेकिन ताला लगा रहता है। दरवाज़े से ज़रा फ़ासले पर हज़रत हमज़ः और हज़रत मुस्अब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हुम की क़ब्र है जो बाहर से नज़र आती है, दूसरे हज़रात की क़ब्रें चार दीवारी के आख़िर में हैं। जब यहां हाज़री हो तो सलाम के वही अल्फ़ाज़ पढ़े जो जन्नतुल बक़ी के बयान में गुज़रे।

वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ वल मुईन

★★★★★

ज़मीमा

प्रकाशक अर्ज़ करता है कि असल किताब तो ख़त्म हुई जिसमें हज और उमरे के क़रीब क़रीब तमाम ही ज़रूरी मसाइल आ गये हैं। अल्लाह तआला लेखक को जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए जिन्होंने मुख़्तसर तरीक़े पर तफ़सील के साथ हज व उमरे के अहकाम बयान फ़रमा दिए।

मुनासिब मालूम होता है कि किताब के आख़िर में तवाफ़ की दुआएं शामिल कर दी जाएं ताकि आम लोगों को पढ़ने में आसानी हो, इन दुआओं के बारे में ज़रूरी वज़ाहत अगले पेज पर मुलाहिज़ा फ़रमा लें।

-प्रकाशक

(मुहम्मद नासिर ख़ान)

★★

तवाफ़ की दुआएं

तवाफ़ खुद इबादत है और बहुत बड़ी इबादत है, उसमें ज़िक्र और दुआ में मशग़ूल होने के सवाब में और बढ़ोतरी हो जाती है। तवाफ में तीसरा कलिमा यानी :-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ ط

"सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि वला इला -ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर्" पढ़ना हदीस शरीफ़ से साबित है। इसकी फ़ज़ीलत आयी है, और रुक्ने यमानी और हज्रे असवद के दर्मियान

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

"रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-न-तंव् -व फ़िल् आख़ि-रति ह-स-न-तंव्-वक़िना अज़ाबन्ना-रि"

पढ़ना साबित है। इस के अलावा और जो चाहे दुआ मांगे, दिल को हाज़िर करके दुआ करे और असल दुआ वही है जो दिल से तवज्जोह के साथ हो। हर चक्कर के लिए जो अलग अलग दुआएं मशहूर हैं अगरचे उनमें से कुछ दुआऐं हुज़ूरे पाक

सल्ल० से साबित हैं मगर ख़ास कर तवाफ़ के लिए या किसी ख़ास चक्कर के लिए उनमें से किसी ख़ास दुआ का मुक़र्रर होना साबित नहीं है। वैसे ये दुआएं अच्छी हैं। और अवाम की आसानी के लिए कुछ हज़रात ने इनको एक जगह इकठ्ठा कर दिया है, अगर इनको पढ़े और सुन्नत न समझे तो इनका पढ़ना भी दुरुस्त है, और जो लोग यह समझते हैं कि इन दुआओं के बिना तवाफ़ ही नहीं होता और दुआओं की किताब न होने की वजह से या दुआएं पढ़वाने वाला न होने की वजह से तवाफ़ नहीं करते वे सख़्त ग़लती करते हैं मस्जिदे हराम में बैठे रहते हैं, और तवाफ़ से मेहरूम रहते हैं, अल्लाह तआला जहालत से बचाए।

पहले चक्कर की दुआ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكَلِمَاتِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ۔

सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर, वला हौ-ल वला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहिल्

अलिय्यिल् अज़ीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्, अल्लाहुम्-म ईमानम बि-क व तस्दीक़म् बिकलिमाति-क व वफ़ा अम् बिअ़हदि-क व इत्तिबा अ़ल्-लिसुन्नति नबिय्यि-क व हबीबि-क मुहम्मदिन् सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-कल् अफ़्-व वल् आ़फ़िय-त वल् मुआ़-फ़-तद्-दाइ-म-त फ़िद्दी-नि वद् दुन्या वल् आख़ि-रति वल् फ़ौ-ज़ बिल् जन्न-ति वन्नजा-त मिनन्ना-रि,

तर्जुमा - अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं और अल्लाह सब से बड़ा है, और गुनाहों से फिरने की ताक़त और इबादत की तरफ़ मुतवज्जह होने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ़ से है जो बुज़ुर्गी वाला और बड़ाई वाला है, और अल्लाह तआ़ला की रहमत और सलाम नाज़िल हो अल्लाह के रसूल पर, ऐ अल्लाह तुझ पर ईमान लाते हुए और तेरे कलिमात की तस्दीक़ करते हुए और तुझ से किए हुए अहद को पूरा करते हुए और तेरे नबी और हबीब की सुन्नत की पैरवी करते हुए (मैं तवाफ़ करता हूं), ऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूं (गुनाहों से) माफ़ी का और (हर बला से) सलामती का और (हर तकलीफ़ से) हमेशा की हिफ़ाज़त का, दीन दुनिया और आख़िरत में और जन्नत नसीब होने और दोज़ख़ से निजात पाने का।

रुक्ने यमानी पर पहुंच कर यह दुआ ख़त्म कर दीजिए और उस से आगे को बढ़ते हुए यह दुआ पढ़िए :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ وَ اَدْ خِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَ بْرَارِ یَاعَزِیْزُ یَاغَفَّارُ یَارَبَّ الْعَالَمِیْنَ ۝

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि, व अद्ख़िल्नल् जन्न-त म-अ़ल् अब्रारि, या अ़ज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, या रब्बल् आ़-लमीन्,

तर्जुमा - ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी ख़ैर व बरकत दे और आख़िरत में भी ख़ैर व बरकत दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले, ऐ बड़ी बख़्शिश वाले, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले।

दूसरे चक्कर की दुआ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَیْتَ بَیْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَ الْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَآئِذِبِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَی النَّارِ ۝ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَیْنَا الْاِیْمَانَ وَزَیِّنْهُ فِیْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَیْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْیَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِیْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ قِنِیْ عَذَابَكَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِی الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝

अल्लाहुम्-म इन्-न हाज़ल् बै-त बैतु-क वल्ह-र-म ह-रमु-क वल् अम्-न अम्नु-क वल् अब्-द अब्दु-क व अ-न अब्दु-क वब्नु अब्दि-क व हाज़ा मक़ामुल् आ-इज़ि बि-क मिनन्नारि फ़-हर्रिम् लुहू-मना व ब-श-र-तना अलन्ना-रि, अल्लाहुम्म हब्बिब् इलैनल् ईमा-न व ज़य्यिन्-हु फ़ी क़ुलूबिना व करि्रह् इलैनल् कुफ़्-र वल् फ़ुसू-क़ वल् अिस्या-न वज्अ़ल्ना मिनर्राशिदी-न, अल्लाहुम्-म क़िनी अज़ाब-क यौ-म तब्-असु इबाद-क, अल्लाहुम्मर ज़ुक़्निल् जन्न-त बिग़ैरि हिसाब,

तर्जुमा – ऐ अल्लाह बेशक यह घर तेरा घर है और यह हरम तेरा हरम है, और (यहां का) अम्न तेरा दिया हुआ अम्न है, और हर बन्दा तेरा ही बन्दा है और मैं तेरा ही बन्दा हूं और तेरे ही बन्दे का बेटा हूं, और यह दोज़ख़ की आग से तेरी पनाह पकडने वालों की जगह है, सो हमारे गोशत और खाल को दोज़ख़ पर हराम फ़रमा दे, ऐ अल्लाह हमारे लिए ईमान को महबूब बना दे और हमारे दिलों को मुज़य्यन कर दे और कुफ़्र व बदकारी और ना फ़रमानी से हमारे दिल हटा दे, और हमें हिदायत पाने वालों में शामिल फ़रमा दे, ऐ अल्लाह जिस दिन तू अपने बन्दों को दोबारा ज़िन्दा कर के उठाए मुझे अज़ाब से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे बिना हिसाब के जन्नत अता फ़रमाना।

रुक्ने यमानी पर पहुंच कर यह दुआ ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़ते हुए फिर वही दुआ पढ़िए ।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَ بْرَارِ یَاعَزِیْزُ یَاغَفَّارُ یَارَبَّ الْعَالَمِیْنَ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि, व अद्ख़िल्नल् जन्न-त म-अ़ल् अब्रारि, या अज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, या रब्बल् आ़-लमीन्,

तर्जुमा - ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी ख़ैर व बरकत दे और आख़िरत में भी ख़ैर व बरकत दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले, ऐ बड़ी बख़्शिश वाले, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले।

तीसरे चक्कर की दुआ

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْکِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْٓءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْٓءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِی الْمَالِ وَالْاَھْلِ وَالْوَلَدِ ط اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ط اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ ط

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनश्शक्कि वश्शिर्कि वश्शिक़ाकि वन्निफ़ाकि व सूइल् अख़्लाकि व सूइल् मन्ज़रि वल् मुन्क़-लबि फ़िल् मालि वल्अह्लि वल् वलदि, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क रिज़ा-क वल् जन्न-त, व अऊज़ु बि-क मिन स-ख़ति-क वन्नारि, अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्-नतिल् क़ब्रि व अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्-नतिल् मह्या वल् ममाति,

तर्जुमा - ऐ अल्लाह मैं तेरी पानाह चाहता हूं (तेरे अह्काम में) शक करने से और (तेरी ज़ात व सिफ़ात में) शिर्क करने से और निफ़ाक़ से और बुरे हाल और बुरे अन्जाम से माल में और अहलो अयाल (घर वालों और बाल बच्चों) में, ऐ अल्लाह मैं तुझ से तेरी रज़ामन्दी की भीख मांगता हूं और जन्नत का सवाल करता हूं, और तेरी पनाह चाहता हूं तेरे ग़ज़ब से और दोज़ख़ से, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं क़ब्र की आज़माईश से और तेरी पनाह चाहता हूं ज़िन्दगी और मौत की हर मुसीबत से।

रुक्ने यमानी पर पहुंचने तक यह दुआ ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़ते हुए फिर यह दुआ पढ़िए।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الاَ بْرَارِ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि, व अद्ख़िल्नल् जन्न-त म-अ़ल् अब्रारि, या अ़ज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, या रब्बल् आ़-लमीन्,

तर्जुमा - ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी ख़ैर व बरकत दे और आख़िरत में भी ख़ैर व बरकत दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले, ऐ बड़ी बख़्शिश वाले, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले।

चौथे चक्कर की दुआ़

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّعَمَلاً صَالِحًا مَّقْبُوْلاً وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ط يَا عَالِمَ مَافِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ط رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَارَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ ط

अल्लाहुम्-मज्अ़ल्हु हज्जम् मब्रुरंव्-व सअ़्यम्-मश्कूरंव्-व

ज़म्बम्-मग़फ़ूरंव्-व अ-मलन् सालिहम्-मक़्बूलंव्-व तिजा-रतल् लन्तबू-र, या आलि-म मा फ़िस्सुदूरि अख़्रिजूनी या अल्लाहु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क मूजिबाति रह्मति-क व अ़ज़ाइ-म मग़्फ़ि-रति-क वस्सला-म-त-मिन कुल्लि इस्मिन् वल् ग़नी-म-त मिन कुल्लि बिर्रिन् वल् फ़ौ-ज़ बिल् जन्न-ति वन्नजा-त मिनन्नारि, रब्बि क़न्निअ़्नी बिमा रज़क़्तनी व बारिक् ली फ़ीमा अअ़्तै-तनी वख़्लुफ़् अ़ला कुल्लि ग़ाइ-बतिल्ली मिन्-क बिख़ैरिन्,

तर्जुमा - ऐ अल्लाह बना दे हज को हज्जे मक़बूल और सई को मश्कूर और गुनाहों को बख़्शा हुआ, अमल को नेक और तिजारत को बे नुक़सान् ऐ दिलों के भेद जानने वाले मुझे गुनाहों की अन्धेरियों से (ईमाने सालेह की) रोशनी की तरफ़ निकाल दे, ऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूं तेरी रहमत को वाजिब कर देने वाले आमाल का और उन अस्बाब का जो तेरी मग़्फ़िरत को लाज़मी बना दें और गुनाह से सलामती का और हर नेकी से फ़ायदा उठाने का और जन्नत से कामयाब होने का और दोज़ख़ से निजात पाने का, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे जो कुछ रिज़्क़ दिया है उस में क़नाअत अता कर और जो नेमतें मुझे अता फ़रमाई हैं उन में बरकत दे।

रुक्ने यमानी पर पहुंचकर यह दुआ ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़ते हुए फिर यह दुआ पढ़िए

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَ بْرَارِ یَاعَزِیْزُ یَاغَفَّارُ یَارَبَّ الْعَالَمِیْنَ ۝

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि, व अद्ख़िल्नल् जन्न-त म-अ़ल् अब्रारि, या अ़ज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, या रब्बल् आ़-लमीन्,

तर्जुमा - ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी ख़ैर व बरकत दे और आख़िरत में भी ख़ैर व बरकत दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले, ऐ बड़ी बख़्शिश वाले, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले।

पांचवे चक्कर की दुआ

اَللّٰھُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ یَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّ عَرْشِكَ وَلَابَاقِیَ اِلَّا وَجْھُكَ وَاسْقِنَامِنْ حَوْضِ نَبِیِّكَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً ھَنِیْئَةً مَّرِیْئَةً لَّانَظْمَاُ بَعْدَھَا اَبَدًا ۝ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَاسَاَلَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ سَیِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ سَیِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ، اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِیْمَھَا وَمَایُقَرِّبُنِیْ اِلَیْھَا مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْعَمَلٍ ۝ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَایُقَرِّبُنِیْ اِلَیْھَا مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْعَمَلٍ ۝

अल्लाहुम्-म अज़िल्लिनी तह्-त ज़िल्लि अर्शि-क यौ-म ला ज़िल्-ल इल्ला ज़िल्लु अर्शि-क वला बाकि़-य इल्ला वज्हु-क व अस्कि़ना मिन् हौज़ि नबिय्यि-क सय्यिदिना मुहम्मदिन् सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल-म शर्ब-तन् हनी-अतम् मरी-अतल् ला नज़्म-उ बअ्-दहा अ-बदन्, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क मिन ख़ैरि मा स-अ-ल-क मिन्हु नबिय्यु-क सय्यिदुना मुहम्मदुन् सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल-म व अअूज़ु बि-क मिन् शर्रि मस्तआ-ज़-क मिन्हु नबिय्यु-क सय्यिदुना मुहम्मदुन् सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल-म, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-कल् जन्न-त व नई-महा वमा युक़र्रिबुनी इलैहा मिन् क़ौलिन् औ फ़िअ्लिन् औ अ-मलिन्, व अअूज़ु बि-क मिनन्नारि वमा युक़र्रिबुनी इलैहा मिन् क़ौलिन् औ फ़िअ्लिन् औ अ-मलिन्,

तर्जुमा - ऐ अल्लाह जिस रोज़ सिवाए तेरे अर्श के कहीं साया न होगा उस दिन मुझे अपने अर्श के साये में जगह देना और तेरी ज़ात पाक के अलावा कोई बाक़ी न रहेगा। और अपने नबी हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हौज़ (कौसर) से हमें ऐसा खुशगवार और बेहतरीन ज़ायक़े वाला घूंट पिलाना कि उस के बाद कभी प्यास न लगे, ऐ अल्लाह! मैं तुझ से उन चीज़ों की भलाई मांगता हूं जिन को तेरे नबी हमारे आक़ा

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुझ से मांगा, और उन चीज़ों की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं जिन से तेरे नबी हमारे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पनाह मांगी, ऐ अल्लाह मैं तुझ से जन्नत और उसकी नेमतों का सवाल करता हूं और ऐसे क़ौल (बात) या फ़ेअ्ल (काम) या अमल (की तौफ़ीक़) का जो मुझे जन्नत से क़रीब कर दे, और मैं दोज़ख़ से तेरी पनाह चाहता हूं और हर उस क़ौल या फ़ेअ्ल या अमल से जो मुझे दोज़ख़ से क़रीब कर दे।

रुक्ने यमानी पर पहुंच कर यह दुआ ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़ते हुए फिर यह दुआ पढ़ें।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَ اَدْ
خِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَ بْرَارِ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि, व अद्ख़िल्नल् जन्न-त म-अ़ल् अब्रारि, या अ़ज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, या रब्बल् आ़-लमीन्,

तर्जुमा - ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी ख़ैर व बरकत और आख़िरत में भी ख़ैर व बरकत दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले, ऐ बड़ी बख़्शिश वाले, ऐ तमाम

जहानों के पालने वाले।

छटे चक्कर की दुआ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ۔ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِيْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَاَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَّاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ،

अल्लाहुम्-म इन्-न ल-क अलय्-य हुक़ूक़न् कसी-रतन् फ़ीमा बैनी व बैन-क व हुक़ूक़न् कसी-रतन् फ़ीमा बैनी व बै-न ख़ल्क़ि-क, अल्लाहुम्-म मा का-न ल-क मिन्हा फ़ग़्फ़िरहु ली व मा का-न लि ख़ल्क़ि-क फ़-त-हम्मलहु अ़न्नी वग़्निनी बि-हलालि-क अन् हरामि-क व बिताअति-क अम्मअ़्सियति-क व बिफ़ज़्लि-क अम्मन् सिवा-क, अल्लाहुम्-म इन्-न बैत-क अज़ीमुन् व वज्ह-क करीमुन् व अन्-त या अल्लाहु हलीमुन् करीमुन् अज़ीमुन् तुहिब्बुल् अफ़्-व फ़अ़्फ़ु अन्नी,

तर्जुमा - या अल्लाह मुझ पर तेरे बहुत हक़ हैं उन चीज़ों में जो मेरे और तेरे दर्मियान हैं और बहुत से हक़ हैं उन मामलात में जो मेरे और तेरी मख़्लूक़ के दर्मियान हैं, ऐ अल्लाह इन में

से जिन का ताल्लुक़ सिर्फ़ तुझ से है उन की मुझे माफ़ी दे, और जिन का ताल्लुक़ तेरी मख़्लूक़ से है उन का तू ज़िम्मदार बन जा, ऐ अल्लाह मुझे हलाल (रिज़्क़) अता फ़रमा हराम से बे नयाज़ फ़रमा दे और अपनी फ़रमांबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कर ना-फ़रमानी से छुड़ा दे और अपने फ़ज़्ल से इनायत फ़रमा कर अपने सिवा दूसरों से मुस्तग़नी फ़रमा दे, ऐ अल्लाह बेशक तेरा घर बड़ी अज़्मत वाला है और तेरी ज़ात बड़ी इज़्ज़त वाली है और तू ऐ अल्लाह बड़े इल्म वाला है बड़े करम वाला है और बड़ी अज़्मत वाला है तू माफ़ी को पसन्द करता है सो मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे।

रुक्ने यमानी पर पहुंच कर यह दुआ ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़ते हुए फिर यह दुआ पढ़िए।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، وَ اَدْ
خِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَ بْرَارِ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ،

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि, व अद्ख़िल्नल् जन्न-त म-अल् अब्रारि, या अज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, या-रब्बल् आ-लमीन्,

तर्जुमा - ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी ख़ैर व बरकत दे और आख़िरत में भी ख़ैर व बरकत दे और हम को दोज़ख़

के अज़ाब से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले, ऐ बड़ी बख़्शिश वाले, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले।

सातवें चक्कर की दुआ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اِیْمَانًا كَامِلًا وَّ یَقِیْنًا صَادِقًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّرِزْقًا حَلَالًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ یَاعَزِیْزُ یَاغَفَّارُ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ۔

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क ईमानन् कामिलवं-व यक़ीनन् सादिक़वं-व रिज़्क़न् वासिअवं-व क़ल्बन् ख़ाशिअवं-व लिसानन् ज़ाकिरवं-व रिज़्क़न् हलालवं-व तौ-बतन्नसूहवं-व तौ-बतन् क़ब्लल् मौति व रा-हतन् अिन्दल् मौति व मग़्फ़ि-रतवं-व रह्-मतन् बअ्दल् मौति वल् अफ़्-व अिन्दल हिसाबि वल् फ़ौ-ज़ बिल् जन्नति वन्नजा-त मिनन्नारि, बि-रह्मति-क या अज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, रब्बि ज़िद्नी अिल्मवं-व अल्हिक़्नी बिस्सालिही-न,

तर्जुमा - ऐ अल्लाह मैं तुझ से कामिल ईमान और सच्चा यक़ीन और कुशादा रिज़्क़ और आजज़ी करने वाला दिल और

(तेरा) ज़िक्र करने वाली ज़बान और हलाल और पाक रोज़ी और सच्चे दिल की तौबा और मौत से पहले तौबा और मौत के वक़्त का आराम और मरने के बाद मग़्फ़िरत और रहमत और हिसाब के वक़्त माफ़ी और जन्नत का हुसूल और दोज़ख़ से निजात (ये सब कुछ मैं मांगता हूं) तेरी रहमत के वसीले से, ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले ऐ बड़ी मग़्फ़िरत वाले, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में बढ़ोतरी फ़रमा, और मुझे नेक लोगों में शामिल फ़रमा।

रुक्ने यमानी पर पहुंच कर यह दुआ ख़त्म कर दीजिए और उस से आगे बढ़ते हुए फिर यह दुआ पढ़िए।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَ اَدْ
خِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ یَاعَزِیْزُ یَاغَفَّارُ یَارَبَّ الْعَالَمِیْنَ ط

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल आख़ि-रति ह-स-नतंव्-वक़िना अज़ाबन्नारि, व अद्ख़िल्नल् जन्न-त म-अल् अब्रारि, या अज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ारु, या रब्बल् आ-लमीन्,

तर्जुमा – ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी ख़ैर व बरकत दे और आख़िरत में भी ख़ैर व बरकत दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा और नेक लोगों के साथ जन्नत में दाख़िल फ़रमा। ऐ बड़ी इज़्ज़त वाले, ऐ बड़ी बख़्शिश वाले, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले।

तवाफ़ करते हुए जब भी हज्रे अस्वद पर आए तो "बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर्" कहे और इसी तरह से उसका इस्तिलाम करे जिस तरह शुरू में किया था यानी हज्रे अस्वद प दोनों हाथ रख कर दोनों हथेलियों के बीच हज्रे अस्वद को बोसा दे (चूमे), यह न हो सके तो दानों हाथ रख कर या सिर्फ़ दायें हाथ से छू कर हाथों को चूम ले, अगर यह भी न हो सके तो दानों हाथ हज्रे अस्वद की तरफ़ इस तरह उठाए कि दोनों हथेलियां हज्रे अस्वद की तरफ़ हों और हथेली की पुश्त अपनी तरफ़ हो उस के बाद हाथों को चूम ले। जब तवाफ़ ख़त्म कर चुके तो आठवीं बार इसी तरह (जो तरीक़ा ऊपर बयान हुआ) हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करे तथा हर चक्कर में रुक्ने यमानी का भी दोनों हाथों से या सीधे हाथ से इस्तिलाम करे, अगर इस्तिलाम का मौक़ा न हो तो उस के लिए इशारा न करे। याद रहे कि हज्रे अस्वद या रुक्ने यमानी के इस्तिलाम में या तवाफ़ करते हुए किसी भी मौक़े पर धक्का पेल कर के किसी को तक्लीफ़ न दे क्योंकि मुसलमान को तक्लीफ़ देना हराम है। अल्लाह तआ़ला सब को दीनी समझ दे और नफ़्स व शैतान के धोके और शर (बुराई) से बचाए। आमीन

★★★★★